

PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

CONTENTS

S.N.	TITLE	PAGE NOS.
1.	Corporate Information	2
2.	Directors' Report	3-10
3.	Extract of Annual Return- MGT-9	11-16
4.	Financial Statements for the Financial Year 2021-22	17-34
5.	Notes to accounts and Significant Accounting Policies	35-45
6.	Independent Auditor's Report for the Financial Year 2021-22	46-56
7.	Secretarial Audit Report for the Financial Year 2021-22	57-61
8.	Comptroller and Auditor General Report for the Financial Year 2021-22	62-64

PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED**CORPORATE INFORMATION:-****BOARD OF DIRECTORS**

Name	Designation
Shri Surendrakumar Bagde Additional Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India	Chairman
Shri Anand Kishor, Principal Secretary, Urban Development & Housing Department, Government of Bihar	Managing Director
Shri Jaideep Joint Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India	Director
Shri Mahesh Kumar Director (Project), Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd.	Director
Shri Bhuvnesh Kumar Gupta Executive Director /Project Monitoring Ministry of Railways, Government of India	Director
Shri Mahendra Kumar Director (Electrical), National Capital Region Transport Corporation Limited	Director
Shri Mithilesh Mishra Additional Secretary, Dept. of Finance, Govt. of Bihar	Director
Smt. Shailaza Sharma Additional Secretary Road Construction Dept, Govt. of Bihar	Director
Shri Satish Kumar Singh Special Secretary, UD& HD, Govt. of Bihar	Director
Shri Pankaj Kumar Joint Secretary, Transport Dept., Govt. of Bihar	Director

Statutory Auditors	Secretarial Auditors	Internal Auditors
M/s Shivanand Kumar & Co. Chartered Accountants	M/s A. Kumar & Associates, Practicing Company Secretaries	M/s. Laxmi Agrawal Bose & Co. Chartered Accountants

Company Secretary:
Alok Kumar Srivastava

Our Bankers:
Punjab National Bank & State Bank of India

REGISTERED OFFICE:

Urban Development & Housing Department,
Vikas Bhawan, New Secretariat,
Patna-800013
E-Mail: mail.pmrcl@gmail.com
CIN-U93090BR2019SGC041042

DIRECTORS' REPORT

**To,
The Members,
Patna Metro Rail Corporation Limited**

Your Directors have the pleasure in presenting the 3rd Annual Report of the Company along with the Audited Financial Statements, Auditor's Report and comments of the Comptroller & Auditor General of India thereon for the financial year ending on 31st March, 2022.

1. FINANCIAL HIGHLIGHTS

The financial position of the Company for the Financial Year ending on 31st March, 2022 is summarized below:

(₹ in Lakh)

Particulars	For FY 2021-22	For FY 2020-21
Total Income (Other than revenue Income)	389.22	824.84
Total Expenses	367.20	158.02
Exceptional and Extraordinary item	91.78	204.50
Profit/(Loss) for the Year	(69.75)	462.31
Less: Provision for Income tax	NIL	130.43
Less: Income tax adjustments for earlier years	66.68	NIL
Less: Deferred Tax (Liability/Assets)	(0.75)	0.08
Profit/(Loss) after Tax	(135.89)	331.80
Less: Transfer to General Reserve	NIL	NIL
Less: Proposed Dividend	NIL	NIL
Less: Dividend Tax	NIL	NIL
Balance carried to Balance Sheet	(135.89)	331.80

2. BRIEF OF THE PATNA METRO RAIL PROJECT

The Patna Metro Rail Project is the first metro rail project under construction in Bihar State, India. The project was sanctioned by the Government of India in February, 2019 with a total cost of Rs. 13,365.77 Crores. For the implementation of the project, Patna Metro Rail Corporation Limited (PMRCL) was constituted and registered in February, 2019. Phase-I of the project consists of two corridors i.e., Corridor-1 & Corridor-2 and one Depot.

Corridor - I of Patna Metro runs from Danapur to Khemnichak and passes through Saguna More, RPS More, Patliputra, Rukanpura, Raja Bazar, Patna Zoo, Vikas Bhawan, Vidyut Bhawan, Patna Railway Station, Mithapur, Ramakrishna Nagar, Jaganpura and joins Corridor-II at Khemnichak.

Corridor - II of Patna Metro runs from Patliputra Bus Terminal to Patna Railway station and passes through Zero Mile, Bhootnath, Khemnichak, Malahi Pakri, Rajendra Nagar Railway Station, Moin-Ul-Haq stadium, Patna University, PMCH, Gandhi Maidan, Akashwani and joins Corridor-I at Patna Railway Station.

Corridors	Elevated		Underground		Total	
	Length (km)	Stations (nos.)	Length (km)	Stations (nos.)	Length (km)	Stations (nos.)
Corridor-I : Danapur- KhemniChak	7.424	8	10.508	6	17.932	14
Corridor-II: Patna Railway station- Patliputra Bus Terminal	6.49	5	8.085	7	14.575	12
Total	13.914	13	18.593	13	32.507	26

3. WORK PROGRESS STATUS: FY 2021-2022

The permission for translocation of trees is available from the Forest Department and working permission from NHAI is granted. NOC was granted by the Road Construction Department (RCD) on 1st Mar, 2021 to construct metro line on the median of RCD Road. NOC has been requested from the State Fire Department for 7 no. elevated stations of Corridor-I and 5 no. elevated stations of Corridor-II. The provisional NOC from the State Fire Department was received for Danapur and Saguna More metro stations on 07th Apr, 2021 and Zero Mile Station and Patliputra Bus Terminal Station on 20th Mar, 2021.

Contract PC-01, i.e. Elevated portion of Corridor-II from Malahi Pakri to New ISBT, was awarded to M/s NCC Limited of contract value is Rs 552.9 Crores with a completion period of 30 months. The construction works started on 28th Sep, 2020 and 760 nos. of piles, 47 nos. of pile-caps and 28 nos. of piers have been completed.

Contract PC-03, i.e. Underground portion of Corridor-II from Akashwani to Rajendra Nagar Station, was awarded to M/s Larsen & Toubro Limited of contract value of Rs 1989.00 Crores with a completion period of 42 months. The construction works started on 10th Jan, 2022. Geotechnical investigation and other works are under progress.

Contract PC-04, i.e. Elevated portion of Corridor-I from Danapur to Khemnichak, was awarded to M/s YFC-MCL JV Limited of contract value of Rs 553.50 Crores with a completion period of 36 months. The construction works started on 10th Jan, 2022. The preliminary works like Survey, Geotechnical investigation, utility survey etc. are under progress.

The external funding agency of the project (JICA), visited Patna Metro Rail Project sites in Nov 2021 and conducted the fact finding survey in regard to funding for the project. The *Aide Memoire* for the project between JICA and PMRCL was issued on 17th Dec, 2021. The JICA study team has started the preliminary study-work of the project that is required before finalization of loan agreement.

4. OPERATION

The Patna Metro Rail Project is in initial stage of construction and operation has not started.

5. DIVIDEND

The project is in initial stage and operation is yet to start. Hence, the Board of Directors has not recommended any dividend for the Financial Year 2021-22.

6. TRANSFER TO RESERVES

As per the requirement of law, the profits of the Company will be transferred to the Reserve & Surplus Account of the Company and similarly the losses incurred during the year will be adjusted from Reserve & Surplus Account.

7. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS

There has been no material change and commitment which affect the financial position of the Company during the financial year 2021-22.

8. DEPOSIT

The Company has not invited or accepted any deposit from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

9. PARTICULARS OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

During the year under review, the following changes took place.

Directors appointed during the F.Y. 2021-22

S.N	Name of Directors	DIN	Date	Designation
1	Shri Surendrakumar Kashiram Bagde	02305641	01/07/2021	Chairman, GoI
2	Shri Satish Kumar Singh	09430440	21/06/2021	Nominee Director, GoB
3	Smt. Shailaza Sharma	09478553	04/06/2021	Nominee Director, GoB
4	Shri Gorakh Nath	09452085	29/09/2021	Nominee Director, GoB
5	Shri Mithilesh Mishra	07487205	28/01/2022	Nominee Director, GoB

Directors ceased during the F.Y. 2021-22

S.N	Name of Directors	DIN	Date	Designation
1	Shri Kamran Rizvi	01653503	01/07/2021	Chairman, GoI
2	Shri Gorakh Nath	09452085	28/01/2022	Nominee Director, GoB

10. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

As required under Section 134(3)(c) and 134(5) of the Companies Act, 2013, the directors hereby state that:

- In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of the Company for that period;

- c. The directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d. The directors have prepared the annual accounts on a going concern basis;
- e. The directors have devised a proper system to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and such systems are adequate and operating effectively.

11. AUDITORS AND THEIR REPORT

11.1. INTERNAL AUDITORS REPORT

The Company appointed M/s. Laxmi Agrawal Bose & Co., Chartered Accountants, as the Internal Auditors of the Company to conduct Internal Audit and their report has been reviewed by the Audit Committee.

11.2. STATUTORY AUDITORS REPORT

The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) appointed M/s **Shivanand Kumar & Co.**, Chartered Accountants, Patna as the Statutory Auditors of the company for the Financial Year 2021 -22. The report of the Statutory Auditor for the financial year ending on 31st March 2022 forming a part of the Financial Statements is enclosed as **Annexure I**.

11.3. SECRETARIAL AUDITORS REPORT

The Company appointed **M/s. A. Kumar & Associates**, Practicing Company Secretaries, to conduct Secretarial Audit for the financial year 2021-22. The Secretarial Audit Report for the Financial Year ended on 31st March, 2022 is enclosed as **Annexure II**.

12. REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA(C&AG)

The supplementary audit of the financial statements for the Financial Year ended 31st March 2022 has been carried out by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) under section 143(6)(a) of the Companies Act, 2013. C&AG has given “Only One” comment on the annual accounts and C&AG’s Report for FY 2021-22 is enclosed as **Annexure III**.

13. COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA’ (C&AG) AND MANAGEMENT REPLIES:

Comment:-

Balance Sheet as on 31st March 2022

Assets

1. Non-Current Assets

b) Capital work in progress (Note No. 3)- ₹ 1167.16 Crore

“The above head wrongly includes ₹ 740.95 crore, as Capital Work in Progress (CWIP), instead of being shown under the head Loans and Advances.

The Patna Metro Rail Corporation Limited (PMRCL) was incorporated on 18th February 2019, as a Special Purpose Vehicle (SPV), for the implementation of Patna Metro Rail Project (Project) in Patna. The project comprises two corridors of a total length of 31.39 km viz (i) Danapur to Mithapur (16.94 km) and (ii) Patna Railway Station to New ISBT (14.45 km), at a total completion cost of ₹ 13,365.77 crore. The project cost included land cost of ₹ 3,390.51 crore.

In this connection, the District Land Acquisition Officer (DLAO), Patna demanded (November 2021) ₹ 790.81 crore, for acquisition of land of 75.49 acre for construction of Patna Metro Rail. The PMRCL paid ₹ 740.95 crore (₹ 308.09 crore in January 2021 and ₹ 432.86 crore in March 2022) to the DLAO for possession of land. The DLAO was to provide a Utilization Certificate (UC) for land acquisition. However, the DLAO had neither provided UC for the amount transferred to him nor he had provided ownership of the land to PMRCL, by the end of 31st March, 2022. As such, the amount was to be shown under the head 'Loans and Advances'. However, the said amount had been booked under the head 'CWIP'. This had resulted in overstatement of CWIP, as well as, understatement of Loan & Advances, by ₹ 740.95 crore each."

Management Reply:-

₹ 740.95 crore was paid to the District Land Acquisition Officer (DLAO) for acquisition of 75.49 acres of land for Patna Metro but DLAO could not provide the UC in time due to some court cases. However, as per suggested guidelines the head will be changed from 'CWIP' to 'Loan and Advances' in the Financial Statements of Current Financial Year i.e. 2022-23.

The amount will be capitalized under the head "Land" as and when UC is received from DLAO, Patna.

14. COMMENTS OF THE SECRETARIAL AUDITORS AND MANAGEMENT REPLIES:

- A. The filings of forms / returns with Statutory and / or Regulatory Authorities, in some cases, were NOT done on time and hence there were late filings in such cases.

Management Reply:-

Because of non-availability of in-house experts, COVID-19 pandemic, the filing of forms/returns with Statutory and / or Regulatory Authorities were not done on time.

Now, the management will take in notes of the said provisions for filings of forms / returns with Statutory and / or Regulatory Authorities, if any.

- B. The Company has called and convened Four (4) meetings of Board of Directors during the financial year on 16/07/2021, 29/09/2021, 16/11/2021 and 14/03/2022 respectively. **The meeting held on 16/07/2021 was primarily proposed to be held on 19/07/2021 vide notice sent on 13/07/2021. However, the meeting was rescheduled on 16/07/2021 by issue of shorter notice on 14/07/2021. Section 173(3) of the Act states that "A meeting of the Board of Directors shall be called by giving not less than seven (07) days' notice" which also applies in case of any rescheduled meeting.** However, no objection for short notice of Board Meeting was raised by any Director and the Company does not have any Independent Director on its Board.

Management Reply:-

The conveyed Board meeting dated 19.07.2021 was called for on urgent basis i.e. on 16.07.2021 with the consent of the Chairman, PMRCL.

Henceforth, the management will take care of the minimum requirement of seven (07) days prior notice as per section 173 of the Companies Act 2013.

- C. The Company, during the financial year, held One (1) General Meeting, i.e. the 02nd Annual General Meeting (AGM) on 16th November, 2021 vide Notice dated 08/11/2021. ***Further as per the Notice, the 02nd AGM was convened to be held on 15/11/2021 but was later deferred to 16/11/2021 and the Notice for deferring the meeting from 15/11/2021 to 16/11/2021 was served on 15/11/2021.***

Management Reply:-

The conveyed 2nd Annual General Meeting dated 15.11.2021 was rescheduled and conveyed on 16.11.2021 due to unavoidable circumstances.

Henceforth, the management will take care of provisions of the Companies Act 2013 in case of rescheduling of the date of Annual General Meeting of the company, if any.

15. CORPORATE GOVERNANCE

The Company consistently endeavors to adopt the best practices of Corporate Governance to pursue transparency, integrity, and accountability in all its activities.

16. SHARE CAPITAL

Authorized Capital

The Authorized Share Capital of the Company as on March 31, 2022 is ₹ 2000,00,00,000 (Rupees Two Thousand Crore only) comprising 20,00,00,000 (Twenty Crore) equity shares of ₹100/- each.

Share Capital

The total paid-up Share Capital as on 31st March, 2022 stood at ₹ 525 Crore (Five Hundred Twenty Five Crore only) comprising of 5,25,00,000 (Five Crore Twenty Five Lakh) equity shares of ₹100/- each.

17. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186.

No loans or guarantees have been given or any investment has been made by the company during the Financial Year under Section 186 of the Companies Act, 2013 and hence the said provision is not applicable.

18. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES REFERRED TO IN SECTION 188(1) OF THE COMPANIES ACT, 2013.

During the year under report, the company has not entered into any contract or arrangement with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013.

19. EXTRACT OF THE ANNUAL RETURN

Pursuant to sub-section 3(a) of Section 134 and sub-section (3) of Section 92 of the Companies Act 2013, read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the extracts of the Annual Return as on March 31, 2022 forms part of this report.

20. COMMITTEES OF THE BOARD

The Board has constituted two Committees of Board viz. the Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee to commensurate with the size and nature of the operations of Company and other legal provisions.

21. NUMBER OF BOARD MEETINGS HELD DURING THE FINANCIAL YEAR

21.1. BOARD MEETINGS:

During the financial year 2021-2022, the Board met four times, i.e. on 16th day of July 2021, 29th day of September, 2021, 16th day of November, 2021 and 14th day of March, 2022.

21.2. AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD:

During the financial year 2021-2022, the Committee met on 22nd day of October, 2021 only.

22. RIGHT TO INFORMATION (RTI)

The Company has constituted a RTI Cell wherein any citizen of India who desires to obtain any information under the RTI Act, 2005 may make a request.

23. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY

The Board has adopted appropriate policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

24. COMPLIANCE OF SECRETARIAL STANDARDS I.E. SS-1 AND SS-2.

The Company is complying with the 'SS-1' Secretarial Standard on Meetings of the Board of Directors and 'SS-2' Secretarial Standard on General Meetings.

25. DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS

The Company is Joint Venture Company and it is exempted under the Companies Act, 2013 from the appointment of Independent Director on the Board of the Company.

26. ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS, IF ANY

No significant and material orders have been passed by the Regulators, Courts or Tribunals

during the Financial Year which has impacted upon the ongoing concern status and Company's operations in future.

27. PARTICULARS OF EMPLOYEES

There is no employee in the company falling under the category of employees required to be reported under Section 197(12) of the Companies Act, 2013, read with rules 5(2) and 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

28. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

As there is no significant business activity, hence no steps have been taken for Conservation of Energy. There is no Technology Absorption, Foreign Exchange Earning and Outgo pursuant to Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, read with rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Directors have nothing to report on conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo.

29. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors whole-heartedly thank the Government of India, Government of Bihar, Ministry of Housing & Urban Affairs, Ministry of Finance, various other agencies of Government of India and Government of Bihar and all the consortium members of General Consultants and Contractors for their support and cooperation.

The Board of Directors expresses thanks to the office of the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Bankers and various other stakeholders connected with the affairs of the Company. The Board places on record the appreciation to all the employees for their continued support and cooperation.

For and on behalf of the Board of Directors of
Patna Metro Rail Corporation Limited

Sd/-

(Surendrakumar Bagde)

Chairman

DIN: 02305641

Date: 17.04.2023

Place: New Delhi

Form No. MGT-9 EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on March 31, 2022

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

Particulars	Details
CIN	U93090BR2019SGC041042
Registration Date	18/02/2019
Name of the Company	Patna Metro Rail Corporation Limited
Category/ Sub-Category of the Company	Company Limited by Shares (Government Company)
Address of the Registered office and contact details	Urban Development & Housing Department , Vikas Bhawan, New Secretariat Patna -800015 Tel:-0612-2215550 Mob:-8797842999 Email ID:-mail.pmrcl@gmail.com Website:-
Whether listed company	No
Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	NA

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY:-

(All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated)

S. N.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/ service/ description	% to total turnover of the company
1	Land transport via Railways & Pipelines	H2	100%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES:-

S. N.	Name And Address Of The Company	CIN/ GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of Shares Held	Applicable Section
1	NOT APPLICABLE				

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

Presently, 100% of the total paid-up share capital is held by the Government of India (GoI) and Government of Bihar (GoB) in 50:50 ratios.

i. Category-wise Share Holding:-

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of shares held at the end of the year			% Change during the year
	De mat	Physical	Total	% of Total	Demat	Physical	Total	% of Total Shares

					Shares					
A. Promoters										
1. Indian										
a.	Individual/ HUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Central Govt.	-	21300000	21300000	50	-	26250000	26250000	50	23.24
c.	State Govt. (s)	-	21300000	21300000	50	-	26250000	26250000	50	23.24
d.	Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Banks/ FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	Any Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub- total (A) (1)		-	42600000	42600000	100		52500000	52500000	100	-
(2) Foreign										
a.	NRI's- Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Other- Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Banks/ FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Any Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (A) (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total shareholding of Promoter (A) = (A) (1) + (A) (2)		-	42600000	42600000	100		52500000	52500000	100	-
B. Public Shareholding										
1. Institutions										
a.	Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Banks/ FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Central Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	State Govt.(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g.	FII's	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h.	Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Others (Specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B) (1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Non-Institutions										
a.	Bodies Corp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b.	Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Individual shareholders holding nominal Share capital upto Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 Lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B) (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A+B+C)		-	42600000	42600000	100		52500000	52500000	100	-

ii. Shareholding of Promoters

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the Beginning of the year			Shareholding at the end of the Year			
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1	H.E. President of India (GoI)	21300000	50%	-	26250000	50%	-	23.24
2	H.E. Governor of Bihar (GoB)	21300000	50%	-	26250000	50%	-	23.24
	Total	42600000	100%	-	52500000	100%	-	-

iii. Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

S. No	Particulars	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
A.	At the beginning of the year				
1	H.E. President of India- (GoI)	21300000	50	-	-
2	H.E. Governor of Bihar- (GoB)	21300000	50	-	-
Total		42600000	100	-	-
B.	Change in shareholding				

1.	President of India- 14.03.2022(Allotment)	4950000	-	26250000	50
2.	Governor of Bihar- 14.03.2022(Allotment)	4950000	-	26250000	50
C.	At the End of the year				
1	President of India- (GoI)	-	-	26250000	50
2	Governor of Bihar-(GoB)	-	-	26250000	50
	Total	-	-	52500000	100

iv. **Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs): NA**

v. **Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:**

vi. **Indebtedness-Nil**

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans Excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year	-	-	-	-
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-
Change in Indebtedness during the financial year	-	-	-	-
• Addition				
• Reduction				
Net Change	-	-	-	--
Indebtedness at the end of the financial year	-	-	-	-
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-

V. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager: NA

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/ WTD/ Manager				Total Amount (in Rs.)
		-	-	-	-	
1.	Gross Salary					
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	-				
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income-tax Act, 1961					
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income-tax Act, 1961	-				
2.	Stock Option	-	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-	-
4.	Commission	-	-	-	-	-
	• As % of profit					
	• Others specify					
5.	Others, please specify	-	-	-	-	-
	Total (A)	-	-	-	-	-
	Ceiling as per the Act	-	-	-	-	-

B. Remuneration to other directors: (NA)

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount (in Rs.)
		-	-	-	-	-
	Independent Directors	-	-	-	-	-
	• Fees for attending board/ committee meetings					
	• Commission					
	• Others, please specify					
	Total (1)	-	-	-	-	-
	Other Non-Executive Directors	-	-	-	-	-
	• Fees for attending board/ committee meetings					
	• Commission					
	• Others, please specify (Remuneration paid)					
	Total (2)	-	-	-	-	-
	Total (B)=(1+2)	-	-	-	-	-
	Total Managerial Remuneration	-	-	-	-	-
	Overall Ceiling as per the Act	-	-	-	-	-

C. Remuneration to key managerial personnel other than md/manager/wtd:- NA

S. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total Amount (in Rs.)
		CEO	Company Secretary	CFO	
1.	Gross Salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-
4.	Commission • As % of profit • Others specify	-	-	-	-
5.	Others, please specify	-	420,0000	-	-
	Total	-	420,0000	-	-

VI. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENSES:

During the FY 2021-22, there were no penalty/punishment/ compounding of offenses under the Companies Act, 2013.

For and on behalf of the Board of Directors of
Patna Metro Rail Corporation Limited

Sd/-
(Surendrakumar Bagde)
Chairman
DIN: 02305641

Date: 17.04.2023
Place: New Delhi

M/S. PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED, PATNA

Balance sheet as at 31st March'2022

PARTICULARS		Note No.	As on 31st March'2022	As on 31st March'2021
			(₹ in Lacs)	(₹ in Lacs)
A	ASSETS			
1	Non-current assets			
a)	Property, Plant & Equipment	2	12.16	16.35
b)	Capital work in progress	3	1,16,716.46	22,516.52
c)	Intangible Assets	4	0.04	0.11
d)	Financial Assets			
i)	Loans & Advances	5	24.39	-
ii)	Other Financial Assets	6	18.22	18.22
e)	Other Non-Current Assets	7	-	0.13
f)	Deferred Tax Assets (Net)	8	1.24	0.49
2	Current Assets			
a)	Financial Assets			
i)	Trade Receivable	9	-	-
ii)	Cash & cash equivalents	10	34,796.06	19,936.05
iii)	Other Bank Balances	11	-	-
iv)	Loans & Advances	5	18,438.40	8,285.35
v)	Other Financial Assets	6	705.90	-
b)	Other Current Assets	7	0.04	-
c)	Current Tax Assets (Net)	12	24.47	54.81
	TOTAL		1,70,737.39	50,828.02
B	EQUITY AND LIABILITIES			
	EQUITY			
a)	Equity Share Capital	13	52,500.00	42,600.00
b)	Other Equity	14	20,160.29	296.18
	LIABILITIES			
1)	Non-current Liabilities			
a)	Financial liabilities			
i)	Borrowings	15	80,808.50	63.32
ii)	Other Financial liabilities	16	0.50	-
b)	Provisions	17	-	-
c)	Deferred Tax Liabilities (Net)	8	-	-
2)	Current Liabilities			
a)	Financial liabilities			
i)	Trade Payable	18	-	-
ii)	Other Financial liabilities	16	4,211.62	-
b)	Other Current Liabilities	19	-	130.43
c)	Provisions	17	13,056.48	7,738.09
	TOTAL		1,70,737.39	50,828.02

Annual Report 2021-22

Notes to Balance sheet and Statement of
profit & Loss

1 to 27

-

-

As per our report of even date

For and On behalf of the Board of Directors

For' Shivanand Kumar & Co.

Chartered Accountants

Firm Reg. No. : 04610C

Sd/-

Director

DIN : 09430440

Sd/-

Managing Director

DIN :06584429

Sd/-

CA Shivanand Kumar

Partner

Membership No.: 054116

Place: Patna

Date : 23.08.2022

Sd/-

Company Secretary

Sd/-

CFO

Place : Patna

Date : 29.07.2022

M/S. PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED, PATNA

Statement of Profit & loss account for the period ended 31st March'2022

PARTICULARS		Note No.	2021-22 (₹ in Lacs)	2020-21 (₹ in Lacs)
A	INCOME			
1	Revenue from Operation	20	-	-
2	Other Income	21	389.22	824.83
	TOTAL INCOME (A)		389.22	824.83
B	EXPENDITURE			
1	Operating Expenses	22	-	-
2	Employees Benefits Expenses	23	171.32	1.59
3	Other Administrative Expenses	24	188.62	149.63
4	Depreciation and Amortization Expenses	25	7.25	6.80
5	Finance Cost	26	0.00	-
	TOTAL EXPENDITURE (B)		367.20	158.02
C	Profit/(Loss) before exceptional and extraordinary item		22.02	666.82
	Less: Exceptional and Extraordinary item	27	91.78	204.50
	Profit/(Loss) after exceptional and extraordinary item		(69.75)	462.31
D	Provision for tax			
	(a) Current tax			130.43
	(b) Tax adjustment in relation to prior years		66.88	
	(c) Deferred tax liability / (assets)		(0.75)	0.08
E	Profit/(Loss) from continuing operation		(135.89)	331.80
F	Profit/(Loss) from Discontinuing operation			
G	Profit/(loss) for the year		(135.89)	331.80
	TOTAL		(135.89)	331.80
	Earning per equity share			
	(1) Basic		(0.32)	2.82
	(2) Diluted		(0.32)	2.82
	Notes to Balance sheet and Statement of profit & Loss	1 to 27		

As per our report of even date
For' Shivanand Kumar & Co.

Chartered Accountants
Firm Reg. No. : 04610C

Sd/-
CA Shivanand Kumar
Partner
Membership No.: 054116
Place: Patna
Date :23.08.2022

For and On behalf of the Board of Directors

Sd/- Sd/-
Director Managing Director
DIN : 09430440 DIN :06584429

Sd/- Sd/-
Company Secretary CFO

Place : Patna
Date : 29.07.2022

M/S. PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED, PATNA
STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH ' 2022

₹ in Lacs

	2022		2021	
Cash Flows From Operating Activities				
Net Income		(135.89)		331.80
Add: Expenses Not Requiring Cash:-				
Depreciation	7.25		6.80	
Income Tax	-		130.43	
Deffered Tax	(0.75)		0.08	
Prepaid Expense Written Off	0.13	6.64	204.50	341.81
Add: Decrease in Current Assets:-				
Inventories	-		-	-
Trade Receivables	-		-	-
Short Term Loans & Advances	-		-	-
Other Current Assets	-		-	-
Current Tax Assets	30.34	30.34	-	-
Less: Increase in Current Assets:-				
Current Tax Assets	-		(54.81)	-
Short Term Loans & Advances	(10,153.05)		(7,377.44)	-
Trade Receivables	-		-	-
Other Financial Assets	(705.90)		-	-
Other Current Assets	(0.04)	(10,859.00)	(0.13)	(7,432.38)
Add: Increase in current Liabilities:-				
Short Term Borrowings	-		-	-
Trade Payables	-		-	-
Other Financial Liabilities	4,211.62		-	-
Short Term Provisions	5,318.39	9,530.01	5,149.81	5,149.81
Less: Decrease in Current Liabilities:-				
Short Term Borrowings	-		-	-
Trade Payables	-		-	-
Other Current Liabilities	(130.43)		-	-
Short Term Provisions	-	(130.43)	-	-
Net Cash From Operating Activities		(1,558.33)		(1,608.95)
Cash Flows from Investing Activities				
Add:- Sale of Fixed Assets		-		-
Less:- Purchase of New Equipment		(2.99)		(5.40)
Less:- Capital Work in Progress		(94,199.94)		(14,674.28)
Less:- Investments Increased		(24.39)		-

Annual Report 2021-22

Net Cash Used for Investing Activities		(94,227.33)		(14,679.68)
Cash Flows from Financing Activities				-
Add:- Share Capital		9,900.00		42,595.00
Add:- Share Application Money		20,000.00		(11,000.00)
Less:- Borrowings Repaid		(63.32)		295.00
Add:- Security Deposit		0.50		-
Add:- Long Term Borrowings		80,808.50		-
Net Cash from Financing Activities		1,10,645.68		31,300.00
NET INCREASE/DECREASE IN CASH		14,860.02		15,011.36
CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR		19,936.05		4,924.68
CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR		34,796.06		19,936.05
-				
As per our report of even date	For and On behalf of the Board of Directors			
For' Shivanand Kumar & Co.				
Chartered Accountants		Sd/-		Sd/-
Firm Reg. No. : 04610C		Director		Managing Director
		DIN : 09430440		DIN :06584429
Sd/-		Sd/-		Sd/-
CA Shivanand Kumar		Company Secretary		CFO
Partner				
Membership No.: 054116				
Place: Patna			Place :	Patna
Date :23.08.2022			Date :	29.07.2022

M/S. PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED, PATNA

Statement Of Changes In Equity For The Year Ended 31st March 2022

A. Equity Share Capital

₹ in Lacs

Balance at the Beginning of the reporting period	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the reporting period
42,600	9,900	52,500

B. Other Equity

₹ in Lacs

		Reserves and Surplus			
	Share Application Pending Allotment	Capital Reserve	Securities Premium Reserve	Retained Earnings	TOTAL
Balance at the beginning of reporting period (01-04-2021)	-	-	-	296.18	296.18
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-
Total Comprehensive income for the year	-	-	-	-	-
Dividends	-	-	-	-	-
Transfer to retained earnings	-	-	-	(135.89)	(135.89)
Received for Government of Bihar	20,000.00	-	-	-	20,000.00
Balance at the end of reporting period (31-03-2022)	20,000.00	-	-	160.29	20,160.29

PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED, PATNA

NOTE 2 PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

₹ in Lacs

Particulars	Furniture, Fittings & Equipments	Plant and Machinery	Office Equipment	Computer & IT System	Total
	₹	₹	₹	₹	₹
Gross Carrying Amount					
As on 01 st April'2021	4.98	0.00	0.87	21.31	27.15
Additions during the year	0.24	0.00	0.16	2.59	2.99
Disposals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Closing Gross Carrying Amount as at 31 st March'2022	5.23	0.00	1.03	23.89	30.15
Accumulated Depreciation & Amortization					
As on 01 st April'2021	0.64	0.00	0.15	10.01	10.81
Depreciation charged for the year	0.48	0.00	0.17	6.53	7.18
Disposals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Closing Accumulated Depreciation/ Amortization as at 31 st March'2022	1.12	0.00	0.32	16.54	17.98
Net Carrying amount as at 31 st March'2021	4.34	0.00	0.71	11.30	16.35
Net Carrying amount as at 31 st March'2022	4.10	-	0.71	7.35	12.16

NOTE 3 CAPITAL WORK IN PROGRESS

₹ in Lacs

Particulars	As at 31st March'2022	Capitalization /transfer during the year	Total	Additions/ Adjustment during the year	As at 31st March'2021
	₹	₹	₹	₹	₹
Professional fees paid to DMRC	25,692.80	-	25,692.80	10,277.12	15,415.68
Mobilization fee paid to DMRC	1,351.84	1,351.84	2,703.68	-	2,703.68
District Land Acquisition Officer	74,107.09	-	74,107.09	74,099.72	7.37
Utilization provided by DMRC	15,335.82	-	15,335.82	11,020.37	4,315.45
DPR charges paid to RITES Ltd.	82.60	-	82.60	8.26	74.34
Casting Yard	117.84	-	117.84	117.84	-
Rent DMRC	6.47	-	6.47	6.47	-
Employee Benefit Expense Capitalized	19.15	-	19.15	19.15	-
Advertisement Expense Capitalized	2.85	-	2.85	2.85	-
TOTAL	1,16,716.46	1,351.84	1,18,068.30	95,551.78	22,516.52

3.1 Mobilization Fees Paid to DMRC for total of Rs. 270,368,000.00 recorded under CWIP in F.Y 2020-21 out of which the Unabsorbed amount of Remaining 10 quarters is transferred to Loans and Advance as per CAG notings of 2020-21.

3.2 Employee Benefit Capitalised consists of directly attributable cost of Project allowance, Home Guard Allowance and Salary to Contractual Employees.

3.3 Capital Work in Progress (CWIP)

₹ in Lacs

	Amount in CWIP for a period of				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Projects in progress	94,199.94	14,674.28	7,842.24	-	1,16,716.46
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

NOTE 4 INTANGIBLE ASSETS

₹ in Lacs

Particulars	Software & Licenses	Total
	₹	₹
Gross Carrying Amount		
As on 01st April'2021	0.21	0.21
Additions during the year	-	-
Disposals	-	-
Closing Gross Carrying Amount as at 31st March'2022	0.21	0.21
Accumulated Depreciation & Amortization		
As on 01st April'2021	0.10	0.10
Amortized during the year	0.08	0.08
Disposals	-	-
Closing Accumulated Depreciation/ Amortization as at 31st March'2022	0.18	0.18
Net Carrying amount as at 31st March'2021	0.11	0.11
Net Carrying amount as at 31st March'2022	0.04	0.04

NOTE 5- LOANS & ADVANCES

₹ in Lacs

S.N.	PARTICULARS	As at 31st March'2022		As at 31st March'2021	
		Non Current ₹	Current ₹	Non Current ₹	Current ₹
1	Secured, considered good Advance Recoverable	-	-	-	-
2	Interest Recoverable	-	-	-	-
1	Unsecured, considered good Bihar State Industrial development Corporation Ltd.	24.39	-	-	24.39
2	Infrastructure Development Authority	-	9.54	-	9.54
3	Rajeev Ranjan	-	-	-	0.00
4	Work Advance (DMRC)	-	10,253.48	-	7,758.15
5	Interest Fund Receivable (DMRC)	-	-	-	493.26
6	Advance to BUDICO	-	107.00	-	-
7	Mobilization Advance (DMRC)	-	1,351.84	-	-
8	Naveen Bhatnagar	-	1.04	-	-
9	FA & CAO ECR (Railway Crossing)	-	4,505.49	-	-
10	NHAI (Load Bearing Drain)	-	2,210.00	-	-
	Total	24.39	18,438.40	-	8,285.35

NOTE 6- OTHER FINANCIAL ASSETS

₹ in Lacs

S.N.	PARTICULARS	As at 31st March'2022		As at 31st March'2021	
		Non Current ₹	Current ₹	Non Current ₹	Current ₹
1	Security deposit (BSNL)	0.04	-	0.04	-
2	Security Deposit (Rent)	18.18	-	18.18	-
4	Interest Fund Receivable From DMRC	-	705.90	-	-
	Total	18.22	705.90	18.22	-

NOTE 7- OTHER CURRENT/ NON-CURRENT ASSETS

₹ in Lacs

S.N.	PARTICULARS	As at 31st March'2022		As at 31st March'2021	
		Non Current ₹	Current ₹	Non Current ₹	Current ₹
1	Preliminary Expenses (Misc. Assets)	-	-	-	-
2	Prepaid Expenses	-	0.04	0.13	-
	Total	-	0.04	0.13	-

7.1 Prepaid Expense relates to Software updation expense having a validity of 12 months which is under the normal operating cycle of company and hence classified as current asset from F.Y 2021-22

NOTE 8- DEFERRED TAX

₹ in Lacs

S.N.	Particulars	As on 31st March'2021	Recognised in Statement of Profit & Loss	As on 31st March'2022
		₹	₹	₹
1	Tax effect of item constituting Deferred Tax Assets Preliminary Expenses	-	-	-
	Unabsorbed Depreciation	0.49	0.75	1.24
	TOTAL	0.49	0.75	1.24
2	Tax effect of item constituting Deferred Tax Liability Preliminary Expenses	-	-	-
	Unabsorbed Depreciation	-	-	-
	TOTAL	-	-	-
	Deferred Tax Assets (Net)	0.49	0.75	1.24

NOTE 9- TRADE RECEIVABLE

₹ in Lacs

S.N.	Particulars	As on 31st March'2022	As on 31st March'2021
		₹	₹
	Unsecured, considered Good Trade receivable	-	-
	TOTAL	-	-

₹ in Lacs

NOTE 10- CASH & CASH EQUIVALENTS

S.N.	Particulars	As on 31st March'2022	As on 31st March'2021
		₹	₹
1	Cash & cash equivalents	-	-
2	Cash on Hand		
	Balance with Banks In Current Account		
	Punjab National Bank 2913000101351325	22,397.45	8,253.01
	Punjab National Bank 2913000101351352	6,198.53	383.03
	Punjab National Bank 2913002100032904	0.08	0.01
	Punjab National Bank 0380002100067409	-	10,000.00
	State Bank of India 39441426880	6,200.00	1,300.00
	Total	34,796.06	19,936.05

NOTE 11- OTHER BANK BALANCE

₹ in Lacs

	Particulars	As on 31st March'2022	As on 31st March'2021
		₹	₹
1	Balance of Banks with deposits	-	-
	Total	-	-

NOTE 12- CURRENT TAX ASSETS (NET)

₹ in Lacs

S.N.	Particulars	As on 31st March'2022	As on 31st March'2021
		₹	₹
1	T.D.S. (2021-22)	23.63	-
2	T.D.S. (2020-21)	-	53.96
3	T.D.S. (2019-20)	0.84	0.84
	Total	24.47	54.81

NOTE 13- EQUITY SHARE CAPITAL

₹ in Lacs

S.N.	PARTICULARS	As at 31st March'2022			As at 31st March'2021	
		No of Shares	Non Current ₹	Current ₹	No of Shares	Non Current ₹
1	Authorised Share Capital	20,00,00,000	2,00,000.00	-	20,00,00,000	2,00,000.00
2	Issued, Subscribed and Fully paid		-			-
	Par value per Share (₹ 100)	4,26,00,000	42,600.00	-	4,26,00,000	42,600.00
3	Reconciliation of No. of Shares & Share Capital Outstanding		-			-
	Opening Share Capital	4,26,00,000	42,600.00	-	5,000	5.00
	Add: No. of shares, Share Capital issued /subscribed during the year	99,00,000	9,900.00	-	4,25,95,000	42,595.00
	Closing Share Capital	5,25,00,000	52,500.00	-	4,26,00,000	42,600.00
4	Shares in the company held by shareholder holding more than 5%		-			-
	H.E. The Governor of Bihar	2,62,50,000	26,250.00		2,13,00,000	21,300.00
	H.E. The President of India	2,62,50,000	26,250.00		2,13,00,000	21,300.00
	Total	5,25,00,000	52,500.00	-	4,26,00,000	42,600.00

13.1 The company has only one class of equity shares. Each holder of equity share is entitled to one vote per share,

13.2 There is fresh issue of shares during the year.

13.3 Share holding pattern for shares held by promoters are as follows:

Shares held by promoters at the end of the year ending 31st March 2022				% Change during the year
Sr. No.	Promoter Name	No. of Shares	% of total shares	
1	H.E. The Governor of Bihar	2,62,50,000	50.00%	23.24%
2	H.E. The President of India	2,62,50,000	50.00%	23.24%
	Total			
Shares held by promoters at the end of the year ending 31st March 2021				% Change during the year
Sr. No.	Promoter Name	No. of Shares	% of total shares	
1	H.E. The Governor of Bihar	2,13,00,000	50.00%	99.97%
2	H.E. The President of India	2,13,00,000	50.00%	100%
	Total			

NOTE 14- OTHER EQUITY

₹ in Lacs

S.N.	Particulars	Balance as on 01st April'2021	Additions/ Adjustments	Total	Transfer	Balance as on 31st March'2022
		₹	₹	₹	₹	₹
A.	Deferred Income					
B.	Retained Earnings	296.18	(135.89)	160.29	-	160.29
C.	Share Application Money	-	-	-	-	-
	GOI		-	-	-	-
	GOB		20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
	TOTAL (A+B+C+D)	296.18	19,864.11	20,160.29	-	20,160.29

NOTE 15- BORROWINGS

₹ in Lacs

S.N.	Particulars	As on 31st March'2022	As on 31st March'2021
		₹	₹
1	Terms Loans		
2	Subordinate Debts	-	-
2.1	Bihar Urban Development Agency	-	63.32
2.2	GoB (For Land Acquisition)	80,808.50	-
	TOTAL	80,808.50	63.32

NOTE 16 OTHER FINANCIAL LIABILITIES

₹ in Lacs

S.N.	PARTICULARS	As at 31st March'2022		As at 31st March'2021	
		Non Current	Current	Non Current	Current
		₹	₹	₹	₹
1	EMD	-	-	-	-
2	Security Deposit (Ravi Travels)	0.50	-	-	-
3	Interest Accrued	-	-	-	-
4	Retention Payable	-	-	-	-
5	Payable for purchase of fixed assets	-	-	-	-
6	Duties & Taxes	-	7.17	-	-
7	Statutory Deductions	-	26.73	-	-
8	FA & CAO ECR (Crossing)	-	4,123.67	-	-
9	Creditor for Expenses	-	5.53	-	-
10	Nutan Enterprises	-	48.51	-	-
	Total	0.50	4,211.62	-	-

NOTE 17 PROVISIONS

₹ in Lacs

S.N.	PARTICULARS	As at 31st March'2022		As at 31st March'2021	
		Non Current	Current	Non Current	Current
		₹	₹	₹	₹
A.	For employees benefits				
	Salary Payable		11.29		1.59
B	Provisions		-		-
	Consultancy Fee Payable	-	2.97	-	1.40
	Office Maintenance Expenses Payable	-	-	-	-
	Rent Payable	-	175.68	-	8.43
	Security Guard Expenses Payable	-	0.10	-	0.36
	Telephone Charges Payable	-	0.09	-	-
	Outsourcing Expenses Payable	-	4.27	-	8.16
	Audit Fee Payable	-	2.44	-	0.59
	Consultancy Fee Payable to DMRC	-	12,846.40	-	7,707.84
	TDS Return filing charges payable	-	0.08	-	0.04
	Vehicle Hire Chages Payable	-	13.16	-	9.69
				-	-
	Total	-	13,056.48	-	7,738.09

NOTE 18-TRADE PAYABLES

₹ in Lacs

S.N.	Particulars	As on 31st March'2022	As on 31st March'2021
		₹	₹
1	Total outstanding dues of micro, small and medium enterprises	-	-
2	Total outstanding dues of creditors other than micro, small and medium enterprises	-	-
	TOTAL	-	-

NOTE 19- OTHER CURRENT LIABILITIES

₹ in Lacs

S.N.	Particulars	As on 31st March'2022	As on 31st March'2021
		₹	₹
1	Income Tax Payable	-	130.43
	TOTAL	-	130.43

NOTE 20 REVENUE FROM OPERATION

₹ in Lacs

Particulars	2021-22	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
	-	-
Total	-	-

NOTE 21 OTHER INCOME

₹ in Lacs

Particulars	2021-22	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
Interest Income	389.01	807.67
Other Income	-	8.73
Proior Period (Interest income)	-	8.44
Tender Fees Received	0.21	-
Total	389.22	824.83

NOTE 22 OPERATING EXPENSES

₹ in Lacs

Particulars	2021-22	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
Operation and Maintenance Expenses	-	-
External Project Expenses	-	-
Total	-	-

NOTE 23 EMPLOYEES BENEFITS EXPENSES

₹ in Lacs

Particulars	2021-22	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
Gross Salary and Allowances	183.07	1.59
Composite Transfer Grant	7.40	-
Less: Transfer To CWIP	19.15	-
Total	171.32	1.59

NOTE 24 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

Particulars	2021-22	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
Consultancy Charges	3.02	6.17
Salary to Company Secretary	4.20	-
Rent	86.86	25.28
Security Guard Expenses	1.25	1.24
Telephone Expenses	0.37	0.07
Audit Fees	2.09	0.59
Meeting Expenses	1.53	0.95
Miscellaneous Expenses	0.71	0.56
Printing & Stationery	1.57	1.82
Repair & Maintenance	0.03	-
TDS return filing charges	0.08	0.08
Outsourcing Expenses	38.31	81.16
Travelling Expenses	0.42	2.86
Vehicle hire charges	30.52	15.70
Advertisement Expenses	18.02	13.16
Interview Expense	1.32	-
Hard Disk	0.03	-
Books & Periodicals	0.00	-
Professional Tax	0.08	-
Legal and Professional Fee	1.08	-
Less: Advertisement Capitalized	2.85	-
Total	188.62	149.63

NOTE 25 DEPRECIATION & AMORTIZATION EXPENSES

Particulars	2021-22	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
Depreciation & Amortization Expenses		-
Tangible Assets	7.18	6.72
Intangible Assets	0.08	0.08
Total	7.25	6.80

NOTE 26 FINANCE COST

Particulars	2021-22	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
Bank Charges	0.00	-
Bank Guarantee Charges	-	-
Bank Interest	-	-
Total	0.00	-

NOTE 27 Exceptional and Extraordinary items

Particulars	₹ in Lacs	
	2021-22	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
1. Prior Period Expenses:		
Rent 2019-20	30.26	-
Rent 2020-21	60.52	-
Consultancy Charge for F.Y 2019-20	1.00	-
2. Preliminary expense w/o	-	204.50
Total	91.78	204.50

As per our report of even date	For and on behalf of the Board of Directors	
For' Shivanand Kumar & Co. Chartered Accountants Firm Reg. No. : 04610C Sd/- CA Shivanand Kumar Partner Membership No.: 054116 Place : Patna Date : 23.08.2022	Sd/- Director DIN : 09430440 Sd/- Company Secretary Place : Patna Date : 29.07.2022	Sd/- Managing Director DIN : 06584429 Sd/- CFO Place : Patna Date : 29.07.2022

Annual Report 2021-22

COMPUTATION OF DEPRECIATION UNDER INCOME TAX ACT

PARTICULARS		Rate of Dep.	Balance as on 01.04.2021	Addition UPTO 03.10.21 AFTER 03.10.21		Total	Dep. During the Year	Balance as on 31.03.2022
			₹	₹		₹	₹	₹
(BLOCK-I: COMPUTER Rate of Depreciation : 60%)								
Computer & Parts (03/06/2019)	40%		4,58,778.00	-	-	4,58,778.00	1,83,511.00	2,75,267.00
Laptop & Desktop (18/10/2019)	40%		1,62,624.00	-	-	1,62,624.00	65,050.00	97,574.00
UPS (27/11/2019)	40%		24,341.00	-	-	24,341.00	9,736.00	14,605.00
Tally Software (20/09/2019)	40%		7,646.00	-	-	7,646.00	3,058.00	4,588.00
Laptop (02/02/2021)	40%		23,040.00	-	-	23,040.00	9,216.00	13,824.00
I Pad (29/01/2021)	40%		1,04,720.00	-	-	1,04,720.00	41,888.00	62,832.00
Laptop (19/06/2020)	40%		1,84,225.00	-	-	1,84,225.00	73,690.00	1,10,535.00
Computer & Parts - Type Cover (14/07/2021)	40%		-	11,900.00	-	11,900.00	4,760.00	7,140.00
Computer & Parts - Scanner 1 (21/01/2022)	40%		-	-	26,999.00	26,999.00	5,400.00	21,599.00
Computer & Parts - Printer (22/02/2022)	40%		-	-	15,800.00	15,800.00	3,160.00	12,640.00
Computer & Parts - Scanner 2 (14/03/2022)	40%		-	-	24,199.00	24,199.00	4,840.00	19,359.00
Computer & Parts - Epson Large Printer(31/03/2022)	40%		-	-	1,79,921.00	1,79,921.00	35,984.00	1,43,937.00
TOTAL-I			9,65,374.00	-	-	9,65,374.00	3,86,149.00	7,83,900.00
(BLOCK-II: FURNITURE & FIXTURE Rate of Depreciation: 10%)								
			-	-		-	-	-
FURNITURE (27/06/2019)	10%		1,35,837.00	-	-	1,35,837.00	13,584.00	1,22,253.00
FURNITURE (05/02/2020)	10%		2,82,577.00	-	-	2,82,577.00	28,258.00	2,54,319.00
FURNITURE (21/01/2022)	10%		-	-	24,365.00	24,365.00	1,218.00	23,147.00
TOTAL-II			4,18,414.00	-	-	4,18,414.00	41,842.00	3,99,719.00
(BLOCK-III: PLANT & MACHINERY Rate of Depreciation: 15%)								
Biometric Machine (20/06/2019)	15%		9,385.00	-	-	9,385.00	1,408.00	7,977.00
Laptop (19/06/2020)	15%		62,560.00	-	-	62,560.00	9,384.00	53,176.00
Water purifier (17/03/2022)	15%		-	-	16,205.00	16,205.00	1,215.00	14,990.00
TOTAL-III			71,945.00	-	-	71,945.00	10,792.00	76,143.00
GRAND TOTAL (I+II+III)		₹ in Lacs	- 14.56	-	-	14.56	4.39	12.60

Annual Report 2021-22

COMPUTATION OF DEPRECIATION UNDER COMPANIES ACT

PARTICULARS	Rate of Dep.	Original Cost	Balance as on 01.04.2021	Addition UPTO 03.10.21	Total AFTER 03.10.21	Dep.	Balance as on During the Year	Balance as on 31.03.2022
			₹	₹		₹	₹	₹
(BLOCK-I: COMPUTER Rate of Depreciation : 60%)								
Computer & Parts (03/06/2019)	31.67%	12,74,383.00	5,35,751.00	-	-	5,35,751.00	4,03,594.00	1,32,157.00
Laptop & Desktop (18/10/2019)	31.67%	3,38,800.00	1,82,703.00	-	-	1,82,703.00	1,07,299.00	75,404.00
UPS (27/11/2019)	31.67%	50,711.00	29,111.00	-	-	29,111.00	16,056.00	13,055.00
Tally Software (20/09/2019)	31.67%	21,240.00	11,318.00	-	-	11,318.00	7,664.00	3,654.00
Laptop (02/02/2021)	31.67%	28,800.00	27,351.00	-	-	27,351.00	8,662.00	18,689.00
I Pad (29/01/2021)	31.67%	1,30,900.00	1,23,858.00	-	-	1,23,858.00	39,226.00	84,632.00
Laptop (19/06/2020)	31.67%	3,07,042.00	2,30,848.00	-	-	2,30,848.00	73,110.00	1,57,738.00
Computer & Parts - Type Cover (14/07/2021)	31.67%	11,900.00	-	11,900.00	-	11,900.00	2,695.00	9,205.00
Computer & Parts - Scanner 1 (21/01/2022)	31.67%	26,999.00	-	-	26,999.00	26,999.00	1,640.00	25,359.00
Computer & Parts - Printer (22/02/2022)	31.67%	15,800.00	-	-	15,800.00	15,800.00	535.00	15,265.00
Computer & Parts - Scanner 2 (14/03/2022)	31.67%	24,199.00	-	-	24,199.00	24,199.00	378.00	23,821.00
Computer & Parts - Epson Large Printer (31/03/2022)	31.67%	1,79,921.00	-	-	1,79,921.00	1,79,921.00	156.00	1,79,765.00
TOTAL-I		24,10,695.00	11,40,940.00	11,900.00	2,46,919.00	13,99,759.00	6,61,015.00	7,38,744.00
(BLOCK-II: FURNITURE & FIXTURE Rate of Depreciation: 10%)								
FURNITURE (27/06/2019)	9.50%	1,67,700.00	1,39,587.00	-	-	1,39,587.00	15,932.00	1,23,655.00
FURNITURE (05/02/2020)	9.50%	3,30,500.00	2,94,280.00	-	-	2,94,280.00	31,406.00	2,62,874.00
FURNITURE (21/01/2022)	9.50%	24,365.00	-	-	24,365.00	24,365.00	444.00	23,921.00
TOTAL-II		5,22,565.00	4,33,867.00		24,365.00	4,58,232.00	47,782.00	4,10,450.00
(BLOCK-III: PLANT & MACHINERY Rate of Depreciation: 15%)								
Biometric Machine (20/06/2019)	19.00%	12,990.00	8,588.00	-	-	8,588.00	2,468.00	6,120.00
I Phone (19/06/2020)	19.00%	73,600.00	62,643.00		-	62,643.00	13,984.00	48,659.00
Water Purifier (17/03/2022)	19.00%	16,205.00	-	-	16,205.00	16,205.00	127.00	16,078.00
TOTAL-III		1,02,795.00	71,231.00	-	16,205.00	87,436.00	16,579.00	70,857.00
GRAND TOTAL (I+II+III) ₹ in Lacs		30.36	16.46	0.12	2.87	19.45	7.25	12.20

M/S. PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED, PATNA							
	Ratio Analysis	Particulars	(₹) in Lacs	Particulars	(₹) in Lacs	31-Mar-22	31-Mar-21
1	Current Ratio	Current Assets Inventories Trade Receivables Cash and Bank balances Other Receivables/Accruals Loans and Advances Disposable Investments Any other current assets	- - 34,796.06 705.90 18,438.40 - 24.51 53,964.88	Current Liabilities Creditors for goods and services Short term loans Bank Overdraft Cash Credit Outstanding Expenses Provision for taxation Proposed dividend Unclaimed Dividend Any other current liabilities	- - - - 13,056.48 - - - 4,211.62 17,268.10	3.1251	3.5936
2	Debt Equity Ratio	Total Liabilities Total Outside Liabilities	98,077.10	Shareholder's Equity Total Shareholders Equity	72,660.29	1.3498	0.1849
3	Debt Service Coverage Ratio	Net Operating Income	NA	Debt Service	NA	NA	NA
4	Return on Equity Ratio	Profit for the period Net Profit after taxes - preference dividend (if any)	(136.96)	Avg. Shareholders Equity (Beginning shareholders' equity + Ending shareholders' equity) ÷ 2	57,777.70	(0.0024)	0.0123
5	Inventory Turnover Ratio	Cost of Goods sold	NA	Average Inventory	NA	NA	NA
6	Trade Receivables Turnover Ratio	Net Credit Sales	NA	Average Trade Receivables	NA	NA	NA
7	Trade Payables Turnover Ratio	Total Purchases	NA	Average Trade Payables	NA	NA	NA
8	Net Capital Turnover Ratio	Net Sales	NA	Average Working Capital	NA	NA	NA
9	Net Profit Ratio	Net Profit	NA	Net Sales	NA	NA	NA
10	Return on Capital employed	EBIT Profit before Interest and Taxes	(70.83)	Capital Employed Capital Employed	1,53,468.21	(0.0005)	0.0108
11	Return on Investment	Return/Profit/Earnings	NA	Investment	NA	NA	NA

PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED, PATNA

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31, 2022

NOTE-1

OTHER NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

CORPORATE INFORMATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

- CORPORATE INFORMATION:-** Patna Metro Rail Corporation Limited (referred to as "Company") is domiciled and incorporated in the State of Bihar (CIN U93090BR2019SGC041042) on 18th February'2019 with authorized capital of 20,00,00,000 equity share of ₹ 100/- per share. The company has been established as a 50:50 joint venture of Government of India and Government of Bihar. It was formed as a special purpose vehicle (SPV) on 18th February'2019 to execute Mass Rapid Transit System (MRTS) in Patna city by providing metro rail vide GoI (MoUD) Communiqué No. K-14011/P-1/2016-UT-V dated 27th February'2019, Government of India (GoI) conveyed its approval for the implementation of Patna Metro Rail Project Phase-1 (covering East-West & North- South Corridor), covering total length of 31.39 Km in two corridors namely (i) Danapur to Mithapur (16.94 km) and (ii) Patna Railway Station to New ISBT (14.45 km) with total approved completion cost of ₹ 13365.77 crore (with JICA ODA loan portion of ₹ 5520.93 crore).

As per contract agreement signed between DMRC & PMRCL on 25th September 2019, the work is to be completed in 5 Years from the date on which PMRCL hands over the project to DMRC.

As per the MoU signed on November 2019 between GoI, GoB and PMRCL the approved cost of completion of Patna Metro Rail Project is ₹ 13365.77 crores which will be financed as follows:

Sl. No.	Sources	Amount (₹ In crores)	Contribution
1.	GoI Equity	1441.12	15.66%
2.	GoI Subordinate Debt for CGST	399.19	4.34%
3.	GoB Equity	1441.12	15.66%
4.	GoB Subordinate Debt for CGST	399.19	4.34%
5.	Loan from bilateral/multilateral agencies	5520.93	60%
6.	Total Cost excluding Land, R&R , PPP Component	9201.55	100%
7.	PPP component (AFC for Station)	96.36	
8.	Total	9297.91	
9.	Govt. of Bihar Subordinate Debt for Land including R&R cost	3401.66	
10.	Subordinate Debt for SGST to be borne by Govt. of Bihar	645.48	
11.	IDC for Loan and Front End Fee to be borne by Govt. of Bihar	20.72	
12.	Total Completion Cost	13365.77	

Further, working permission of 17.00 acres & 10.45 acres of land has been

received from various departments of Government of India and Government of Bihar respectively till 31st March 2022.

2. **SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

- A. **Authorization of financial statements:-**The Financial Statements were authorized for issue in accordance with a resolution by Board of Directors
- B. **Basis of preparation of Financial Statements:-** The Financial Statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015; and the other relevant Provisions of Companies Act, 2013 and Rules there under. The Financial Statements have been prepared under historical cost convention basis except for certain assets and liabilities, which are measured at fair value. **The Company's presentation and functional currency is INR (₹).**
- C. **Use of judgments, estimates & assumptions:-**While preparing financial statements in conformity with Ind AS, we make certain estimates and assumptions that require subjective and complex judgments. These judgments affect the application of accounting policies and the reported amount of assets, liabilities, income and expenses, disclosure of contingent liabilities at the statement of financial position date and the reported amount of income and expenses for the reporting period. Financial reporting results rely on our estimate of the effect of certain matters that are inherently uncertain. Future events rarely develop exactly as forecast and the best estimates require adjustments, as actual results may differ from these estimates under different assumptions or conditions. We continually evaluate these estimates and assumptions based on the most recently available information.

Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected. In particular, information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements are as below:-

- Financial instruments;
- Useful lives of property, plant and equipment and intangible assets;
- Valuation of inventories;
- Measurement of recoverable amounts of cash-generating units;
- Assets and obligations relating to employee benefits;
- Provisions;
- Evaluation of recoverability of deferred tax assets; and
- Contingencies.

- D. **Property, Plant and Equipment:-**Property, plant and equipment shall be stated at cost, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. The initial cost of an asset comprises its purchase price or construction cost, any costs directly attributable to bringing the asset into the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, the initial estimate of any decommissioning obligation, if any, and, for assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use, finance costs. The purchase price or construction cost is the aggregate amount paid and the fair value of any other consideration given to acquire the asset.

- An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognized is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on de-recognition of the asset (calculated as the difference between the net realizable value and the carrying amount of the asset) is included in the Statement of Profit and Loss when the asset is derecognized.
- The residual values and useful lives of property, plant and equipment are reviewed at each financial year end and changes, if any, are accounted prospectively.
- Lease arrangements for land are identified as finance lease in case such arrangements result in transfer of the related risks and rewards to the Company.
- Stores & Spares which meet the definition of property plant and equipment and satisfy the recognition criteria of Ind AS 16 are capitalized as property, plant and equipment.
- Depreciation on Fixed Assets is provided on the Straight Line method on the basis of useful life determined, in the manner and at the rates calculated based on the useful life recommended under Schedule II to the Companies Act, 2013 and is charged pro rata on a daily basis on assets, from/up to and inclusive of the month of capitalization/sale, disposal or deletion during the year. In case of restatement of carrying value of any asset due to any price adjustments warranted due to receipt of government grants, the depreciation on revised unamortized depreciable amount is charged prospectively over the residual useful life of the asset. Residual value has been considered at 5%. Depreciation on stores and spares specific to an item of property, plant and equipment is based on life of the related property, plant and equipment.

E. **Intangible assets:-**Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses. Internally generated intangibles, excluding capitalized development costs, are not capitalized and the related expenditure is reflected in Statement of Profit or Loss in the period in which the expenditure is incurred.

- Cost of Software directly identified with hardware is capitalized along with the cost of hardware. Application software is capitalized as Intangible Asset.
- Intangible assets are amortized on straight line basis over their useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at each year end. The amortization expense on intangible assets with finite lives and impairment loss is recognized in the statement of profit and loss.

F. **Cash Flow Statement:-**The cash flow statement is prepared by indirect method set out in Ind AS 7 on cash flow statements and presents the cash flows by operating, investing & financing activities of the company. Cash & cash equivalent presented in the cash flow statement consist of balance in the Bank account and cash in hand.

- G. Borrowing Cost:**-Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period in which they occur.

Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds.

- H. Funding from Foreign Agencies:**-As per the funding pattern, 60 % of the Project cost is to be met by debt from bilateral/multilateral funding agencies, for which JICA has been chosen. According to the office memorandum of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, the project proposal of PMRCL (i.e. East-West & North – South Corridors) has been included in the JICA Rolling Plan at an estimated project cost of ₹ 13365.77 crore with JICA ODA loan portion of ₹ 5520.93 Crore. Based upon DMRC's experience with JICA, tender has been planned similarly. The Rolling stock, traction, tunnel ventilation, signaling, track work and underground civil work has been planned with JICA fund & rest with Non- JICA fund.

- I. Impairment of non-financial assets:**-At each balance sheet date, an assessment is made of whether there is any indication of impairment. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating units (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used.

- J. Inventories:**-Finished goods shall be valued at cost on FIFO basis or net realizable value whichever is lower. Cost includes Material Cost, Conversion cost and other cost incurred to bring the inventory to its present condition and location.

Work In Progress shall be valued at lower of cost or estimated realizable value. Cost includes Material Cost & conversion cost as applicable

The PMRC has no stock of inventories for the year as the Company has not yet commenced its operations. During the year, all the work has been awarded to various contractors on turnkey basis. Hence, the inventories will be accounted for after the completion of works. However, the company intends to value inventories at cost or net realizable value whichever is less and on weighted average basis as and when required.

Stores and spares which do not meet the recognition criteria under Property, Plant and Equipment are valued at weighted average cost.

- K. Government Grants:-**Government grants are recognized where there is reasonable assurance that the grant will be received and all attached conditions will be complied with. When the grant relates to an expense item, it is recognized as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed.

When the grant relates to an asset, it is recognized as income in equal amounts over the expected useful life of the related asset.

When the grants received are non – monetary in nature, the asset and the grant are recorded at fair value amounts and recognized in profit or loss over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

The Government grants have been accounted for in the books of accounts in accordance with Indian Accounting Standard 20. Further, the government grants have been recognized in the books of accounts on receipt basis. The grants by the Government and its Other Agencies have been given for execution of Metro Rail project. Therefore, the same are directly credited to Shareholders' Funds as per Capital Approach of Indian Accounting Standard 20.

- L. Employee benefits:-**The entire staff in the company were on deputation from various departments of Central Govt. / State Govt. / PSU and from outsourced employee of professional firms. The company did not have its permanent staff, so no employee benefit policy (such as pension, gratuity etc.) was envisaged. The liabilities of PMRC towards employee benefit of the officers/ employees on deputation lies with their parent organization/department/firm. Hence, PMRC paid their contributions regularly to the parent organization/ department, wherever applicable, as per rules. Therefore, there is no long term liability in this case.
- M. Revenue recognition:-**Revenue is recognized only when it can reliably be measured and it is reasonable to expect ultimate collection. As the commercial operations are yet to begin, the Company has no operational revenue for the financial year 2021-22.

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be measured reliably, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account contractually defined terms of payment and excluding taxes or duties collected on behalf of the government.

Revenue excludes any taxes and is measured at the fair value of the consideration received or receivable (after including fair value allocations related to multiple deliverable and/or linked arrangements), net of returns, taxes and applicable trade discounts and allowances.

N. Taxes on income

- **Current Tax:-**Income-tax Assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the time of reporting.

For transactions and other events recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or directly in equity), any related tax effects are also recognized outside profit and loss (either in other comprehensive income or directly in equity, respectively). Current tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Deferred tax:-Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

For items outside Profit or loss accounting other comprehensive income or in equity) deferred tax is also recognized outside profit or loss only (either in other comprehensive income or in equity). Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

- O. Provisions and contingent liabilities:-** Provisions are recognized when there is a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The expenses relating to a provision is presented in the statement of profit and loss net of any reimbursement.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

Contingent liabilities are possible obligations whose existence will only be confirmed by future events not wholly within the control of the Company, or present obligations where it is not probable that an outflow of resources will be required or the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability.

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are

disclosed unless the possibility of an outflow of economic resources is considered remote.

Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date. There are no contingent assets as on the date of Balance Sheet. Provision of expenses have been made at the year-end but provision for TDS and other statutory liability have been made at the time of expenses approved by the department.

P. Cash and Cash Equivalents:- Cash and cash equivalents comprises of cash at bank and cash in hand. The company considers all highly liquid investments with an original maturity of any period but en-cashable at short notice, to be cash equivalents.

Q. Segment Reporting (IndAS 108):- The disclosure for Indian Accounting Standard 108 is not required as the business activity of PMRC is yet to commence.

R. Investment:- investment, which are readily realizable and intended to be held for not more than one year from the date on which such investments are made, are classified as current investment. All other investments are classified as non-current investments. Current investments are carried in the financial statement at lower of cost or fair market value determined on an individual investment basis. Long term (non-current) investments are carried at cost; provision for diminution in value is made to recognize a decline other than temporary fall in the value of the investments.

S. Earnings Per Share:-

- a. Basic earnings per share are computed by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period as per Ind AS 33.
- b. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

3. PRIOR PERIOD EXPENSES:- Due care has been taken to provide for all outstanding expenses.

NOTES TO ACCOUNTS

1. SHARE CAPITAL:- Total of ₹ 52500 Lakh has been received i.e. ₹ 26250 Lakh each from Govt. of India and Govt. of Bihar and the equity shares of total amount of ₹52500 Lakh were allotted against the names as detailed below:-

S.N.	NAME	NO. OF EQUITY SHARE (Face value of ₹ 100/- each share)	AMOUNT (in unit of ₹)	SHARE ALLOTMENT IN FAVOUR OF
1	H.E. The President of India	26250000	2,62,50,00,000	Govt. of India
2	H.E. The Governor of Bihar	26245000	2,62,45,00,000	Govt. of Bihar
3	Initial Shareholders			
I	Robert Lalchungnunga Chongthu	10	1,000	
II	Rajeshwar Prasad Singh	10	1,000	
III	Binoda Nand Jha	10	1,000	
IV	Rahul Singh	10	1,000	
V	Sanjay Dayal	4940	4,94,000	
VI	Divesh Sehara	10	1,000	
VII	Chaudhary Anant Narayan	10	1,000	
TOTAL		52500000	5,25,00,00,000	

2. GOVERNMENT GRANTS-IN-AID:- The Government grants will be accounted for in the books of accounts in accordance with Indian Accounting Standard 20. Further, the government grants will be recognized in the books of accounts on receipt basis. The grants by the Government or any Other Agencies, if any, for the execution of Metro Rail project will be directly credited to Shareholders' Funds as per Capital Approach of Indian Accounting Standard 20.
3. LONG TERM BORROWINGS:- Interest free subordinate debts received from GOI & GOB are repayable after the repayment of all Non-Government Debts (i.e. Senior Debts).
- a. Interest Free Subordinate debt :- Following debts have been obtained by the company as interest free subordinate debt which will be repayable only after all the outside debts (ODA/PTA) are repaid:

Debt obtained from (Interest Free)	Purpose of debt	Amount received till 31.03.2022	Terms of debt
Govt. of Bihar	Subordinate Debt for Land	8,080,850,000/-	Long Term Borrowings

4. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS: - The Company recognizes provision where there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate. A disclosure for contingent liability is made when there is possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. Where there is a possible obligation or a present obligation that the likelihood of outflow of resource is remote, no provision or disclosure is made. Contingent assets are neither recognized nor disclosed. Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date. There are no contingent assets as on the date of Balance Sheet. Provision of expenses has been made at the year-end but provision for TDS and other statutory liability have been made at the time of expenses approved by the department.

5. DMRC fee is calculated at the rate 5% for corridor-I & 6% for corridor – 2 on project completion cost plus applicable GST & other taxes as applicable, the estimated project completion cost is ₹. 9435.51 crores. The discounted fee of ₹ 482.87 crore shall cover DMRC's establishment cost, corporate overheads for execution & supervision as well as technical consultancy & project management consultancy. State taxes/ duties etc., if leviable on this fee shall either be reimbursed to DMRC or exemption for the same shall be arranged by PMRCL.

If the project is not completed within the stipulated time period of 5 years due to no fault of DMRC, & the scope of work do not change, an additional fee @ 70% of the said monthly average fee, being ₹ 5.93 crore plus GST & other taxes as applicable for every additional month or part thereof will be payable to DMRC by PMRCL by 10th of the following month during the extended period. If the scope of work undergoes changes, then fee to DMRC @ 6% plus GST & other taxes as applicable on the increased scope of work is also payable on the additional completion cost irrespective of the fee payable for the original scope. Cost of DDC including GST will be charged to project cost.

6. NON-CURRENT LOANS & ADVANCE:- Advance given to Bihar State Industrial Development Corporation Ltd. towards supply of furniture and electronics amounting to ₹ 24,39,496/- on 11/09/2019 but utilization certificate is yet to be received.

7. SHORT TERM LOANS & ADVANCES:-

- a. A short term advance given to Infrastructure Development Authority toward supply of furniture and interior decoration amounting to ₹ 9,53,897/- on 11/09/2019 but utilization certificate is received before completion of balance sheet but after the reporting date, hence treated as current asset.
- b. A short term advance given to Naveen Bhatnagar for Filing of Returns and Forms with MCA RoC, Patna amounting to ₹ 1,04,200/- on 26/10/2021 but agreed work is not done so amount is shown as receivable.
- c. A short term advance is given to BUIDCO for Interior Decoration and Renovation Work of 5th Floor at Indira Bhawan based PMRCL office amounting to ₹ 1,07,00,000/- on 14/03/2022
- d. A short term advance is given to NHAI for construction of Load Bearing Drain amounting to ₹ 22,10,00,000/- on 30/03/2022 and the construction is expected to be completed in F.Y 2022-23.
- e. A short term advance of ₹ 45,05,49,298/- given to FA & CAO – East Central Railway/Hajipur for railway crossing and its agreement between PMRCL and East Central Railway is yet to be signed. Further, the payment was initiated in the month of March'2022 but actual payment was released on April'2022.

8. **OUTSOURCING AGENCY:-** During the year under review, steps have been initiated to employ key functionaries in the company. The work of the company during the year was, therefore, carried out by the employees of UD&HD jointly with employees on deputation from Central Government/ State Government / PSU/ Board/ organization of GoB/ outsourced employee of professional firms. Employees were hired from the following Government or private Agencies :-
- BUDA: - 1 Section Officer & 2 Assistants were hired from Bihar Urban Development Agency (BUDA). Project allowance is paid to them on monthly basis.
 - BELTRON: - 7 Data Entry Operators along with 7 IT Boys & Girls were hired in April, 2019 from Bihar State Electronics Development Corporation (BELTRON) for smooth functioning of PMRCL. The monthly salary at which they are hired is paid to BELTRON. During the F.Y 2021-22 the strength is at 6 Data Entry Operator along with 6 IT Boys & Girls.
 - M/s Jaiswal Brajesh & Company (CA Firm):- As per the agreement signed between BUDA & M/s Jaiswal Brajesh & Co., a letter was issued to hire one accountant & one assistant accountant for PMRCL accounts section. Keeping an eye on the pace of operation, a further change was made & only one accountant was hired for the account section of PMRCL on 13th March, 2019. The monthly salary at which one accountant is hired is paid to the firm i.e. M/s Jaiswal Brajesh & Co.
 - R R Enterprises: As per agreement between PMRCL and RR Enterprises to provide manpower for services required as necessary. Currently 4 IT Boys/Girls were deployed at PMRCL office (Indira Bhawan) from 24.01.2022, payment of which is to be made to RR Enterprises.
9. **Office Premises :-** Since the company was incorporated, a deed of lease was signed between Bihar State Industrial Development Corporation Ltd & Urban Development & Housing Board, New Secretariat, Patna on 28th February, 2019 for a period of 3 years which is applicable from 01.03.2019 to 28.02.2022 (which may be extended according to mutual consent). For having PMRCL's registered office at Indira Bhawan, R.C. Singh Path, Patna, a total area of 11880 sq.ft. (i.e. 8380 sq. ft. on 5th floor & 3500 sq. ft. on 7th floor) was taken on rent @ ₹44/sq.ft. + Maintenance @ ₹7/sq.ft. , applicable for every month. As only the 7th floor was occupied since March, 2019 by PMRCL, rent @ ₹44/sq.ft. + Maintenance charges @ ₹7/sq.ft. was paid only for 3500 sq.ft. + 18% GST (i.e. ₹1,78,500.00 + 32,130 = ₹ 2,10,630.00) monthly. No rent or maintenance charges is paid for 5th floor yet but provision for the payments is now made in the F.Y. 2021-22.
- Further, this deed is extended up to 28.02.2025 with revised rate of lease rent having total area of 11,880 sq.ft. (i.e. 8380 sq. ft. on 5th floor & 3500 sq. ft. on 7th floor) with rent @ ₹50.6/sq.ft. + Maintenance @ ₹8/sq.ft. , applicable for every month beginning from 01.03.2022.
- Apart from rent & Maintenance as mentioned in the deed, a interest free security of amount equal to 3 months' rent was deposited to BSIDCL. The amount of security deposit was ₹ 18,17,640.00 (i.e. 11880sq.ft. @ ₹(44 + 7)/ sq.ft.). The amount of security deposit will be refunded within a week as and when PMRCL will vacant the premises & give the possession to the Lessor.
10. **OFFICE PREMISES GIVEN TO DMRC:-** As per the Agreement between DMRC and PMRCL dated 25th September'2019 it was stated that PMRCL is to Provide office accommodation to DMRC and the rent of which is to be borne by PMRCL. Keeping this in view, PMRCL entered into an agreement with Smt. Sanjana Dayal on 27th October'2021 for 3 Years commencing from 11th October'2021 to 10th October'2024 having a monthly rental rate of ₹ 38 per Sq. Feet for the office space of 3000 Sq. Feet (i.e. ₹ 1,14,000/- per month) and this space is given to DMRC as per the

agreement. Treatment of such rent is done by capitalizing it in project cost as it is directly attributable to the ongoing Project which is under construction.

11. **CASTING YARD:-** As per the Agreement between PMRCL and M/S Nutan Enterprises on 28th February'2021 a vacant land of 14 acres was taken on lease by PMRCL and is given to DMRC for Construction of Casting Yard for a period of 5 years commencing from 28th May'2021 till 27th May'2026 and the Lease Rent agreed upon is at ₹ 1.97 per Sq. Feet + applicable taxes (i.e. ₹ 85,813 per Acre per month + applicable taxes). Treatment of such lease rent is done by capitalizing it in project cost as it is directly attributable to the ongoing Project which is under construction.
12. **AUDIT FEES:-** Detail expenses under Audit Fees charged to Profit and Loss Account during the year are :-

I. Statutory Audit Fee (FY 2021-22)	–	Rs. 59,000/-
II. Internal Audit Fee (FY 2020-21 & 2021-22)	–	Rs. 53,600/-
III. Secretarial Audit Fee (FY 2020-21 & 2021-22)	–	Rs. 96,000/-
Total	–	Rs. 2,08,600/-
13. **PERFORMANCE GUARANTEE:** Bank Guarantee amounting to ₹ 250,000/- is submitted by M/S R.R Enterprises against performance guarantee for a period of one year as FD receipt towards Manpower Supply.
14. **PRELIMINARY EXPENSES:-**Preliminary expenses are the expenses incurred prior to incorporation of a Company, these are normally the expenses which founders/promoters of the company incur on account of government and professional fee paid to the consultant while incorporating the company. The project reports prepared to assess the viability of the project as such and the expenses incurred towards the brand building of the company while the incorporation process is underway.
15. **PRIOR PERIOD:-** Income/expenses related to previous years which could not be taken in books of account are debited/credited in Profit and Loss account during the year are as follows :

Nature of expense	Amount (₹)
1. Rent of 5th floor Indira Bhawan for F.Y 2019-20	3,025,850/-
2. Rent of 5th floor Indira Bhawan for F.Y 2020-21	6,051,700/-
3. Short Provision for Tax relating to F.Y. 2020-21	6,687,841/-
4. Consultancy Fee for F.Y 2019-20	100,000/-

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Report on the Standalone financial Statements

We have audited the accompanying Ind AS standalone financial statements of **PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED ("the Company")**, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2022 and the Statement of Profit and Loss and the Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Ind AS standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Ind AS :

- a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company as at 31st March, 2022, and
- b) In the case of the Statement of Profit & Loss, of the Loss of the company for the year ended on that date and
- c) In the case of the Statement of Changes in Equity, of the changes in equity for the year ended on that date and
- d) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the standards on auditing specified under section 143 (10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Management's Responsibility for the Standalone financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Ind AS standalone financial statements that give a true and fair view of the standalone financial position, standalone financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of Sub-section (11) of Section 143 of the Companies Act, 2013 and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we give in the Annexure A a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as it appears from our examination of those books.
 - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit & Loss, the Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.
 - d) In our opinion, the aforesaid Ind AS standalone financial statement complies with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - e) The provision of section 164(2) of the Act is not applicable on the company as Government Companies are exempt from applicability of section 164(2), vide Notification No. GSR 463(E) dated 5th June, 2015.
 - f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over standalone financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure-B.
 - g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we report that:
 - i) The Company have pending litigations, which are listed below:

SR.NO	CASE NO.	PARTICULARS	AS ON 31.03.2022	AS ON DATE OF REPORT
1	862 of 2022	Balram kumar V/s State of Bihar (Regarding acquisition of land for Patna Metro Rail Project Depot at Ranipur Mauza and Pahari Mauza of Patna)	Disposed by Hon'ble High court Patna for Hearing in the court of D.M., Patna	Case disposed in favour of PMRCL by the court of D.M., Patna vide order dated 01/04/2022
2	4562 of 2022	Lalita Devi V/s State of Bihar (Regarding acquisition of land for Patna Metro Rail Project Depot at Ranipur Mauza and Pahari Mauza)	With Hon'ble High court Patna	With Hon'ble High court Patna

		of Patna)		
3	7650 2022	of Rajnish Kumar V/s State of Bihar (Regarding acquisition of land for Patna Metro Rail Project Depot at Ranipur Mauza and Pahari Mauza of Patna)	N.A.	With Hon'ble High court Patna
4	7579 2022	of Ranjeet Kumar V/s State of Bihar (Regarding acquisition of land for Patna Metro Rail Project Depot at Ranipur Mauza and Pahari Mauza of Patna)	N.A.	With Hon'ble High court Patna
5	7641 2022	of Usha Devi V/s State of Bihar (Regarding acquisition of land for Patna Metro Rail Project Depot at Ranipur Mauza and Pahari Mauza of Patna)	N.A.	With Hon'ble High court Patna
6	7726 2022	of Meena Devi V/s State of Bihar (Regarding acquisition of land for Patna Metro Rail Project Depot at Ranipur Mauza and Pahari Mauza of Patna)	N.A.	With Hon'ble High court Patna
7	8427 2022	of Raj Laxmi Bhushan V/s State of Bihar (Regarding acquisition of land for Patna Metro Rail Project Depot at Ranipur Mauza and Pahari Mauza of Patna)	N.A.	With Hon'ble High court Patna
8	8577 2022	of Sunil Kumar Amar V/s State of Bihar (Regarding acquisition of land for Patna Metro Rail Project Depot at Ranipur Mauza and Pahari Mauza of Patna)	N.A.	With Hon'ble High court Patna

- ii) The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund by the Company.
- iv)a) No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee,

security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

- b) No funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
- c) Based on audit procedures which we considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that may cause to believe that the representations under sub-clause (a) and (b) contain any material mis-statement.
- v) No dividend has been declared or paid during the year in contravention of the provisions of section 123 of the Companies Act, 2013.
- h) The limit prescribed by section 197 for maximum permissible managerial remuneration is not applicable on the company as Government Companies are exempt from applicability of section 197, vide Notification No. GSR 463(E) dated 5th June, 2015.

**For SHIVANAND KUMAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**

Sd/-

(Shivanand Kumar)
Partner

Place: Patna
Date: 23/08/2022

Membership No.054116
FRN NO.: 004610C
UDIN: 22054116APQSNH6437

ANNEXURE-A TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Annexure referred to in paragraph 1 under the 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' our report to the members of PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED, ("the company") for the year ended on 31st March, 2022. We report that:-

- 1) In respect of its property, plant & equipment:
 - A. The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of property, plant & equipment.
 - B. As explained to us, these Properties, Plants & Equipments have been physically verified by the management but not in accordance with a phased programme of verification which in our opinion may be reasonable, having regard to the size of the Company and the nature of its assets. The frequency of physical verification is reasonable and no material discrepancies were noticed on such verification.
 - C. According to the records of Company, the Company has no immovable property as on date.
 - D. The company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year.
 - E. No proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under.
- 2) In respect of its inventories:
 - A. The inventory has been physically verified during the year by the management. In our opinion, the frequency of verification is reasonable. NA
 - B. The procedures of physical verification of inventories followed by the management are reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business. NA
 - C. On the basis of our examination of the records of inventory, we are of the opinion that the Company is maintaining proper records of inventory. There was no material discrepancies noticed on physical verification of inventories as compared to the book records. NA
 - D. No working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets has been sanctioned to the company, during any point of time of the year. NA
- 3) The Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured to Companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013 and hence provisions of paragraph 3(iii) of the aforesaid Order are not applicable to the Company.
- 4) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not made any loans, investment, guarantees and security to which provisions of Section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 are applicable.
- 5) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted deposits from the public to which provisions of Sections 73 to Section 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 are applicable. No Order has been passed by the Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any Court or any other Tribunal.
- 6) We have been informed that the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section 148(1) of the Companies Act, 2013.
- 7) A. According to the records of the Company, the Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, GST, duty of customs, cess and other statutory dues applicable to it. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident

- fund, employees' state insurance, sales tax, wealth tax, duty of customs, duty of excise, value added tax or cess and other statutory dues were outstanding, as at 31-03-2022, for a period of more than six months from the date they became payable.
- B. According to the records of the Company and information and explanations given to us, there are no disputed dues on account of Income tax or Sales tax or GST or duty of Customs or duty excise or Value Added tax that have not been deposited.
- 8) No unrecorded transactions in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).
- 9) Based on our audit procedures and according to the information and explanations given to us by the management, we are of the opinion that the Company has not defaulted in repayment of dues to financial institutions and bank, Government or dues to debenture holders.
- 10) A. The Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instrument) as per the records of Company. The Company has not raised term loans during the year.
B. The Company has issued capital through private placement under right issue, 9900000 shares of ₹ 100.00 amounting to ₹ 9900 lakhs. Therefore, based upon the audit procedures performed and information and explanations given to us by the management, the requirements of section 42 and section 62 of the Companies Act, 2013 have been complied with and the funds raised shall be used for the purposes for which the funds were raised.
- 11) A. Based upon the audit procedures performed and information and explanations given to us by the management, no material fraud by the Company or on the Company by its officer or employees has been noticed or reported during the year.
B. No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government.
C. Based upon the audit procedures performed and information and explanations given to us by the management, no whistle-blower complaints have been identified.
- 12) The Company is not a Nidhi Company and the Nidhi Company Rule, 2014 are not applicable to Company and hence the provision to the Clause 3(xii) of the aforesaid Order is not applicable to the Company.
- 13) The Company has complied with all requirements regarding disclosure of related party transaction in accordance with the requisite rules as far as applicable under the Companies Act & Accounting Standards.
- 14) The company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business and the Internal Audit has been duly conducted. The report of the Internal Auditor for the period under audit was considered by us to the extent reliable as per our professional judgment.
- 15) The Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and hence provisions of the clause 3(xv) of the aforesaid order are not applicable to the Company.
- 16) In our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and accordingly, the provisions of clause 3(xvi) of the order is not applicable to the Company and hence not commented upon.
- 17) Based on our audit procedures and according to the information and explanations given to us by the management the Company has incurred cash losses in the financial year amounting to ₹ 129.39 lakhs but not in the immediately preceding financial year.
- 18) We have been informed that no statutory auditors have resigned during the year and hence the provision to the Clause 3(xviii) of the aforesaid Order is not applicable to the Company.

- 19) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.
- 20) We have been informed that Corporate Social Responsibility is not applicable to the company as prescribed under section 135 of the Companies Act, 2013 and hence provisions of the clause 3(xx) of the aforesaid order are not applicable to the Company.
- 21) The Company is not a party to consolidated financial statement and hence the provision to the Clause 3(xxi) of the aforesaid Order is not applicable to the Company.

**For SHIVANAND KUMAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**

Sd/-
(Shivanand Kumar)
Partner
Membership No. 054116
FRN NO.: 004610C

Place: Patna

Date: 23/08/2022

'ANNEXURE - B TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Annexure referred to in paragraph 2(f) under the 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our report to the members of PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED, ("the company") for the year ended on 31st March, 2022.

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-Section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls over financial reporting of PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED ("the Company") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the Ind AS standalone financial statements of the Company for the year then ended on that date.

Management's Responsibility for the Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities includes design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of the assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013 to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and both issued by the ICAI. Those Standards and Guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide a reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and preparation of standalone financial statements for external purpose in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
2. Provide reasonable assurance that the transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with the generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Company; and
3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial control over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material aspects, an adequate internal financial control system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**For SHIVANAND KUMAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**

Sd/-

(Shivanand Kumar)
Partner
Membership No. 054116
FRN NO.: 004610C

Place: Patna

Date: 23/08/2022

SECRETARAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED (PMRCL)

URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT, VIKAS BHAWAN,

NEW SECRETARIATE, PATNA – 800015.

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions under the Companies Act and the adherence to good corporate practices by PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED (CIN: U93090BR2019SGC041042). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED's books, registers, documents, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company, and also the information provided by the company, its officers and authorized representatives, during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31ST MARCH' 2022 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, registers, documents, minute books, forms, and returns filed and other record maintained by PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED (CIN: U93090BR2019SGC041042) for the financial year ended on 31st March' 2022 according to the provisions of:

- i) The Companies Act' 2013 (the Act) and the rules made there under including any amendment / modification thereof;
- ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;
- iii) The Depositories Act, 1996 and the regulations and Bye- Laws framed there under;
- iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- v) Environment (Prevention of Pollution Control) Act, 1986;
- vi) Memorandum of Association and Articles of Association of the Company;

vii) Secretarial Standards as issued by ICSI.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. mentioned above subject to the following observations:

- (A) **The filings of forms / returns with Statutory and / or Regulatory Authorities, in some cases, were NOT done on time and hence there were late filings in such cases.**
- (B) The Company has called and convened Four (4) meetings of Board of Directors during the financial year on 16/07/2021, 29/09/2021, 16/11/2021 and 14/03/2022 respectively. **The meeting held on 16/07/2021 was primarily proposed to be held on 19/07/2021 vide notice sent on 13/07/2021. However, the meeting was rescheduled on 16/07/2021 by issue of shorter notice on 14/07/2021. Section 173(3) of the Act states that "A meeting of the Board of Directors shall be called by giving not less than seven (07) days' notice" which also applies in case of any rescheduled meeting.** However, no objection for short notice of Board Meeting was raised by any Director and the Company does not have any Independent Director on its Board
- (C) As per verbal information given by the Company, No Circular Resolution was passed by the Members of the Board of Directors during the financial year under reporting.
- (D) The Company has convened and held one Audit Committee Meeting, during the financial year under review, on 22/10/2021.
- (E) The Company, during the financial year, held One (1) General Meeting, i.e. the 02nd Annual General Meeting (AGM) on 16th November, 2021 vide Notice dated 08/11/2021. **Further as per the Notice, the 02nd AGM was convened to be held on 15/11/2021 but was later deferred to 16/11/2021 and the Notice for deferring the meeting from 15/11/2021 to 16/11/2021 was served on 15/11/2021.**
- (F) The Company has issued and allotted Equity Shares of face value of Rs.100/- each amounting to Rs. 99 (ninety-nine) crores on 14/03/2022 (i.e. for Rs. 49.50 (fortynine crore fifty lakhs to President of India and further for Rs. 49.50 (fortynine core fifty lakhs to Governor of Bihar respectively). The Return of Allotment (PAS-3) was filed on 07/04/2022.

Majority decisions are carried through consensus while the dissenting members' views, wherever required, or if requested, are captured and recorded as part of the minutes.

I further report that, subject to our above observations, the Company is yet to develop the required or adequate monitoring mechanism or systems and processes in the company to monitor and to ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the audit period there was no redemption, buyback of shares / other securities or debentures and nor there was any merger / amalgamation.

THIS REPORT WITH 'ANNEXURE – A' IS ISSUED UNDER UDIN:F005204D002836967

**For A Kumar & Associates
Company Secretaries**

Sd/-

Name of Company Secretary: Ajay Kumar
Proprietor

Place: Patna
Date: 30.12.2022

FCS No.: 5204
C.P. No.: 3433

NOTE: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as "ANNEXURE A" and forms an integral part of this report.

To,

**The Members,
PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED (PMRCL)
URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT, VIKAS BHAWAN,
NEW SECRETARIATE, PATNA - 800015**

Our Secretarial Audit Report of even date, for financial year 2021-22, is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed, provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of accounts of the Company.
4. Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
7. Based on verification of documents and amendments in Companies Act, and rules framed there under, **we hereby make the following recommendations for future compliances** under Companies Act, 2013 (the Act) :-
 - (a) The Company shall immediately ensure that all the Committees of the Board, as applicable to the Company under the various provisions of the Companies Act 2013, are duly constituted / formed.
 - (b) Although, filing of ADT-1 for appointment of statutory auditor is not mandatory in government Company, however, after insertion of Form 22A by MCA the corporation is always advised to file ADT-1 for every Financial Year as without this the Company will not be able to file Form 22A.
 - (c) As per section 152, a person cannot be appointed as a director / act to continue as director unless he / she has obtained a valid Director Identification Number (DIN). The company is advised to ensure the compliance of this provision of the Act at all times.

- (d) The Company shall ensure that considering the provisions of section 248 of the Act, non filing of Financial Statements of more than one year shall not be in back log, considering the provisions in section 167(1)(a) of the Act.
- (e) Consent for shorter notice of meetings shall also contain the consent for shorter period for delivery of accompanying documents as required under clause 1.2.7 of SS-2.
- (f) The Company shall ensure that, in order to be valid, seven clear days notice for the Board meetings must be given and if meetings are held at shorter notice, One Independent director shall be present in the meeting. If the Board meetings are held at short notice, in which Independent Director is not present, Minutes of such meetings must be ratified by Independent Director.
- (g) Meetings of Committees of the Board of Directors must be convened in accordance with the guidelines issue by the Board of Directors in respect of such Committee meetings.

THIS REPORT WITH 'ANNEXURE – A' IS ISSUED UNDER UDIN: F005204D002836967

**For A Kumar & Associates
Company Secretaries**

Sd/-

Name of Company Secretary: Ajay Kumar

Proprietor

FCS No.: 5204

C.P. No.: 3433

Place: Patna

Date: 30.12.2022

Speed Post



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना-800 001

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

संख्या TSC/A.A/PARCL/2021-22/31

No.

Indian Audit & Accounts Department
Office of the Accountant General (Audit) Bihar
Birchand Patel Marg, Patna - 800 001

दिनांक/Date : 10/02/2023

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि०
नगर विकास एवं आवास विभाग,
विकास भवन, पटना - 800015.

विषय:- 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयाँ।

महोदय,

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड लिमिटेड के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयाँ संलग्न की जा रही है।

इसे कम्पनी के वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत करें एवं प्रस्तुतीकरण की तिथि एवं सभा की कार्यवाही की प्रति इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें। वार्षिक प्रतिवेदन की मुद्रित प्रति भी इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजे।

विश्वासभाजन,

(के०एस०एम०रफी)

उप महालेखाकार (TSC)

अनुलग्नक: यथोपरि।

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE ACCOUNTS OF THE PATNA METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022.

The preparation of financial statements of Patna Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March, 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory Auditors appointment by the Comptroller & Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 23 August 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6) (a) of the Act of the financial statement of the Patna Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March, 2022. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Balance Sheet as on 31st March 2022

Assets

1. Non-Current Assets

b) Capital work in progress (Note No. 3)- ₹ 1167.16 Crore

The above head wrongly includes ₹ 740.95 crore, as Capital Work in Progress (CWIP), instead of being shown under the head Loans and Advances.

The Patna Metro Rail Corporation Limited (PMRCL) was incorporated on 18 February 2019, as a Special Purpose Vehicle (SPV), for the implementation of Patna Metro Rail Project (Project) in Patna. The project comprises two corridors of a total length of 31.39 km viz (i) Danapur to Mithapur (16.94 km) and (ii) Patna Railway Station to New ISBT (14.45 km), at a total completion cost of ₹ 13,365.77 crore. The project cost included land cost of ₹ 3,390.51 crore.

In this connection, the District Land Acquisition Officer (DLAO), Patna demanded (November 2021) ₹ 790.81 crore, for acquisition of land of 75.49 acre for construction of Patna Metro Rail. The PMRCL paid ₹ 740.95 crore (₹ 308.09 crore in January 2021 and ₹ 432.86 crore in March 2022) to the DLAO for possession of land. The DLAO was to provide a Utilization Certificate (UC) for land acquisition. However, the DLAO had neither provided UC for the amount transferred to him nor he had provided ownership of

the land to PMRCL, by the end of 31st March, 2022. As such, the amount was to be shown under the head 'Loans and Advances'. However, the said amount had been booked under the head 'CWIP'. This had resulted in overstatement of CWIP, as well as, understatement of Loan & Advances, by ₹ 740.95 crore each.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**Sd/-
(Ramawatar Sharma)
Accountant General (Audit), Bihar**

**Place: Patna
Date: 10.02.2023**

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी भाषा के वार्षिक प्रतिवेदन की हिंदी में अनुवादित प्रति है। उक्त अनुवादित प्रतिवेदन के अर्थ, घटना या संदर्भ को समझने हेतु या किसी प्रकार की त्रुटि होने पर या स्पष्टीकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता होने पर अंग्रेजी के वार्षिक रिपोर्ट के अर्थ, घटना या संदर्भ को आखिरी तथा निर्णायक समझें।

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विषय-सूची

क्र. सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	कॉर्पोरेट जानकारी	67
2	निदेशकों की रिपोर्ट	68-75
3	वार्षिक रिटर्न का सारांश -MGT-9	76-82
4	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणी	83-101
5	खातों के लिए नोट्स एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	102-112
6	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	113-126
7	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	127-131
8	वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	132-134

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट जानकारी:-

निदेशक बोर्ड

श्री सुरेन्द्रकुमार बागडे , अपर सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
श्री आनंद किशोर , प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार	प्रबंध निदेशक
श्री जयदीप विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार	निदेशक
श्री महेश कुमार निदेशक (परियोजना), महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निदेशक
श्री भुवनेश कुमार गुप्ता कार्यकारी निदेशक / परियोजना निगरानी रेल मंत्रालय, भारत सरकार	निदेशक
श्री महेंद्र कुमार निदेशक (विद्युत), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	निदेशक
श्री मिथिलेश मिश्रा अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार	निदेशक
श्रीमती शैलजा शर्मा अतिरिक्त सचिव, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार	निदेशक
श्री सतीश कुमार सिंह विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार	निदेशक
श्री पंकज कुमार संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग ,बिहार सरकार	निदेशक

वैधानिक लेखापरीक्षक	सचिवीय लेखापरीक्षक	आंतरिक लेखापरीक्षक
मेसर्स शिवानंद कुमार एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट	मेसर्स ए. कुमार एंड एसोसिएट्स प्रक्टिसिंग कंपनी सचिव	मेसर्स लक्ष्मी अग्रवाल बोस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट

कंपनी सचिव

आलोक कुमार श्रीवास्तव

बैंकर्स

पंजाब नेशनल बैंक & भारतीय स्टेट बैंक

पंजीकृत कार्यालय:

शहरी विकास एवं आवास विभाग,

विकास भवन , नया सचिवालय,

पटना-800015

ई-मेल-mail.pmrcl@gmail.com

सीआईएन- U93090BR2019SGC041042

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड |

आपके निदेशकों को आपके समक्ष, 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय विशिष्टताएं

31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति का सारांश नीचे दिया गया है:

(₹लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए
कुल आय (राजस्व आय के अलावा)	389.22	824.84
कुल व्यय	367.20	158.02
अपवादात्मक और असाधारण मद	91.78	204.50
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(69.75)	462.31
घटाएं: आयकर के लिए प्रावधान	-	130.43
घटाएं: पहले के वर्षों के लिए आयकर समायोजन	66.68	-
घटाएं: आस्थगित कर (देयता/संपत्ति)	(0.75)	0.08
कर के बाद लाभ/(हानि)	(135.89)	331.80
घटाएँ: जनरल रिजर्व में ट्रांसफर	-	-
घटाएँ: प्रस्तावित लाभांश	-	-
घटाएँ: लाभांश कर	-	-
बैलेंस शीट में ले जाया गया बैलेंस	(135.89)	331.80

2. पटना मेट्रो रेल परियोजना का संक्षिप्त विवरण

पटना मेट्रो रेल परियोजना भारत के बिहार राज्य में निर्माणाधीन पहली मेट्रो रेल परियोजना है। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2019 में कुल रु. 13,365.77 करोड़ की लागत से मंजूरी दी गई थी। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PMRCL) का गठन और पंजीकरण फरवरी, 2019 में किया गया था। परियोजना के चरण- I में दो कॉरिडोर यानी कॉरिडोर-1 और कॉरिडोर-2 और एक डिपो शामिल हैं।

पटना मेट्रो का कॉरिडोर - I दानापुर से खेमनीचक तक चलता है और सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्र, रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना चिड़ियाघर, विकास भवन, विद्युत भवन, पटना रेलवे स्टेशन, मीठापुर, रामकृष्ण नगर, जगनपुरा से होकर गुजरता है और कॉरिडोर II से खेमनीचक से जुड़ता है।

पटना मेट्रो का कॉरिडोर - II पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से पटना रेलवे स्टेशन तक चलता है और जीरो माइल, भूतनाथ, खेमनीचक, मलाही पकड़ी, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन, मोइन-उल-हक स्टेडियम, पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच, गांधी मैदान, आकाशवाणी से होकर गुजरता है। पटना रेलवे स्टेशन पर कॉरिडोर-I से जुड़ता है।

कोरिडोर	एलिवेटेड		भूमिगत		कुल	
	लम्बाई (किमी)	स्टेशन (संख्या)	लम्बाई (किमी)	स्टेशन (संख्या)	लम्बाई (किमी)	स्टेशन (संख्या)
कोरिडोर-I : दानापुर - खेमनीचक	7.424	8	10.508	6	17.932	14
कोरिडोर -II: पटना रेलवे स्टेशन- पाटलिपुत्र बस टर्मिनल	6.49	5	8.085	7	14.575	12
कुल	13.914	13	18.593	13	32.507	26

3. कार्य प्रगति की स्थिति: वित्तीय वर्ष 2021 – 2022

वन विभाग से पेड़ों के स्थानांतरण की अनुमति प्राप्त हो गई है और एनएचएआई से काम करने की अनुमति मिल चुकी है। पथ निर्माण विभाग (RCD) द्वारा 1 मार्च, 2021 को RCD रोड के मध्य में मेट्रो लाइन बनाने के लिए NOC प्रदान की गई थी। राज्य अग्निशमन विभाग से कॉरिडोर-I के 7 नंबर के एलिवेटेड स्टेशन और कॉरिडोर-II के 5 नंबर एलिवेटेड स्टेशन के लिए एनओसी मांगी गई है। राज्य अग्निशमन विभाग की तरफ से अनंतिम एनओसी दानापुर और सगुना मोड़ मेट्रो स्टेशनों के लिए 07 अप्रैल, 2021 को और जीरो माइल स्टेशन व पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन के लिए 20 मार्च, 2021 को प्राप्त हुई थी।

अनुबंध पीसी-01, यानी मलाही पकड़ी से न्यू आईएसवीटी तक कॉरिडोर- II का एलिवेटेड हिस्सा, मेसर्स एनसीसी लिमिटेड को दिया गया था जिसका अनुबंध मूल्य 552.9 करोड़ रुपये का था और पूरा करने की अवधि 30 महीने की थी। निर्माण कार्य दिनांक 28 सितम्बर 2020 को शुरू हुआ और अब तक 760 पाइल्स, 47 पाइल-कैप तथा 28 पिरर्स का कार्य पूरा कर लिया गया है।

अनुबंध पीसी-03, यानी आकाशवाणी से राजेंद्र नगर स्टेशन तक कॉरिडोर- II का भूमिगत हिस्सा मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को दिया गया था, जिसका अनुबंध मूल्य 1989.00 करोड़ रुपये था और पूरा करने की अवधि 42 महीने की थी। निर्माण कार्य दिनांक 10 जनवरी 2022 को प्रारम्भ हुआ। भू-तकनीकी जांच और अन्य कार्य प्रगति पर हैं।

अनुबंध पीसी-04, यानी दानापुर से खेमनीचक तक कॉरिडोर- I का एलिवेटेड हिस्सा मेसर्स वाईएफसी-एमसीएल जेवी लिमिटेड को दिया गया था, जिसका अनुबंध मूल्य 553.50 करोड़ रुपये था और पूरा करने की अवधि 36 महीने की थी। निर्माण कार्य दिनांक 10 जनवरी 2022 को प्रारम्भ हुआ। सर्वेक्षण, भू-तकनीकी जांच जैसे प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है।

परियोजना की बाहरी वित्त पोषण एजेंसी (जेआईसीए) ने नवंबर 2021 में पटना मेट्रो रेल परियोजना स्थलों का दौरा किया और परियोजना के लिए वित्त पोषण के संबंध में तथ्यान्वेषी सर्वेक्षण किया। परियोजना के लिए जेआईसीए और पीएमआरसीएल के बीच स्मारक पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2021 को जारी किया गया था। जेआईसीए अध्ययन दल ने परियोजना का प्रारंभिक अध्ययन-कार्य शुरू कर दिया है जो कि ऋण समझौते को अंतिम रूप देने से पहले आवश्यक है।

4. परिचालन

पटना मेट्रो रेल परियोजना निर्माण के प्रारंभिक चरण में है और परिचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

5. लाभांश

परियोजना प्रारंभिक चरण में है और परिचालन शुरू होना बाकी है। इसलिए, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

6. रिज़र्व में स्थानांतरण

जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है, कंपनी के मुनाफे को कंपनी के रिज़र्व और सरप्लस खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इसी तरह वर्ष के दौरान हुए नुकसान को रिज़र्व और सरप्लस खाते से समायोजित किया जाएगा।

7. तथ्यगत परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वित्तीय वर्ष 2021-22 दौरान ऐसी कोई तथ्यगत परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हों।

8. जमा

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के तहत कंपनी ने जनता से कोई जमा आमंत्रित या स्वीकार नहीं की है।

9. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निम्नलिखित परिवर्तन हुए:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नियुक्त निदेशक

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	डीआईएन	तिथि	पद
1	श्री सुरेन्द्र कुमार काशीराम बागडे	02305641	01/07/2021	अध्यक्ष, भारत सरकार
2	श्री सतीश कुमार सिंह	09430440	21/06/2021	नामित निदेशक, बिहार सरकार
3	श्रीमती शैलजा शर्मा	09478553	04/06/2021	नामित निदेशक, बिहार सरकार
4	श्री गोरख नाथ	09452085	29/09/2021	नामित निदेशक, बिहार सरकार
5	श्री मिथिलेश मिश्रा	07487205	28/01/2022	नामित निदेशक, बिहार सरकार

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जिन निदेशकों की सेवा समाप्त हुई

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	डीआईएन	तिथि	पद
1	श्री कामरान रिज़वी	01653503	01/07/2021	अध्यक्ष, भारत सरकार
2	श्री गोरख नाथ	09452085	28/01/2022	नामित निदेशक, बिहार सरकार

10. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(c) एवं 134(5) के तहत आवश्यक है, निदेशक बताते हैं कि:

क. वार्षिक खातों को तैयार करने में, सामग्री की निकासी के लिए उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखांकन मानकों का

पालन किया गया था;

- ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निर्बाध रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय व अनुमान किये हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि की स्थिति की एक सत्य और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत कर सके;
- ग. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखेबाजी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
- घ. निदेशकों ने वार्षिक खातों को चलायमान-प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया है;
- ङ. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का प्रयोग किया और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

11. लेखा परीक्षक और उनकी रिपोर्ट

11.1. आंतरिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट

कंपनी ने मेसर्स लक्ष्मी अग्रवाल बोस एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, को आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया और उनकी रिपोर्ट की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है।

11.2. सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) ने मेसर्स शिवानंद कुमार एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, पटना को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया। दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को **अनुलग्नक 1** के तौर पर वित्तीय विवरणों में संलग्न किया गया है।

11.3. सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट

कंपनी ने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, मेसर्स ए. कुमार एंड एसोसिएट्स, को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया। दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक II** के रूप में संलग्न है।

12. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) की रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(a) के अंतर्गत की गई है। C&AG ने वार्षिक खातों पर “केवल एक” टिप्पणी दी है और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए C&AG की रिपोर्ट **अनुलग्नक III** के रूप में संलग्न है।

13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) की टिप्पणियां और प्रबंधन के जवाब:

टिप्पणी:-

31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट

परिसंपत्तियां

1. गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां

ख) पूंजीगत कार्य प्रगति (नोट संख्या 3) - ₹ 1167.16 करोड़

“उपरोक्त शीर्ष में ₹740.95 करोड़ को ऋण और अग्रिम के तहत दिखाए जाने के बजाय गलत तरीके से पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में शामिल किया गया है।

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PMRCL) को पटना में पटना मेट्रो रेल परियोजना (परियोजना) के कार्यान्वयन के लिए 18 फरवरी 2019 को एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में शामिल किया गया था। इस परियोजना में 31.39 किमी की कुल लंबाई के दो कॉरिडोर शामिल हैं, अर्थात (i) दानापुर से मीठापुर (16.94 किमी) और (ii) पटना रेलवे स्टेशन से न्यू आईएसबीटी (14.45 किमी), जिसकी कुल लागत 13,365.77 करोड़ रुपये है। परियोजना लागत में ₹ 3,390.51 करोड़ की भूमि लागत शामिल थी।

इस संबंध में, जिला भू-अर्जन अधिकारी (डीएलएओ), पटना ने पटना मेट्रो रेल के निर्माण के लिए 75.49 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए, ₹790.81 करोड़ की मांग की (नवंबर 2021)। पीएमआरसीएल ने भूमि के कब्जे के लिए डीएलएओ को ₹740.95 करोड़ (जनवरी 2021 में ₹308.09 करोड़ और मार्च 2022 में ₹432.86 करोड़) का भुगतान किया। डीएलएओ को भूमि अधिग्रहण के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रदान करना था। हालांकि, डीएलएओ ने 31 मार्च, 2022 के अंत तक न तो उसे हस्तांतरित की गई राशि के लिए यूसी प्रदान किया था और न ही उसने पीएमआरसीएल को भूमि का स्वामित्व प्रदान किया था। इस प्रकार, राशि को 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाना था। हालांकि, उक्त राशि को 'सीडब्ल्यूआईपी' मद में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को अधिक बताया गया, साथ ही ऋण और अग्रिम में प्रत्येक को ₹ 740.95 करोड़ कम दिखाया गया।”

प्रबंधन का जवाब:-

पटना मेट्रो के लिए 75.49 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए जिला भू-अर्जन अधिकारी (डीएलएओ) को ₹740.95 करोड़ का भुगतान किया गया था लेकिन डीएलएओ कुछ अदालती मामलों के कारण समय पर यूसी प्रदान नहीं कर सका। हालांकि, सुझाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 के वित्तीय विवरणों में शीर्ष को 'सीडब्ल्यूआईपी' से बदलकर 'ऋण और अग्रिम' कर दिया जाएगा।

डीएलएओ, पटना से यूसी प्राप्त होने पर राशि को "भूमि" शीर्षक के तहत पूंजीकृत किया जाएगा।

14. सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और प्रबंधन के उत्तर:

क. सांविधिक और/या विनियामक प्राधिकरणों के साथ फॉर्म/रिटर्न दाखिल करना, कुछ मामलों में, समय पर नहीं किया गया था और इसलिए ऐसे मामलों में फाइलिंग देर से हुई थी।

प्रबंधन का जवाब:-

इन-हाउस विशेषज्ञों की अनुपलब्धता व कोविड-19 महामारी के कारण सांविधिक और/या विनियामक प्राधिकरणों के साथ फॉर्म/रिटर्न दाखिल करना समय पर नहीं किया जा सका था।

अब, प्रबंधन सांविधिक और/या विनियामक प्राधिकरणों, यदि कोई हो, के समक्ष फॉर्म/रिटर्न दाखिल करने के लिए उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखेगा।

ख. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः दिनांक 16/07/2021, दिनांक 29/09/2021, दिनांक 16/11/2021 और दिनांक 14/03/2022 को निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें बुलाई और आयोजित की हैं। दिनांक 16/07/2021 को आयोजित बैठक मुख्य रूप से दिनांक 19/07/2021 को प्रस्तावित थी जिसके लिए दिनांक 13/07/2021 को नोटिस भेजी गई थी। हालांकि, दिनांक 14/07/2021 को अल्प सूचना जारी करके बैठक को

दिनांक 16/07/2021 को पुनर्निर्धारित किया गया था। अधिनियम की धारा 173(3) में कहा गया है कि "निदेशक मंडल की बैठक कम से कम सात (07) दिनों की नोटिस देकर बुलाई जाएगी" जो किसी पुनर्निर्धारित बैठक के मामले में भी लागू होती है। हालांकि, बोर्ड बैठक के बारे में संक्षिप्त सूचना को लेकर किसी भी निदेशक द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

प्रबंधन का जवाब:-

दिनांक 19.07.2021 की सूचित बोर्ड बैठक को अति आवश्यक आधार पर पीएमआरसीएल के अध्यक्ष की सहमति से 16.07.2021 को बुलाया गया था।

अब से, प्रबंधन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के अनुसार सात (07) दिनों की पूर्व सूचना की न्यूनतम आवश्यकता का ध्यान रखेगा।

- ग. कंपनी ने, वित्तीय वर्ष के दौरान, एक (1) आम बैठक, यानी दूसरी वार्षिक आम बैठक (AGM) 16 नवंबर, 2021 को की जिसके लिए दिनांक 08/11/2021 को नोटिस भेजी गई थी। *आगे नोटिस के अनुसार, दूसरी एजीएम दिनांक 15/11/2021 को आयोजित की जानी थी, लेकिन बाद में इसे दिनांक 16/11/2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और दिनांक 15/11/2021 से दिनांक 16/11/2021 तक बैठक स्थगित करने की सूचना दिनांक 15/11/2021 को दी गई।*

प्रबंधन का जवाब:-

दिनांक 15.11.2021 को आहूत दूसरी वार्षिक आम बैठक को अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पुनर्निर्धारित किया गया था और दिनांक 16.11.2021 को आहूत किया गया था।

अब से, कंपनी की वार्षिक आम बैठक की तारीख के पुनर्निर्धारण, यदि कोई हो, के मामले में प्रबंधन कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का ध्यान रखेगा।

15. कॉर्पोरेट प्रशासन

कंपनी अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का लगातार प्रयास करती है।

16. शेयर पूँजी

अधिकृत पूँजी

31 मार्च, 2022 तक कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी ₹2000,00,00,000 (दो हजार करोड़ रुपये मात्र) है, जिसमें ₹100/- प्रत्येक के 20,00,00,000 (बीस करोड़) इक्विटी शेयर शामिल हैं।

शेयर पूँजी

31 मार्च, 2022 को कुल प्रदत्त शेयर पूँजी ₹525 करोड़ (पांच सौ पच्चीस करोड़ रुपये मात्र) थी, जिसमें ₹100/- प्रत्येक के 5,25,00,000 (पांच करोड़ पच्चीस लाख) इक्विटी शेयर शामिल थे।

17. धारा 186 के तहत ऋण गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई ऋण या गारंटी नहीं दी गई है या कोई निवेश नहीं किया गया है और इसलिए उक्त प्रावधान लागू नहीं है।

18. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध या प्रबंधन का विवरण।

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या प्रबंधन नहीं किया है।

19. वार्षिक रिटर्न का सारांश

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 (ए) और धारा 92 की उप-धारा (3) के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक वार्षिक रिटर्न के सारांश को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

20. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने बोर्ड की दो समितियों का गठन किया है, कंपनी और अन्य कानूनी प्रावधानों के संचालन के आकार और प्रकृति के अनुरूप लेखा परीक्षा समिति और नामांकन व पारिश्रमिक समिति।

21. वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या

21.1. बोर्ड की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान, बोर्ड की चार बैठकें हुईं, यानी जुलाई 2021 की 16 तारीख को, सितंबर, 2021 की 29 तारीख को, नवंबर, 2021 की 16 तारीख को और मार्च, 2022 की 14 तारीख को।

21.2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति:

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान समिति की बैठक 22 अक्टूबर, 2021 को हुई।

22. सूचना का अधिकार (RTI)

कंपनी ने एक आरटीआई सेल का गठन किया है जिसमें भारत का कोई भी नागरिक जो आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, अनुरोध कर सकता है।

23. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

बोर्ड ने अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय खुलासे की समय पर तैयारी और प्रस्तुतिकरण द्वारा कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

24. सचिवीय मानकों का अनुपालन अर्थात् एसएस-1 और एसएस-2

कंपनी निदेशक मंडल की बैठकों पर 'एसएस-1' सचिवीय मानक और आम बैठकों पर 'एसएस-2' सचिवीय मानक का अनुपालन कर रही है।

25. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक

की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

26. नियामकों या न्यायालयों द्वारा पारित आदेश, यदि कोई हो

वित्तीय वर्ष के दौरान विनियामकों, न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और तथ्यगत आदेश पारित नहीं किये गये जिससे कंपनी की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति और भविष्य में कंपनी के परिचालनों पर प्रभाव पड़ता हो।

27. कर्मचारियों के विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के तहत रिपोर्ट किए जाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की श्रेणी में कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है।

28. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

चूंकि कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) के अनुसार कोई तकनीकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय नहीं है और निदेशकों के पास ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा आय और व्यय पर रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

29. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, बिहार सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार की विभिन्न अन्य एजेंसियों और सामान्य परामर्शदाताओं, ठेकेदारों एवं उनके सभी कंसोर्टियम सदस्यों को उनके समर्थन और सहयोग के लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय, सांविधिक लेखापरीक्षकों, बैंकों और कंपनी के मामलों से जुड़े विभिन्न अन्य हितधारकों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता है। बोर्ड सभी कर्मचारियों को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

**पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से**

ह/-

(सुरेंद्रकुमार बागडे)

अध्यक्ष

डीआईएन-02305641

दिनांक: 17.04.2023

स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म संख्या एमजीटी-9
वार्षिक रिटर्न का सारांश

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार
[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12
(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

विवरण	विस्तृत ब्योरा
सीआईएन	U93090BR2019SGC041042
पंजीकरण की तारीख	18/02/2019
कंपनी का नाम	पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयरों द्वारा सिमित कंपनी (सरकारी कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	नगर विकास एवं आवास विभाग विकास भवन , नया सचिवालय पटना - 800015 IN दूरभाष:- 0612-2215550 मोब:-8797842999 ईमेल आईडी:-mail.pmrcl@gmail.com वेबसाइट:-
क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ:-

(कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाएगा)

क्र.सं.	नाम और विवरण मुख्य उत्पादों/सेवाओं	उत्पाद/सेवा/विवरण का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का%
	रेलवे और पाइपलाइनों के माध्यम से भूमि परिवहन	एच 2	100%

III. होल्लिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण:-

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्लिंग/सहायक/संबद्ध	धारित शेयरों का %	
1	लागू नहीं				

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल विवरण)

वर्तमान में, कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 100% 50:50 अनुपात में भारत सरकार (जीओआई) और बिहार सरकार (जीओबी) द्वारा आयोजित किया जाता है।

i. श्रेणीवार शेयर होल्डिंग:-

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान परिवर्तन %		
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %		
A. प्रमोटर											
1. भारतीय											
क	व्यक्ति/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ख	केंद्र सरकार	-	21300000	21300000	50	-	26250000	26250000	50	23.24	
ग.	राज्य सरकार(रें)	-	21300000	21300000	50	-	26250000	26250000	50	23.24	
घ	निकाय कार्पोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ड.	बैंक /वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
च	कोई और	-	-	-	-	-	-	-	-		
उप-योग (A) (1)		-	42600000	42600000	100		52500000	52500000	100	-	
(2) विदेशी											
क	एनआरआई- व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ख	अन्य- व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ग.	निकाय कार्पोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
घ.	बैंक /वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ड.	कोई और	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
उप-योग (क) (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
प्रमोटर (क) की कुल हिस्सेदारी = (क) (1) + (क) (2)		-	42600000	42600000	100		52500000	52500000	100	-	
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता											
1. संस्थाएं											
क	म्यूचुअल फंड्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ख	बैंक /वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग.	केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ.	राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड	वेंचर कैपिटल फंड्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च	बीमा कंपनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ	एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज	विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) (1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थाएं										
क	निकाय कापॉरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	प्रवासी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख	व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	1 लाख रुपए तक की सांकेतिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	1 लाख रुपये से अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर		-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)		-	42600000	42600000	100		52500000	52500000	100	-

ii. प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल शेयरों में बंधक / भारित शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल शेयरों में बंधक / भारित शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर धारिता में प्रतिशत बदलाव
1	महामहिम राष्ट्रपति, भारत	21300000	50%	-	26250000	50%	-	23.24
2	महामहिम राज्यपाल, बिहार	21300000	50%	-	26250000	50%	-	23.24
	कुल	42600000	100%	-	52500000	100%	-	-

iii. प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया निर्दिष्ट करें)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%
क.	वर्ष की शुरुआत में				
1	महामहिम राष्ट्रपति, भारत	21300000	50	-	-
2	महामहिम राज्यपाल, बिहार	21300000	50	-	-
	कुल	42600000	100	-	-
ख.	शेयरधारिता में परिवर्तन				
1.	भारत के राष्ट्रपति 14.03.2022(आवंटन)	4950000	-	26250000	50
2.	बिहार के राज्यपाल- 14.03.2022(आवंटन)	4950000	-	26250000	50
ग.	वर्ष के अंत में				
1	भारत के राष्ट्रपति (GoI)	-	-	26250000	50
2	बिहार के राज्यपाल- (GoB)	-	-	26250000	50
	कुल	-	-	52500000	100

iv. शीर्ष दस शेयरधारकों के शेयरहोल्डिंग पैटर्न (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा): लागू नहीं

v. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

vi. ऋणग्रस्तता-शून्य

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए बकाया नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	सुरक्षित ऋण जमा को छोड़कर	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता	-	-	-	-
i) मूल राशि				
ii) ब्याज देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है				
(iii) अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं				
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	-	-	-	-
• योग				
• कमी				
शुद्ध परिवर्तन	-	-	-	--
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	-	-	-	-
i) मूल राशि				
ii) ब्याज देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है				
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/ या प्रबंधक को पारिश्रमिक: लागू नहीं

	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/मैनेजर का नाम				कुल राशि (रुपए में)
		-	-	-	-	
1.	सकल वेतन					
	क. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-				
	ख. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य					
	ग. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-				
2.	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-	-
4.	आयोग	-	-	-	-	-
	• लाभ के % के रूप में					
	• अन्य (निर्दिष्ट करें)					
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
	कुल (क)	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	-	-	-	-	-

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक : (लागू नहीं)

पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि (रुपए में)
	-	-	-	-	-
स्वतंत्र निदेशक <ul style="list-style-type: none"> बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क आयोग अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें 	-	-	-	-	-
कुल (1)	-	-	-	-	-
अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक <ul style="list-style-type: none"> बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क आयोग अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें (पारिश्रमिक भुगतान) 	-	-	-	-	-
कुल (2)	-	-	-	-	-
कुल (ख)=(1+2)	-	-	-	-	-
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-
अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	-	-	-	-	-

ग. एमडी/ मैनेजर/ डब्ल्यूटीडी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक :- लागू नहीं

पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			कुल राशि रुपए में
	सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	
1. सकल वेतन <p>क. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन</p> <p>ख. अनुलाभ का मूल्य धारा 17(2)आयकर अधिनियम, 1961 के तहत</p> <p>ग. धारा 17(3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के एवज में लाभ</p>	-	-	-	-
2. स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3. उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4. आयोग <ul style="list-style-type: none"> लाभ के% के रूप में अन्य (निर्दिष्ट करें) 	-	-	-	-
5. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	420,0000	-	-
	-	420,0000	-	-

V. दंड/सजा/अपराधों का शमन:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपराधों का कोई दंड/सजा/शमन नहीं था।

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/-

(सुरेंद्रकुमार बागड़े)

अध्यक्ष

डीआईएन-02305641

दिनांक: 17.04.2023

स्थान: नई दिल्ली

मेसर्स पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना

31 मार्च 2022 को तुलन पत्र

विवरण		नोट संख्या	31 मार्च '2022 को (₹ लाख में)	31 मार्च '2021 को (₹ लाख में)
क	परिसंपत्तियां			
1	गैर-चालू संपत्तियां			
क)	संपत्ति संयंत्र उपकरण	2	12.16	16.35
ख)	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	3	1,16,716.46	22,516.52
ग)	अमूर्त संपत्ति	4	0.04	0.11
घ)	वित्तीय पूँजी			
i)	ऋण और अग्रिम	5	24.39	-
ii)	अन्य वित्तीय आस्तियां	6	18.22	18.22
ड.)	अन्य गैर-चालू संपत्तियां	7	-	0.13
च)	आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	8	1.24	0.49
2	चालू संपत्तियां			
क)	वित्तीय आस्तियां			
i)	व्यापार प्राप्त्य	9	-	-
ii)	नकद और नकद समकक्ष	10	34,796.06	19,936.05
iii)	अन्य बैंक बैलेंस	11	-	-
iv)	ऋण और अग्रिम	5	18,438.40	8,285.35
v)	अन्य वित्तीय आस्तियां	6	705.90	-
ख)	अन्य चालू परिसंपत्तियां	7	0.04	-
ग)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	12	24.47	54.81
	कुल		1,70,737.39	50,828.02
ख	इक्विटी और देनदारियां			
	इक्विटी			
क)	इक्विटी शेयर पूँजी	13	52,500.00	42,600.00
ख)	अन्य इक्विटी	14	20,160.29	296.18
	देयताएं			
1)	गैर मौजूदा देनदारियां			
क)	वित्तीय देनदारियां			
i)	उधारी	15	80,808.50	63.32
ii)	अन्य वित्तीय देनदारियां	16	0.50	-
ख)	प्रावधान	17	-	-
ग)	आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	8	-	-
2)	चालू देनदारियां			
क)	वित्तीय देनदारियां			
i)	देय व्यापार	18	-	-
ii)	अन्य वित्तीय देनदारियां	16	4,211.62	-

Annual Report 2021-22

ख	अन्य चालू देनदारियां	19	-	130.43
ग)	प्रावधान	17	13,056.48	7,738.09
	TOTAL		1,70,737.39	50,828.02
	तुलन पत्र पर नोट्स तथा लाभ और हानि का विवरण	1 to 27	-	-

उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट के आधार पर		निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से	
शिवानन्द कुमार एंड कंपनी के लिए			
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स		ह/-	ह/-
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 04610C		निदेशक	प्रबंध निदेशक
		डीआईएन : 09490440	डीआईएन : 06584429
ह/-		ह/-	ह/-
सीए शिवानन्द कुमार		कंपनी सचिव	सीएफओ
पार्टनर			
सदस्यता संख्या: 054116			
स्थान : पटना			स्थान : पटना
तिथि : 23.08.2022			तिथि : 29.07.2022

मेसर्स पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, पटना

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का विवरण

विवरण		नोट संख्या	2021-22	2020-21
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
क	आय			
1	परिचालन से राजस्व	20	-	-
2	अन्य आय	21	389.22	824.83
	कुल आय (क)		389.22	824.83
ख	व्यय			
1	परिचालन खर्च	22	-	-
2	कर्मचारी लाभ व्यय	23	171.32	1.59
3	अन्य प्रशासनिक व्यय	24	188.62	149.63
4	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25	7.25	6.80
5	वित्तीय लागत	26	0.00	-
	कुल व्यय (ख)		367.20	158.02
ग	असाधारण और अपवादात्मक मद से पहले लाभ/(हानि)।		22.02	666.82
	घटाएं: असाधारण और अपवादात्मक मद	27	91.78	204.50
	असाधारण और अपवादात्मक मद के बाद लाभ/(हानि)।		(69.75)	462.31
घ	कर का प्रावधान			
	(ए) मौजूदा कर			130.43
	(बी) पिछले वर्षों के संबंध में कर समायोजन		66.88	
	(सी) आस्थगित कर देयता / (संपत्ति)		(0.75)	0.08
ड.	निरंतर संचालन से लाभ/(हानि)		(135.89)	331.80
च	संचालन बंद करने से लाभ/(हानि)।			
छ	लाभ/(हानि) वर्ष के लिए		(135.89)	331.80
	कुल		(135.89)	331.80
	प्रति इक्विटी शेयर आय			
	(1) मूल		(0.32)	2.82
	(2) तरल		(0.32)	2.82
	बैलेंस शीट पर नोट्स और लाभ और हानि का विवरण	1 to 27		

उक्त तिथि की हमारी रिपोर्ट के आधार पर

शिवानन्द कुमार एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 04610C

ह/-

सीए शिवानन्द कुमार

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 054116

स्थान : पटना

तिथि : 23.08.2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-

निदेशक

डीआईएन : 09490440

ह/-

प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 06584429

ह/-

कंपनी सचिव

ह/-

सीएफओ

स्थान : पटना

तिथि : 29.07.2022

मेसर्स पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना
31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

	₹ लाख में			
	2022		2021	
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शुद्ध आय		(135.89)		331.80
जोड़ें: व्यय जिसमें नकदी की आवश्यकता नहीं है:-				
मूल्यहास	7.25		6.80	
आयकर	-		130.43	
विलंबित कर	(0.75)		0.08	
प्रीपेड व्यय बट्टे खाते में डाले गए	0.13	6.64	204.50	341.81
जोड़ें: वर्तमान संपत्ति में कमी:-				
सूची	-		-	-
व्यापार प्राप्तियां	-		-	-
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	-		-	-
अन्य चालू परिसंपत्तियां	-		-	-
वर्तमान कर संपत्तियां	30.34	30.34	-	-
घटाएँ: चालू सम्पत्तियों में वृद्धि:-				
वर्तमान कर संपत्तियां	-		(54.81)	-
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	(10,153.05)		(7,377.44)	-
व्यापार प्राप्तियां	-		-	-
अन्य वित्तीय संपत्तियां	(705.90)		-	-
अन्य चालू परिसंपत्तियां	(0.04)	(10,859.00)	(0.13)	(7,432.38)
जोड़ें: वर्तमान देनदारियों में वृद्धि: -				
लघु अवधि की उधारी	-		-	-
व्यापार देनदारियां	-		-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	4,211.62		-	-
अल्पावधि प्रावधान	5,318.39	9,530.01	5,149.81	5,149.81
घटाएँ: वर्तमान देनदारियों में कमी:-				
लघु अवधि की उधारी	-		-	-
व्यापार देनदारियां	-		-	-
अन्य वर्तमान देनदारियां	(130.43)		-	-
अल्पावधि प्रावधान	-	(130.43)	-	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद		(1,558.33)		(1,608.95)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				-

जोड़ें:- अचल संपत्तियों की बिक्री		-	-
घटाएं :- नए उपकरणों की खरीद		(2.99)	(5.40)
घटाएं :- पूंजीगत कार्य प्रगति पर हैं		(94,199.94)	(14,674.28)
घटाएं :- निवेश में वृद्धि		(24.39)	-
निवेश गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी		(94,227.33)	(14,679.68)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
जोड़ें: - शेयर पूंजी		9,900.00	42,595.00
जोड़ें: - शेयर एप्लिकेशन मनी		20,000.00	(11,000.00)
कम:- उधार चुकाया गया		(63.32)	295.00
जोड़ें:- सुरक्षा जमा		0.50	-
जोड़ें:- दीर्घावधि उधार		80,808.50	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद		1,10,645.68	31,300.00
नकद में शुद्ध वृद्धि/कमी		14,860.02	15,011.36
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		19,936.05	4,924.68
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		34,796.06	19,936.05
<p>उक्त तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार</p> <p>निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से</p> <p>शिवानन्द कुमार एंड कंपनी के लिए</p> <p>चार्टर्ड एकाउंटेंट्स</p> <p>फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 04610C</p> <p>ह/-</p> <p>सीए शिवानन्द कुमार</p> <p>पार्टनर</p> <p>सदस्यता संख्या: 054116</p> <p>स्थान : पटना</p> <p>तिथि : 23.08.2022</p>			
<p>ह/-</p> <p>निदेशक</p> <p>डीआईएन : 09490440</p> <p>ह/-</p> <p>प्रबंध निदेशक</p> <p>डीआईएन : 06584429</p> <p>ह/-</p> <p>कंपनी सचिव</p> <p>सीएफओ</p> <p>स्थान : पटना</p> <p>तिथि : 29.07.2022</p>			

मेसर्स पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी

₹ लाख में

रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
42,600	9,900	52,500

ख. अन्य इक्विटी

₹ लाख में

		आरक्षित और अधिशेष			
	शेयर आवेदन लंबित आवंटन	पूँजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	प्रतिधारित आय	कुल
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि (01-04-2021)	-	-	-	296.18	296.18
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-
लाभांश	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	-	-	-	(135.89)	(135.89)
बिहार सरकार के लिए प्राप्त किया	20,000.00	-	-	-	20,000.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (31-03-2022)	20,000.00	-	-	160.29	20,160.29

मेसर्स पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, पटना

नोट-2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

₹ लाख में

मद	फर्नीचर, फिटिंग और उपकरण	संयंत्र और मशीनरी	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर और आईटी सिस्टम	कुल
	₹	₹	₹	₹	₹
सकल वहन राशि					
01 अप्रैल, 2021 तक	4.98	0.00	0.87	21.31	27.15
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.24	0.00	0.16	2.59	2.99
निपटान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2022 को अंतिम सकल वहन राशि	5.23	0.00	1.03	23.89	30.15
संचित मूल्यहास और परिशोधन					
01 अप्रैल, 2021 तक	0.64	0.00	0.15	10.01	10.81
वर्ष के लिए मूल्यहास लगाया गया	0.48	0.00	0.17	6.53	7.18
निपटान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2022 को अंतिम संचित मूल्यहास/परिशोधन	1.12	0.00	0.32	16.54	17.98
31 मार्च, 2021 को शुद्ध वहन राशि	4.34	0.00	0.71	11.30	16.35
31 मार्च 2022 को शुद्ध वहन राशि	4.10	-	0.71	7.35	12.16

नोट-3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

₹ लाख में

मद	31 मार्च '2022 को	वर्ष के दौरान पूंजीकरण/स्थानांतरण	कुल	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	31 मार्च '2021 को
	₹	₹	₹	₹	₹
डीएमआरसी को दी गई प्रोफेशनल फीस	25,692.80	-	25,692.80	10,277.12	15,415.68
डीएमआरसी को दिया गया मोबिलाइजेशन शुल्क	1,351.84	1,351.84	2,703.68	-	2,703.68
जिला भू-अर्जन अधिकारी	74,107.09	-	74,107.09	74,099.72	7.37
डीएमआरसी द्वारा प्रदान की गई उपयोगिता	15,335.82	-	15,335.82	11,020.37	4,315.45
राइट्स लिमिटेड को डीपीआर शुल्क का भुगतान	82.60	-	82.60	8.26	74.34
कास्टिंग यार्ड	117.84	-	117.84	117.84	-
डीएमआरसी किराया	6.47	-	6.47	6.47	-
कर्मचारी लाभ व्यय पूंजीकृत	19.15	-	19.15	19.15	-
विज्ञापन व्यय पूंजीकृत	2.85	-	2.85	2.85	-
कुल	1,16,716.46	1,351.84	1,18,068.30	95,551.78	22,516.52

3.1 वित्त वर्ष 2020-21 में CWIP के तहत डीएमआरसी को मोबिलाइजेशन शुल्क के रूप में कुल ₹. 270,368,000.00 दर्ज किया गया, जिसमें से शेष 10 तिमाहियों की अनवशोषित राशि 2020-21 की CAG नोटिंग के अनुसार ऋण और अग्रिम में स्थानांतरित कर दी गई है।

3.2 पूंजीकृत कर्मचारी लाभ में परियोजना भत्ता, होमगार्ड भत्ता और संविदा कर्मचारियों के वेतन की सीधे आरोप्य लागत शामिल है।

3.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर (CWIP)

₹ लाख में

	की अवधि के लिए CWIP में राशि				
	1 साल से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	Total
प्रगति में परियोजनाएं	94,199.94	14,674.28	7,842.24	-	1,16,716.46
अस्थायी तौर पर रोकी गई परियोजनाएं	-	-	-	-	-

नोट 4 अमूर्त संपत्ति

₹ लाख

मद	सॉफ्टवेयर और लाइसेंस	कुल
	₹	₹
सकल वहन राशि		
01 अप्रैल, 2021 तक	0.21	0.21
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
निपटान	-	-
31 मार्च, 2022 को अंतिम सकल वहन राशि	0.21	0.21
संचित मूल्यहास और परिशोधन		
01 अप्रैल, 2021 तक	0.10	0.10
वर्ष के दौरान परिशोधित	0.08	0.08
निपटान	-	-
31 मार्च, 2022 को अंतिम संचित मूल्यहास/परिशोधन	0.18	0.18
31 मार्च, 2021 को शुद्ध वहन राशि	0.11	0.11
31 मार्च 2022 को शुद्ध वहन राशि	0.04	0.04

नोट-5 ऋण एवं अग्रिम

₹ लाख में

क्रम संख्या	मद	31 मार्च '2022 तक		31 मार्च '2021 तक	
		गैर मौजूदा ₹	मौजूदा ₹	गैर मौजूदा ₹	मौजूदा ₹
1	सुरक्षित, अच्छा माना गया				
2	वसूली योग्य अग्रिम	-	-	-	-
2	वसूली योग्य ब्याज	-	-	-	-
	असुरक्षित, अच्छा माना गया				
1	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	24.39	-	-	24.39
2	अवसंरचना विकास प्राधिकरण	-	9.54	-	9.54
3	राजीव रंजन	-	-	-	0.00
4	कार्य अग्रिम (डीएमआरसी)	-	10,253.48	-	7,758.15
5	प्राप्य ब्याज निधि (DMRC)	-	-	-	493.26
6	बुडिको के लिए अग्रिम	-	107.00	-	-
7	मोबिलाइजेशन एडवांस (डीएमआरसी)	-	1,351.84	-	-
8	नवीन भटनागर	-	1.04	-	-
9	एफए और सीएओ ईसीआर (रेलवे क्रॉसिंग)	-	4,505.49	-	-
10	एनएचएआई (लोड बियरिंग ड्रेन)	-	2,210.00	-	-
	कुल	24.39	18,438.40	-	8,285.35

नोट-6 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

₹ लाख में

क्रम संख्या	मद	31 मार्च '2022 तक		31 मार्च '2021 तक	
		गैर मौजूदा ₹	मौजूदा ₹	गैर मौजूदा ₹	मौजूदा ₹
1	सुरक्षा जमा (बीएसएनएल)	0.04	-	0.04	-
2	सुरक्षा जमा (किराया)	18.18	-	18.18	-
4	डीएमआरसी से प्राप्त ब्याज निधि	-	705.90	-	-
	कुल	18.22	705.90	18.22	-

नोट-7 अन्य मौजूदा/गैर मौजूदा संपत्तियां

₹ लाख में

क्रम संख्या	मद	31 मार्च '2022 तक		31 मार्च '2021 तक	
		गैर मौजूदा ₹	मौजूदा ₹	गैर मौजूदा ₹	मौजूदा ₹
1	प्रारंभिक व्यय (विविध आस्तियां)	-	-	-	-
2	प्रीपेड खर्च	-	0.04	0.13	-
	कुल	-	0.04	0.13	-

7.1 प्रीपेड व्यय 12 महीने की वैधता वाले सॉफ्टवेयर अपडेशन खर्च से संबंधित है जो कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र के तहत है और इसलिए इसे वित्त वर्ष 2021-22 से वर्तमान संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नोट 8 - आस्थगित कर

₹ लाख में

क्रम संख्या	मद	31 मार्च '2021 तक	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	31 मार्च '2022 तक
		₹	₹	₹
1	आस्थगित कर आस्तियों का गठन करने वाले मद का कर प्रभाव प्राथमिक खर्च अनवशेषित मूल्यहास	- 0.49	- 0.75	- 1.24
	कुल	0.49	0.75	1.24
2	आस्थगित कर देयता गठित करने वाले मद का कर प्रभाव प्राथमिक खर्च अनवशेषित मूल्यहास	- -	- -	- -
	कुल	-	-	-
	आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	0.49	0.75	1.24

नोट-9 व्यापार प्राप्य

₹ लाख में

क्रम संख्या	मद	31 मार्च '2022 तक	31 मार्च '2021 तक
		₹	₹
	असुरक्षित, अच्छा व्यापार प्राप्य माना गया	-	-
	कुल	-	-

नोट 10- नकद एवं नकद समकक्ष

₹ लाख में

क्रम संख्या	मद	31 मार्च '2022 तक	31 मार्च '2021 तक
		₹	₹
1	नकद और नकद समकक्ष	-	-
2	नकदी हाथ में		
	बैंकों के पास शेष		
	चालू खाते में		
	पंजाब नेशनल बैंक		
	2913000101351325	22,397.45	8,253.01
	पंजाब नेशनल बैंक		
	2913000101351352	6,198.53	383.03
	पंजाब नेशनल बैंक		
	2913002100032904	0.08	0.01
	पंजाब नेशनल बैंक		
	0380002100067409	-	10,000.00
	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया 39441426880	6,200.00	1,300.00
	कुल	34,796.06	19,936.05

नोट-11 अन्य बैंक बैलेंस

₹ लाख में

क्र. सं.	मद	31 मार्च '2022 तक	31 मार्च '2021 तक
		₹	₹
1	जमा के साथ बैंकों में बैलेंस	-	-
	कुल	-	-

नोट-12 वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)

₹ लाख में

क्र.सं.	मद	31 मार्च '2022 तक	31 मार्च '2021 तक
		₹	₹
1	टी.डी.एस. (2021-22)	23.63	-
2	टी.डी.एस. (2020-21)	-	53.96
3	टी.डी.एस. (2019-20)	0.84	0.84
	कुल	24.47	54.81

नोट-13- इक्विटी शेयर पूंजी

क्र.सं.	मद	31 मार्च 2022 तक			31 मार्च 2021 तक	
		शेयरों की संख्या	गैर मौजूदा ₹	मौजूदा ₹	शेयरों की संख्या	गैर मौजूदा ₹
1	अधिकृत शेयर पूंजी	20,00,00,000	2,00,000.00	-	20,00,00,000	2,00,000.00
2	जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से भुगतान किया गया प्रति शेयर पार मूल्य (100 रुपये)	4,26,00,000	42,600.00	-	4,26,00,000	42,600.00
3	शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी बकाया का मिलान ओपनिंग शेयर कैपिटल जोड़ें: शेयरों की संख्या, वर्ष के दौरान जारी/सब्सक्राइब की गई शेयर पूंजी	4,26,00,000	42,600.00	-	5,000	5.00
4	क्लोजिंग शेयर कैपिटल	99,00,000	9,900.00	-	4,25,95,000	42,595.00
	शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी के 5% से अधिक शेयर	5,25,00,000	52,500.00	-	4,26,00,000	42,600.00
	महामहिम बिहार के राज्यपाल	2,62,50,000	26,250.00	-	2,13,00,000	21,300.00
	महामहिम भारत के राष्ट्रपति	2,62,50,000	26,250.00	-	2,13,00,000	21,300.00
	कुल	5,25,00,000	52,500.00	-	4,26,00,000	42,600.00

13.1 कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है,

13.2 वर्ष के दौरान शेयरों का नया निर्गमन होता है।

13.3 प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयरों के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार हैं:

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर				वर्ष के दौरान %
क्र.सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	बदलाव
1	महामहिम बिहार के राज्यपाल	2,62,50,000	50.00%	23.24%
2	महामहिम भारत के राष्ट्रपति	2,62,50,000	50.00%	23.24%
	कुल			
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर				वर्ष के दौरान %
क्र.सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	बदलाव
1	महामहिम बिहार के राज्यपाल	2,13,00,000	50.00%	99.97%
2	महामहिम भारत के राष्ट्रपति	2,13,00,000	50.00%	100%
	कुल			

नोट-14- अन्य इक्विटी

₹ लाख में

क्रम संख्या	मद	01 अप्रैल '2021 तक शेष	परिवर्धन / समायोजन	कुल	हस्तांतरण	31 मार्च '2022 तक शेष
		₹	₹	₹	₹	₹
क.	आस्थगित आय					
ख.	प्रतिधारित कमाई	296.18	(135.89)	160.29	-	160.29
ग.	शेयर एप्लीकेशन पूँजी	-	-	-	-	-
	भारत सरकार		-	-	-	-
	बिहार सरकार		20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
	कुल (क+ख+ग+घ)	296.18	19,864.11	20,160.29	-	20,160.29

नोट-15- उधारियाँ

₹ लाख में

क्रम संख्या	मद	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च '2021 तक
		₹	₹
1	टर्म लोन		
2	अधीनस्थ ऋण	-	-
2.1	बिहार शहरी विकास एजेंसी	-	63.32
2.2	बिहार सरकार (भूमि अधिग्रहण के लिए)	80,808.50	-
	कुल	80,808.50	63.32

नोट 16 अन्य वित्तीय देनदारियाँ

₹ लाख में

क्रम संख्या	मद	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च '2021 तक	
		गैर मौजूदा ₹	मौजूदा ₹	गैर मौजूदा ₹	मौजूदा ₹
1	ईएमडी	-	-	-	-
2	सुरक्षा जमा (रवि ट्रेवल्स)	0.50	-	-	-
3	अर्जित ब्याज	-	-	-	-
4	प्रतिधारण देय	-	-	-	-
5	अचल संपत्तियों की खरीद के लिए देय	-	-	-	-
6	शुल्क और कर	-	7.17	-	-
7	वैधानिक कटौतियाँ	-	26.73	-	-
8	एफए और सीएओ ईसीआर (क्रॉसिंग)	-	4,123.67	-	-
9	व्यय के लिए लेनदार	-	5.53	-	-
10	नूतन इंटरप्राइजेज	-	48.51	-	-
	कुल	0.50	4,211.62	-	-

नोट 17 प्रावधान

₹ लाख में

क्र. सं.	मद	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च '2021 तक	
		गैर मौजूदा ₹	मौजूदा ₹	गैर मौजूदा ₹	मौजूदा ₹
क.	कर्मचारियों के लाभ के लिए				
ख	देय वेतन		11.29		1.59
	प्रावधान		-		-
	देय परामर्श शुल्क	-	2.97	-	1.40
	देय कार्यालय रखरखाव व्यय	-	-	-	-
	देय किराया	-	175.68	-	8.43
	देय सुरक्षा गार्ड व्यय	-	0.10	-	0.36
	देय टेलीफोन शुल्क	-	0.09	-	-
	देय आउटसोर्सिंग व्यय	-	4.27	-	8.16
	देय लेखा परीक्षा शुल्क	-	2.44	-	0.59
	डीएमआरसी को देय परामर्श शुल्क	-	12,846.40	-	7,707.84
	देय टीडीएस रिटर्न फाइलिंग शुल्क	-	0.08	-	0.04
	देय वाहन किराया शुल्क	-	13.16	-	9.69
				-	-
	कुल	-	13,056.48	-	7,738.09

नोट 18 व्यापार देय

₹ लाख में

क्रम संख्या	मद	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च '2021 तक
		₹	₹
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	-	-
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	-	-
	कुल	-	-

नोट 19 - अन्य वर्तमान देनदारियां

₹ लाख में

क्रम संख्या	मद	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च '2021 तक
		₹	₹
1	आयकर देय	-	130.43
	कुल	-	130.43

नोट 20 परिचालन से राजस्व

र लाख में

मद	2021-22	2020-21
	राशि (र)	राशि (र)
	-	-
कुल	-	-

नोट 21 अन्य आय

र लाख में

मद	2021-22	2020-21
	राशि (र)	राशि (र)
ब्याज आय	389.01	807.67
अन्य आय	-	8.73
पिछली अवधि (ब्याज आय)	-	8.44
निविदा शुल्क प्राप्त	0.21	-
कुल	389.22	824.83

नोट 22 परिचालन व्यय

र लाख में

मद	2021-22	2020-21
	राशि (र)	राशि (र)
परिचालन और रखरखाव व्यय बाहरी परियोजना व्यय	-	-
कुल	-	-

नोट 23 कर्मचारी लाभ व्यय

र लाख में

मद	2021-22	2020-21
	राशि (र)	राशि (र)
सकल वेतन और भत्ते	183.07	1.59
कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट	7.40	-
घटाएँ: सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरण	19.15	-
कुल	171.32	1.59

नोट 24 अन्य प्रशासनिक व्यय

र लाख में

मद	2021-22	2020-21
	राशि (र)	राशि (र)
परामर्श शुल्क	3.02	6.17
कंपनी सचिव को वेतन	4.20	-
किराया	86.86	25.28
सुरक्षा गार्ड खर्च	1.25	1.24
टेलीफोन व्यय	0.37	0.07
लेखापरीक्षा शुल्क	2.09	0.59
बैठक व्यय	1.53	0.95
विविध व्यय	0.71	0.56
छपाई और स्टेशनरी	1.57	1.82
मरम्मत एवं रखरखाव	0.03	-
टीडीएस रिटर्न फाइलिंग शुल्क	0.08	0.08
आउटसोर्सिंग व्यय	38.31	81.16
यात्रा खर्च	0.42	2.86
वाहन किराया शुल्क	30.52	15.70
विज्ञापन व्यय	18.02	13.16
साक्षात्कार व्यय	1.32	-
हार्ड डिस्क	0.03	-
किताबें और पत्रिकाएँ	0.00	-
व्यावसायिक कर	0.08	-
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	1.08	-
घटाएँ: विज्ञापन कैपिटलाइज़	2.85	-
कुल	188.62	149.63

नोट 25 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

लाख में

मद	2021-22	2020-21
	राशि (₹)	राशि (₹)
मूल्यहास और परिशोधन व्यय		-
मूर्त संपत्तियां	7.18	6.72
अमूर्त संपत्तियां	0.08	0.08
कुल	7.25	6.80

नोट 26 वित्त लागत

₹ लाख में

मद	2021-22	2020-21
	राशि (₹)	राशि (₹)
बैंक शुल्क	0.00	-
बैंक गारंटी शुल्क	-	-
बैंक का ब्याज	-	-
कुल	0.00	-

नोट 27 असाधारण और अपवादात्मक मद

₹ लाख में

मद	2021-22	2020-21
	राशि (₹)	राशि (₹)
1. पूर्व अवधि के व्यय:		
किराया 2019-20	30.26	-
किराया 2020-21	60.52	-
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए परामर्श शुल्क	1.00	-
2. आरंभिक व्यय w/o	-	204.50
कुल	91.78	204.50

उक्त तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

शिवानन्द कुमार एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह/-

ह/-

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 04610C

निदेशक

प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 09490440

डीआईएन : 06584429

ह/-

ह/-

ह/-

सीए शिवानन्द कुमार

कंपनी सचिव

सीएफओ

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 054116

स्थान : पटना

स्थान : पटना

तिथि : 23.08.2022

तिथि : 29.07.2022

आयकर अधिनियम के तहत मूल्यहास की गणना

मद	मूल्यहास की दर	परिवर्धन			कुल	वर्ष के दौरान मूल्यहास .	
		01.04.2021 तक बैलेंस		03.10.21 के बाद			31.03.2022 तक बैलेंस
		03.10.21 तक					
		₹	₹		₹	₹	₹
(ब्लॉक- I: कंप्यूटर मूल्यहास की दर : 60%)							
कंप्यूटर और पार्ट्स (03/06/2019)	40%	4,58,778.00	-	-	4,58,778.00	1,83,511.00	2,75,267.00
लैपटॉप और डेस्कटॉप (18/10/2019)	40%	1,62,624.00	-	-	1,62,624.00	65,050.00	97,574.00
यूपीएस (27/11/2019)	40%	24,341.00	-	-	24,341.00	9,736.00	14,605.00
टैली सॉफ्टवेयर (20/09/2019)	40%	7,646.00	-	-	7,646.00	3,058.00	4,588.00
लैपटॉप (02/02/2021)	40%	23,040.00	-	-	23,040.00	9,216.00	13,824.00
आई पैड (29/01/2021)	40%	1,04,720.00	-	-	1,04,720.00	41,888.00	62,832.00
लैपटॉप (19/06/2020)	40%	1,84,225.00	-	-	1,84,225.00	73,690.00	1,10,535.00
कंप्यूटर और पार्ट्स - टाइप कवर (14/07/2021)	40%	-	11,900.00	-	11,900.00	4,760.00	7,140.00
कंप्यूटर और पार्ट्स - स्कैनर 1 (21/01/2022)	40%	-	-	26,999.00	26,999.00	5,400.00	21,599.00
कंप्यूटर और पार्ट्स - प्रिंटर (22/02/2022)	40%	-	-	15,800.00	15,800.00	3,160.00	12,640.00
कंप्यूटर और पार्ट्स - स्कैनर 2 (14/03/2022)	40%	-	-	24,199.00	24,199.00	4,840.00	19,359.00
कंप्यूटर और पार्ट्स - एप्सोन लार्ज प्रिंटर (31/03/2022)	40%	-	-	1,79,921.00	1,79,921.00	35,984.00	1,43,937.00
कुल-I		9,65,374.00	-	-	9,65,374.00	3,86,149.00	7,83,900.00
(ब्लॉक- II: फर्नीचर और फिक्सचर मूल्यहास की दर: 10%)							
		-	-		-	-	-
फर्नीचर (27/06/2019)	10%	1,35,837.00	-	-	1,35,837.00	13,584.00	1,22,253.00
फर्नीचर (05/02/2020)	10%	2,82,577.00	-	-	2,82,577.00	28,258.00	2,54,319.00
फर्नीचर (21/01/2022)	10%	-	-	24,365.00	24,365.00	1,218.00	23,147.00
कुल-II		4,18,414.00	-	-	4,18,414.00	41,842.00	3,99,719.00
(ब्लॉक-III: संयंत्र और मशीनरी मूल्यहास की दर: 15%)							
बायोमेट्रिक मशीन (20/06/2019)	15%	9,385.00	-	-	9,385.00	1,408.00	7,977.00
लैपटॉप (19/06/2020)	15%	62,560.00	-	-	62,560.00	9,384.00	53,176.00
जल शोधक (17/03/2022)	15%	-	-	16,205.00	16,205.00	1,215.00	14,990.00
कुल-III		71,945.00	-	-	71,945.00	10,792.00	76,143.00
कुल योग (I+II+III) ₹ लाख में							
		- 14.56	-	-	14.56	4.39	12.60

कंपनी अधिनियम के तहत मूल्यहास की गणना

मद	मूल्यहास की दर	वास्तविक लागत	01.04.2021 तक बैलेंस	परिवर्धन		कुल	वर्ष के दौरान मूल्यहास	31.03.2022 तक बैलेंस
				03.10.21 तक	03.10.21 तक			
₹								
₹								
₹								
₹								
₹								
(ब्लॉक- I: कंप्यूटर मूल्यहास की दर : 60%)								
कंप्यूटर और पार्ट्स (03/06/2019)	31.67%	12,74,383.00	5,35,751.00	-	-	5,35,751.00	4,03,594.00	1,32,157.00
लैपटॉप और डेस्कटॉप (18/10/2019)	31.67%	3,38,800.00	1,82,703.00	-	-	1,82,703.00	1,07,299.00	75,404.00
यूपीएस (27/11/2019)	31.67%	50,711.00	29,111.00	-	-	29,111.00	16,056.00	13,055.00
टैली सॉफ्टवेयर (20/09/2019)	31.67%	21,240.00	11,318.00	-	-	11,318.00	7,664.00	3,654.00
लैपटॉप (02/02/2021)	31.67%	28,800.00	27,351.00	-	-	27,351.00	8,662.00	18,689.00
आई पैड (29/01/2021)	31.67%	1,30,900.00	1,23,858.00	-	-	1,23,858.00	39,226.00	84,632.00
लैपटॉप (19/06/2020)	31.67%	3,07,042.00	2,30,848.00	-	-	2,30,848.00	73,110.00	1,57,738.00
कंप्यूटर और पार्ट्स - टाइप कवर (14/07/2021)	31.67%	11,900.00	-	11,900.00	-	11,900.00	2,695.00	9,205.00
कंप्यूटर और पार्ट्स - स्कैनर 1(21/01/2022)	31.67%	26,999.00	-	-	26,999.00	26,999.00	1,640.00	25,359.00
कंप्यूटर और पार्ट्स - प्रिंटर (22/02/2022)	31.67%	15,800.00	-	-	15,800.00	15,800.00	535.00	15,265.00
कंप्यूटर और पार्ट्स - स्कैनर 2 (14/03/2022)	31.67%	24,199.00	-	-	24,199.00	24,199.00	378.00	23,821.00
कंप्यूटर और पुर्जे - एप्सोन लार्ज प्रिंटर (31/03/2022)	31.67%	1,79,921.00	-	-	1,79,921.00	1,79,921.00	156.00	1,79,765.00
कुल-I		24,10,695.00	11,40,940.00	11,900.00	2,46,919.00	13,99,759.00	6,61,015.00	7,38,744.00
(ब्लॉक- II: फर्नीचर और फिक्सचर मूल्यहास की दर: 10%)								
फर्नीचर (27/06/2019)	9.50%	1,67,700.00	1,39,587.00	-	-	1,39,587.00	15,932.00	1,23,655.00
फर्नीचर (05/02/2020)	9.50%	3,30,500.00	2,94,280.00	-	-	2,94,280.00	31,406.00	2,62,874.00
फर्नीचर (21/01/2022)	9.50%	24,365.00	-	-	24,365.00	24,365.00	444.00	23,921.00
कुल -II		5,22,565.00	4,33,867.00		24,365.00	4,58,232.00	47,782.00	4,10,450.00
(ब्लॉक-III: संयंत्र और मशीनरी मूल्यहास की दर: 15%)								
बायोमेट्रिक मशीन (20/06/2019)	19.00%	12,990.00	8,588.00	-	-	8,588.00	2,468.00	6,120.00
आई फोन (19/06/2020)	19.00%	73,600.00	62,643.00		-	62,643.00	13,984.00	48,659.00
जल शोधक (17/03/2022)	19.00%	16,205.00	-	-	16,205.00	16,205.00	127.00	16,078.00
कुल-III		1,02,795.00	71,231.00	-	16,205.00	87,436.00	16,579.00	70,857.00
कुल योग (I+II+III)	₹ लाख में	30.36	16.46	0.12	2.87	19.45	7.25	12.20

मेसर्स पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना							
	अनुपात विश्लेषण	मद	(₹) लाख में	मद	(₹) लाख में	31-Mar-22	31-Mar-21
1	मौजूदा अनुपात	मौजूदा परिसंपत्तियां सूची	-	मौजूदा देनदारियां माल और सेवाओं के लिए लेनदार	-		
		व्यापार प्राप्तियां	-	अल्पावधि ऋण	-		
		नकद और बैंक शेष	34,796.06	बैंक ओवरड्राफ्ट	-		
		अन्य प्राप्य/उपार्जन	705.90	कैश क्रेडिट	-		
		ऋण और अग्रिम	18,438.40	बकाया खर्च	13,056.48		
		डिस्पोजेबल निवेश	-	कराधान के लिए प्रावधान	-		
		कोई अन्य मौजूदा संपत्ति	24.51	प्रस्तावित लाभांश	-		
				दावा न किया गया लाभांश	-		
			53,964.88	कोई अन्य चालू देयताएं	4,211.62	3.1251	3.5936
2	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल देनदारियां		शेयरधारकों की इक्विटी	17,268.10	1.3498	0.1849
		कुल बाहरी देनदारियां	98,077.10	कुल शेयरधारकों की इक्विटी	72,660.29		
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	शुद्ध ऑपरेटिंग आय		ऋण सेवा			
			लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	अवधि के लिए लाभ करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	(136.96)	औसत शेयरधारकों की इक्विटी (शुरुआती शेयरधारकों की इक्विटी + अंतिम शेयरधारकों की इक्विटी) ÷ 2	57,777.70	(0.0024)	0.0123
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की कीमत		औसत इन्वेंटरी			
			लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	नेट क्रेडिट बिक्री		औसत व्यापार प्राप्य			
			लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	कुल खरीद		औसत व्यापार देय			
			लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	नेट कैपिटल टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री		औसत कार्यशील पूंजी			
			लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ		शुद्ध बिक्री			
			लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ईबीआईटी ब्याज और कर पूर्व लाभ रिटर्न/लाभ/आय	(70.83) लागू नहीं	नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी निवेश	1,53,468.21 लागू नहीं	(0.0005) लागू नहीं	0.0108 लागू नहीं
11	निवेश पर रिटर्न						

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

नोट-1

वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियाँ

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

- कॉर्पोरेट की जानकारी:** - पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी" के रूप में संदर्भित) 18 फरवरी, 2019 को 100/- प्रति शेयर के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर की अधिकृत पूंजी के साथ बिहार राज्य (CIN U93090BR2019SGC041042) में अधिवासित और निगमित है। कंपनी को भारत सरकार और बिहार सरकार के 50:50% संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है। इसका गठन 18 फरवरी 2019 को भारत सरकार (एमओयूडी) की विज्ञप्ति सं. दिनांक 27 फरवरी, 2019 के-14011/पी-1/2016-यूटी-V के द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के तौर पर पटना शहर में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (MRTS) को लागू करने के लिए किया गया था। भारत सरकार (जीओआई) ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के चरण-1 (पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर को कवर करते हुए) के कार्यान्वयन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें 31.39 किमी कुल लंबाई के दो कॉरिडोर में शामिल है (i) दानापुर से मीठापुर (16.94) किमी) और (ii) पटना रेलवे स्टेशन से न्यू आईएसबीटी (14.45 किमी) तक, जिसकी कुल पूर्णता लागत 13365.77 करोड़ रु. है (5520.93 करोड़ रुपये के जेआईसीए ओडीए ऋण भाग के साथ)। समझौता अनुबंध के अनुसार, 25 सितम्बर 2019 को डीएमआरसी और पीएमआरसीएल के बीच हस्ताक्षरित काम पीएमआरसीएल द्वारा डीएमआरसी को प्रोजेक्ट सौंपे जाने की तिथि से 5 साल के भीतर पूरा किया जाना है।

भारत सरकार, बिहार सरकार और पीएमआरसीएल के बीच नवंबर 2019 को हस्ताक्षरित समझौता जापन के अनुसार पटना मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने की स्वीकृत लागत ₹13365.77 करोड़ है जिसे निम्नानुसार वित्तपोषित किया जाएगा:

क्र.सं.	श्रोत	राशि (₹ करोड़ में)	% योगदान
1.	भारत सरकार इक्विटी	1441.12	15.66%
2.	सीजीएसटी के लिए भारत सरकार का अधीनस्थ ऋण	399.19	4.34%
3.	बिहार सरकार इक्विटी	1441.12	15.66%
4.	सीजीएसटी के लिए बिहार सरकार का अधीनस्थ ऋण	399.19	4.34%
5.	द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण	5520.93	60%
6.	भूमि, आरएंडआर, पीपीपी घटक को छोड़कर कुल लागत	9201.55	100%
7.	पीपीपी घटक (स्टेशन के लिए एएफसी)	96.36	
8.	कुल	9297.91	
9.	आरएंडआर लागत सहित भूमि के लिए बिहार सरकार का अधीनस्थ ऋण	3401.66	
10.	बिहार सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले एसजीएसटी के लिए अधीनस्थ ऋण	645.48	
11.	बिहार सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले आईडीसी के लिए ऋण और फ्रंट एंड फीस	20.72	
12.	कुल पूर्णता लागत	13365.77	

इसके अतिरिक्त दिनांक 31 मार्च 2022 तक भारत सरकार एवं बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से क्रमशः 17.00 एकड़ एवं 10.45 एकड़ भूमि की कार्य अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क. वित्तीय विवरणों का प्राधिकार देना:- वित्तीय विवरणों को निदेशकों के एक संकल्प के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

ख. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:- वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एस) ; और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों तथा उसके तहत आने वाले नियमों के अनुपालन में तैयार किया गया है। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ संपत्तियों और देनदारियों के, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है। **कंपनी के वित्तीय विवरण की प्रस्तुतिकरण और कार्यात्मक मुद्रा INR (₹) है।**

ग. निर्णयों, अनुमानों और मान्यताओं का प्रयोग:- इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय, हम कुछ अनुमान और धारणाएँ बनाते हैं जिनके लिए व्यक्तिपरक और जटिल निर्णयों की आवश्यकता होती है। ये निर्णय लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और संपत्ति, देनदारियों, आय एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय स्थिति की तारीख के विवरण पर आकस्मिक देनदारियों का खुलासा और रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के परिणाम उन कुछ मामलों के प्रभाव के हमारे अनुमान पर निर्भर करते हैं जो स्वाभाविक रूप से अनिश्चित हैं। भविष्य की घटनाएँ शायद ही कभी पूर्वानुमान के अनुरूप होती हैं और सर्वोत्तम अनुमानों को समायोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वास्तविक परिणाम अलग-अलग धारणाओं या शर्तों के तहत इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। हम सबसे नवीनतम जानकारी के आधार पर इन अनुमानों और आकलनों का लगातार मूल्यांकन करते हैं।

लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी अवधि में प्रभावित होता है। विशेष रूप से, अनुमानों की अनिश्चितता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में बताई गई राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, नीचे दी गई हैं:

- वित्तीय साधन;
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त परिसंपत्तियां;
- मालसूची (इन्वेंटरी) का मूल्यांकन;
- नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की वसूली योग्य मात्रा का मापन;
- कर्मचारी लाभ से संबंधित संपत्ति और दायित्व;
- प्रावधान;
- आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली का मूल्यांकन; तथा
- आकस्मिक व्यय।

घ. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत, कम संचित मूल्यहास और संचित हानियों पर बताया जाएगा। एक परिसंपत्ति की प्रारंभिक लागत में इसका खरीद मूल्य या निर्माण लागत शामिल होती है, संपत्ति को नियत स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई भी लागत और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थिति, किसी भी सेवा से हटने के दायित्व का प्रारंभिक अनुमान, यदि कोई हो, और, उन संपत्तियों के लिए जो आवश्यक रूप से अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती हैं, तथा वित्त लागत। खरीद मूल्य या

निर्माण लागत भुगतान की गई कुल राशि और संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किए गए किसी अन्य विचार का उचित मूल्य है।

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु और प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो इसे अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति की अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब संपत्ति को अमान्य किया जाता है।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्यों और संपत्ति, संयंत्र व उपकरणों के उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है और यदि कोई परिवर्तन हो, तो प्रत्याशित तौर पर उसका हिसाब किया जाता है।
- भूमि के लिए पट्टे की व्यवस्था को वित्त पट्टे के रूप में पहचाना जाता है, यदि इस तरह की व्यवस्था के परिणामस्वरूप कंपनी को संबंधित जोखिमों और पुरस्कारों का हस्तांतरण होता है।
- स्टोर और पुर्जे जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हैं और इंड एस 16 के मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।
- अचल संपत्तियों पर मूल्यहास को उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत अनुशंसित उपयोगी जीवन के आधार पर गणना की गई दरों पर प्रदान किया जाता है, और इसे वर्ष के दौरान समावेशी रूप से पूंजीकरण/बिक्री, निपटान या विलोपन के महीने से/ तक और परिसंपत्तियों पर दैनिक आधार पर आनुपातिक रूप से लगाया जाता है। सरकारी अनुदान की प्राप्ति के कारण आवश्यक किसी भी मूल्य समायोजन के कारण किसी परिसंपत्ति के मूल्य के पुनर्कथन के मामले में, संशोधित चुकता मूल्यहास योग्य राशि पर मूल्यहास को परिसंपत्ति के अवशिष्ट उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से लगाया जाता है। अवशिष्ट मूल्य 5% माना गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के लिए विशिष्ट स्टोर और पुर्जों पर मूल्यहास संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के जीवन पर आधारित है।

ड. अमूर्त संपत्तियां:-अमूर्त संपत्तियां , जिन्हें अलग से अधिग्रहित किया जाता है, उन्हें लागत पर प्रारंभिक पहचान के आधार पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन और संचित क्षति हानियों से कम लागत पर ले जाया जाता है। पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर, आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और संबंधित व्यय उस अवधि में लाभ या हानि के विवरण में परिलक्षित होता है जिसमें व्यय किया जाता है।

- हार्डवेयर के साथ सीधे पहचान किए गए सॉफ्टवेयर की लागत को हार्डवेयर की लागत के साथ पूंजीकृत किया जाता है। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है।
- अमूर्त संपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई ऐसा संकेत मिलता है कि अमूर्त संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो उसे क्षति के लिए मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में परिमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति की

समीक्षा की जाती है। लाभ और हानि के विवरण में परिमित जीवन और क्षति हानि के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को मान्यता दी गई है।

च. नकद प्रवाह विवरण:- नकद प्रवाह विवरण इंड एस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया जाता है और यह कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा नकद प्रवाह को दर्शाता है। नकद प्रवाह विवरण में प्रस्तुत नकद और नकद समकक्ष में बैंक खाते में शेष राशि और हाथ में नकदी शामिल होती हैं।

छ. उधार लेने की लागत:- किसी संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधार लागत, जो आवश्यक रूप से अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है, को संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों का व्यय उस अवधि में किया जाता है जिसमें वे होते हैं।
उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई धन उधार लेने के संबंध में खर्च करती है।

ज. विदेशी एजेंसियों से फंडिंग:- फंडिंग पैटर्न के अनुसार, परियोजना लागत का 60% द्विपक्षीय/बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसियों के ऋण से पूरा किया जाना है, जिसके लिए जेआईसीए को चुना गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के कार्यालय जापान के अनुसार, पीएमआरसीएल (यानी पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर) के परियोजना प्रस्ताव को 5520.93 करोड़ रुपये के जेआईसीए ओडीए ऋण हिस्से के साथ 13365.77 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ जेआईसीए रोलिंग प्लान में शामिल किया गया है। जेआईसीए के साथ डीएमआरसी के अनुभव के आधार पर इसी तरह टेंडर की योजना बनाई गई है। रोलिंग स्टॉक, ट्रेक्शन, टनल वेंटिलेशन, सिग्नलिंग, ट्रेक वर्क और अंडरग्राउंड सिविल वर्क की योजना जेआईसीए फंड और बाकी नॉन-जेआईसीए फंड से बनाई गई है।

झ. गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि:- प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में, मूल्यांकन किया जाता है कि क्या नुकसान होने का कोई संकेत है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति या नकद-उत्पादक इकाइयों (सीजीयू) के उचित मूल्य से अधिक होती है जिसमें निपटान की लागत और इसके उपयोग का मूल्य कम होता है। पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि का निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र होते हैं। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को खराब मान लिया जाता है और इसे इसकी वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

ञ. माल सूची (इन्वेंटरी): - तैयार माल का मूल्यांकन फीफो के आधार पर लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। लागत में सामग्री लागत, रूपांतरण लागत और इन्वेंट्री को उसकी वर्तमान स्थिति और स्थान पर लाने के लिए खर्च की गई अन्य लागत शामिल है।

प्रगति में कार्य का मूल्यांकन लागत से कम या अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया जाएगा। लागत में लागू होने वाली सामग्री लागत और रूपांतरण लागत शामिल है।

पीएमआरसी के पास वर्ष के लिए इन्वेंटरी का कोई स्टॉक नहीं है क्योंकि कंपनी ने अभी तक अपना परिचालन शुरू नहीं किया है। वर्ष के दौरान, सभी कार्य टर्नकी आधार पर विभिन्न ठेकेदारों को सौंपे गए हैं। इसलिए, काम पूरा होने के बाद इन्वेंटरी का हिसाब लगाया जाएगा। हालांकि, कंपनी का इरादा लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो और भारित औसत के आधार पर और जब आवश्यक हो, पर मालसूची का मूल्यांकन करना है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत मान्यता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले स्टोर और पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

- ट. सरकारी अनुदान:-** सरकारी अनुदानों को वहां मान्यता दी जाती है जहां उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत को जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति करना है, व्यय किया जाता है।

जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित संपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर समान मात्रा में आय के रूप में पहचाना जाता है।

जब प्राप्त अनुदान प्रकृति में गैर-मौद्रिक होते हैं, तो संपत्ति और अनुदान को उचित मूल्य की मात्रा में दर्ज किया जाता है और इसे अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ या हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

लेखा बहियों में सरकारी अनुदानों का लेखा-जोखा भारतीय लेखांकन मानक 20 के अनुसार रखा गया है। इसके अलावा, सरकारी अनुदानों को खाता बही में प्राप्त के आधार पर दर्ज किया गया है। सरकार और उसकी अन्य एजेंसियों द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अनुदान दिया गया है। इसलिए, भारतीय लेखांकन मानक 20 के पूंजी दृष्टिकोण के अनुसार इसे सीधे शेयरधारकों के फंड में जमा किया जाता है।

- ठ. कर्मचारी लाभ:-** कंपनी में पूरा स्टाफ केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अन्य विभागों/पीएसयू/पेशेवर फर्मों के आउटसोर्स कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर था। कंपनी के पास अपना स्थायी कर्मचारी नहीं था, इसलिए किसी कर्मचारी लाभ नीति (जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी आदि) की परिकल्पना नहीं की गई थी। प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्मचारी लाभ के प्रति पीएमआरसी की देनदारियां उनके मूल संगठन/विभाग/फर्म के प्रति हैं। इसलिए, पीएमआरसी ने नियमों के अनुसार, जहां भी लागू हो, मूल संगठन/विभाग को नियमित रूप से अपने योगदान का भुगतान किया। इसलिए, इस मामले में कोई दीर्घकालिक देयता नहीं है।

- ड. राजस्व मान्यता:-** राजस्व की पहचान तभी की जाती है जब उसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सके और अन्तिम संग्रह की अपेक्षा करना उचित है। चूंकि वाणिज्यिक परिचालन अभी शुरू होना बाकी है, इसलिए कंपनी के पास वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कोई परिचालन राजस्व नहीं है।

राजस्व को मजबूती से मापा जा सकता है, भले ही भुगतान कभी भी किया जा रहा हो। भुगतान की संविदात्मक रूप से परिभाषित शर्तों को ध्यान में रखते हुए तथा सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों या शुल्कों को छोड़कर, राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

राजस्व किसी भी कर को शामिल नहीं करता है और इसे प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य (कई सुपुर्दगी योग्य और/या संबद्ध व्यवस्थाओं से संबंधित उचित मूल्य के आवंटन सहित), शुद्ध रिटर्न, करों

और लागू व्यापार छूट एवं भत्तों पर मापा जाता है।

ढ. आय पर कर

- **मौजूदा कर:-** आयकर संपत्ति और देनदारियों को कराधान अधिकारियों से वसूल या भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग के समय अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

लेन-देन के लिए और लाभ या हानि विवरण के बाहर दर्शाई गई अन्य घटनाओं के लिए (या तो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में), किसी भी संबंधित कर प्रभाव को लाभ और हानि के बाहर भी मान्यता प्राप्त है (या तो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में, क्रमशः) वर्तमान कर मदों को या तो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेन-देन के संबंध में मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर: आस्थगित कर रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पहचाना जाता है।

आस्थगित कर संपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को आगे ले जाने और किसी भी अप्रयुक्त कर हानियों के लिए मान्यता प्राप्त होता है। आस्थगित कर संपत्तियों को इस हद तक पहचाना जाता है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उसे इस हद तक कम किया गया है कि आगे यह संभव नहीं हो कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक दर्शाया गया है कि यह संभावित हो गया है कि भविष्य के कर योग्य लाभ आस्थगित कर संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देंगे।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर की दरों पर मापा जाता है, जिसे उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद होती है जब संपत्ति की वसूली होती है या कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर दायित्व का निपटान किया जाता है, जिसे कि रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

अन्य व्यापक आय या इक्विटी में लाभ या हानि लेखांकन के बाहर की वस्तुओं के लिए, आस्थगित कर को केवल लाभ या हानि के बाहर भी मान्यता प्राप्त है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)। आस्थगित कर मदों को या तो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेन-देन के संबंध में पहचाना जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियां ऑफसेट हैं, यदि वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर संपत्तियों को शुरू करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद है और आस्थगित कर समान कर योग्य इकाई और समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हैं।

- ण. **प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां:-** प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और एक दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एक प्रावधान से संबंधित व्यय को किसी भी प्रतिपूर्ति के शुद्ध लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में हुई वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक देनदारियां संभावित दायित्व हैं जिनके अस्तित्व की केवल भविष्य की घटनाओं द्वारा पुष्टि की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, या वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा या दायित्व की राशि को पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ नहीं मापा जा सकता है।

आकस्मिक देनदारियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन जब तक आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना को दूरस्थ नहीं माना जाता है, तब तक इसका खुलासा नहीं किया जाता है।

प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है। तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कोई आकस्मिक संपत्ति नहीं है। व्यय का प्रावधान वर्ष के अंत में किया गया है लेकिन विभाग द्वारा अनुमोदित व्यय के समय टीडीएस और अन्य वैधानिक देयता का प्रावधान किया गया है।

त. **नकद और नकद समतुल्य:** - नकद और नकद समकक्षों में बैंक में नकदी और हाथ में नकदी शामिल है। कंपनी किसी भी अवधि की मूल परिपक्वता के साथ सभी अत्यधिक तरल निवेशों पर विचार करती है, लेकिन अल्प सूचना पर भुनाने योग्य को नकद समतुल्य मानती है।

थ. **खंड रिपोर्टिंग (इंड एस 108):** भारतीय लेखा मानक 108 के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीएमआरसी की व्यावसायिक गतिविधि अभी शुरू होना बाकी है।

द. **निवेश:** - निवेश, जो तत्काल वसूली योग्य हैं और जिस तारीख को इस तरह के निवेश किए गए हैं, उस तारीख से एक वर्ष से अधिक समय तक करने का इरादा नहीं है, उन्हें मौजूदा निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी निवेशों को गैर-मौजूदा निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान निवेश वित्तीय विवरण में व्यक्तिगत निवेश के आधार पर निर्धारित लागत या उचित बाजार मूल्य से कम पर किए जाते हैं। दीर्घकालिक (गैर-मौजूदा) निवेश लागत पर किया जाता है; निवेश के मूल्य में अस्थायी गिरावट के अलावा अन्य गिरावट को पहचानने के लिए मूल्य में कमी का प्रावधान किया जाता है।

ध. **प्रति शेयर कमाई:-**

क. प्रति शेयर मूल आय की गणना इंड एस 33 के अनुसार उक्त अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

ख. प्रति शेयर तरल आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी तरल संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3. **पूर्व अवधि के खर्च:-** सभी बकाया खर्चों के लिए उचित सावधानी बरती गई है।

खातों के लिए नोट्स

1. **शेयर पूंजी:-** सरकार से कुल ₹ 52500 लाख, यानी भारत और बिहार सरकार प्रत्येक से ₹ 26250 लाख प्राप्त हुआ है। और ₹ 52500 लाख की कुल राशि के इक्विटी शेयरों को नीचे दिए गए नामों के विरुद्ध आवंटित किया गया था: -

क्रम संख्या	नाम	इक्विटी शेयर की संख्या (प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹ 100/-)	राशि (₹ की इकाई में)	के पक्ष में शेयर आवंटन
1	महामहिम राष्ट्रपति, भारत	26250000	2,62,50,00,000	भारत सरकार
2	महामहिम राज्यपाल, बिहार	26245000	2,62,45,00,000	बिहार सरकार
3	शुरूआती शेयरधारक			
I	रॉबर्ट लालचुंगनुंगा चोंगथू	10	1,000	
II	राजेश्वर प्रसाद सिंह	10	1,000	
III	बिनोदा नंद झा	10	1,000	
IV	राहुल सिंह	10	1,000	
V	संजय दयाल	4940	4,94,000	
VI	दिवेश सेहरा	10	1,000	
VII	चौधरी अनंत नारायण	10	1,000	
	कुल	52500000	5,25,00,00,000	

2. **सरकारी सहायता अनुदान:-** सरकारी अनुदानों को भारतीय लेखांकन मानक 20 के अनुसार लेखा पुस्तकों में शामिल किया गया है। इसके अलावा, सरकारी अनुदानों को लेखा पुस्तकों में प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी गई है। मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार और उसकी अन्य एजेंसियों द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो तो, उसे लेखांकन मानक 20 के पूंजीगत दृष्टिकोण के अनुसार सीधे शेयरधारकों के फंड में जमा किया जाएगा।
3. **लंबी अवधि के उधार:-** भारत सरकार और बिहार सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण सभी गैर-सरकारी ऋणों (यानी सीनियर ऋण) के पुनर्भुगतान के बाद चुकाने योग्य हैं।

क. ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण:- निम्नलिखित ऋण कंपनी द्वारा ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में प्राप्त किए गए हैं जो सभी बाहरी ऋणों (ODA/PTA) के चुकाए जाने के बाद ही चुकौती योग्य होंगे:

ऋण लिया गया (ब्याज मुक्त)	ऋण का उद्देश्य	31.03.2022 तक प्राप्त राशि	ऋण की शर्तें
बिहार सरकार	भूमि के लिए अधीनस्थ ऋण	8,080,850,000/-	लंबी अवधि के उधार

4. **प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां:-** कंपनी उस प्रावधान को मान्यता देती है जहां एक पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह और एक विश्वसनीय अनुमान की आवश्यकता होती है। आकस्मिक देयता के लिए एक प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है, लेकिन इसमें शायद संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता नहीं होगी। जहां कोई संभावित बाध्यता या वर्तमान बाध्यता है कि संसाधन के बहिर्वाह की संभावना

दूर है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया गया है। आकस्मिक संपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही खुलासा किया जाता है। प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है। तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कोई आकस्मिक संपत्ति नहीं है। व्यय का प्रावधान वर्ष के अंत में किया गया है लेकिन विभाग द्वारा अनुमोदित व्यय के समय टीडीएस और अन्य वैधानिक देयता का प्रावधान किया गया है।

5. डीएमआरसी शुल्क की गणना कॉरिडोर- 1 के लिए 5% और कॉरिडोर - 2 के लिए 6% की दर से की जाती है, जो प्रोजेक्ट पूरा होने की लागत और लागू जीएसटी एवं अन्य करों पर लागू होती है, प्रोजेक्ट पूरा होने की अनुमानित लागत 9435.51 करोड़ रुपये है। 482.87 करोड़ रुपये का रियायती शुल्क डीएमआरसी की स्थापना लागत, निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए कॉर्पोरेट ओवरहेड्स के साथ-साथ तकनीकी परामर्श और परियोजना प्रबंधन परामर्श को शामिल करेगा। राज्य कर/शुल्क आदि, यदि इस शुल्क पर देय हैं, तो या तो डीएमआरसी को प्रतिपूर्ति की जाएगी या पीएमआरसीएल द्वारा इसके लिए छूट की व्यवस्था की जाएगी।

यदि डीएमआरसी की गलती न होने पर 5 वर्ष की निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना पूरी नहीं होती है, और कार्य का दायरा नहीं बदलता है, तो उक्त मासिक औसत शुल्क का 70% अतिरिक्त शुल्क, 5.93 करोड़ रुपए प्लस जीएसटी और अन्य कर जो प्रत्येक अतिरिक्त महीने या उसके हिस्से के लिए लागू होते हैं, पीएमआरसीएल द्वारा विस्तारित अवधि के दौरान अगले महीने की 10 तारीख तक डीएमआरसी को देय होंगे। यदि कार्य के दायरे में परिवर्तन होता है, तो डीएमआरसी को 6% की दर से जीएसटी और अन्य करों के लिए शुल्क, जो कार्य के बढ़े हुए दायरे पर लागू होता है, मूल दायरे के लिए भी देय है। जीएसटी सहित डीडीसी की लागत परियोजना लागत से ली जाएगी।

6. गैर-मौजूदा ऋण एवं अग्रिम:- बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की आपूर्ति के लिए 11/09/2019 को 24,39,496 /- रुपये का अग्रिम दिया गया, लेकिन उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होना बाकी है।

7. अल्प अवधि के ऋण एवं अग्रिम:-

क. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी को फर्नीचर और आंतरिक साज-सज्जा की आपूर्ति के लिए 11/09/2019 को 9,53,897/- रुपए का अल्पावधि अग्रिम दिया गया, लेकिन उपयोगिता प्रमाणपत्र तुलन पत्र के पूरा होने के पहले परन्तु रिपोर्टिंग तिथि के बाद प्राप्त हुआ, इसलिए इसे मौजूदा परिसंपत्ति के तौर पर माना गया।

ख. 26/10/2021 को एमसीए आरओसी, पटना के साथ रिटर्न और फॉर्म भरने के लिए नवीन भटनागर को ₹1,04,200/- की राशि दी गई, लेकिन सहमत कार्य नहीं किया गया है, इसलिए राशि को प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।

ग. इंदिरा भवन स्थित पीएमआरसीएल कार्यालय में 5वीं मंजिल की आंतरिक सजावट और नवीनीकरण कार्य के लिए बुडको को 14/03/2022 को ₹1,07,00,000/- की राशि का अल्पावधि अग्रिम दिया गया।

घ. लोड बियरिंग ड्रेन के निर्माण के लिए एनएचएआई को 30/03/2022 को ₹22,10,00,000/- का अल्पावधि अग्रिम दिया गया और निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2022-23 में पूरा होने की उम्मीद है।

ड. रेलवे क्रॉसिंग के लिए एफए एंड सीएओ- पूर्व मध्य रेलवे / हाजीपुर को ₹45,05,49,298/- का अल्पावधि अग्रिम दिया गया और पीएमआरसीएल तथा पूर्व मध्य रेलवे के बीच इसके समझौते पर हस्ताक्षर होना बाकी है। इसके अलावा, भुगतान मार्च 2022 के महीने में शुरू किया गया था लेकिन वास्तविक भुगतान अप्रैल 2022 को जारी किया गया था।

8. आउटसोर्सिंग एजेंसी:- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी में प्रमुख पदाधिकारियों को नियुक्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसलिए, वर्ष के दौरान कंपनी का कार्य मुख्य रूप से यूडी एवं एचडी के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त

रूप से केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/बोर्ड/बिहार सरकार के संगठन/पेशेवर फर्मों के आउटसोर्स कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों द्वारा किया गया था। कर्मचारियों को निम्नलिखित सरकारी या निजी एजेंसियों से काम पर रखा गया था: -

- क. BUDA :- बिहार शहरी विकास एजेंसी (बुडा) से 1 अनुभाग अधिकारी और 2 सहायक नियुक्त किए गए थे। उन्हें मासिक आधार पर परियोजना भत्ता का भुगतान किया जाता है।
 - ख. BELTRON :- पीएमआरसीएल के सुचारु संचालन के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (बेलट्रॉन) से अप्रैल, 2019 में 7 आईटी लड़के और लड़कियों के साथ 7 डाटा एंट्री ऑपरेटर को काम पर रखा गया था। जिस मासिक वेतन पर उन्हें काम पर रखा जाता है उसका भुगतान BELTRON (बेलट्रॉन) को किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल क्षमता 6 आईटी लड़कों और लड़कियों के साथ 6 डाटा एंट्री ऑपरेटर की है।
 - ग. मेसर्स जायसवाल बृजेश एंड कंपनी (सीए फर्म): बुडा और मेसर्स जायसवाल ब्रजेश एंड कंपनी के बीच हुए समझौते के अनुसार, पीएमआरसीएल के खाता अनुभाग के लिए एक लेखाकार और एक सहायक लेखाकार को नियुक्त करने के लिए एक पत्र जारी किया गया था। परिचालन पर नजर रखते हुए एक और बदलाव किया गया और 13 मार्च, 2019 को पीएमआरसीएल के खाता अनुभाग के लिए केवल 1 लेखाकार को काम पर रखा गया। जिस मासिक वेतन पर एक लेखाकार को काम पर रखा गया है, उसका भुगतान फर्म यानि मेसर्स जायसवाल ब्रजेश एंड कंपनी को किया जाता है।
 - घ. आर आर इंटरप्राइजेज: पीएमआरसीएल और आरआर इंटरप्राइजेज के बीच आवश्यक सेवाओं के लिए जनशक्ति प्रदान करने के लिए समझौते के अनुसार, वर्तमान में 24.01.2022 से पीएमआरसीएल कार्यालय (इंदिरा भवन) में 4 आईटी लड़के/लड़कियों को तैनात किया गया था, जिसका भुगतान आरआर इंटरप्राइजेज को किया जाना है।
9. कार्यालय परिसर :- चूंकि कंपनी को निगमित किया गया था, इसलिए बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और शहरी विकास एवं आवास बोर्ड, नया सचिवालय, पटना के बीच 28 फरवरी, 2019 को 3 साल की अवधि के लिए लीज डीड पर हस्ताक्षर किए गए, जो दिनांक 01.03.2019 से दिनांक 28.02.2020 तक (जिसे आपसी सहमति के अनुसार बढ़ाया जा सकता है) लागू है। इंदिरा भवन, आर.सी. सिंह पथ, पटना, में पीएमआरसीएल का पंजीकृत कार्यालय होने के लिए, 11880 वर्ग फुट के कुल क्षेत्रफल का कार्यालय (अर्थात् 5वीं मंजिल पर 8380 वर्ग फुट और 7वीं मंजिल पर 3500 वर्ग फुट) 44 रुपये/वर्ग फुट + रखरखाव @ रु. 7/वर्ग फीट की दर से प्रतिमाह किराए पर लिया गया था। चूंकि पीएमआरसीएल द्वारा मार्च, 2019 से 7वीं मंजिल पर कार्यालय चलाया जा रहा है, इसलिए किराया @ रु.44/वर्ग फीट + रखरखाव शुल्क @ रु. 7/वर्ग फीट मासिक केवल 3500 वर्ग फुट के लिए भुगतान किया गया था, साथ ही इसमें 18% जीएसटी शामिल है (यानी रु. 1,78,500.00 + 32,130 = रु. 2,10,630.00)। 5वीं मंजिल के लिए अभी तक कोई किराया या रखरखाव शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन भुगतान के लिए प्रावधान अब वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया जाता है।
- इसके अलावा, इस डीड को संशोधित लीज रेंट दर से 28.02.2025 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें कुल क्षेत्र 11,880 वर्ग फुट है। (यानी 5वीं मंजिल पर 8380 वर्ग फुट और 7वीं मंजिल पर 3500 वर्ग फुट) जिसका किराए के साथ ₹50.6/वर्ग फुट। + रखरखाव @ ₹8/वर्ग फीट है, जो 01.03.2022 से शुरू होने वाले हर महीने के लिए लागू है।
- डीड में उल्लिखित किराए और रखरखाव के अलावा 3 महीने के किराए के बराबर राशि की ब्याज मुक्त सुरक्षा बीएसआईडीसीएल को जमा की गई थी। सुरक्षा जमा की राशि रुपये थी 18,17,640.00 रुपए (यानी 11880 वर्ग फुट @ (44 + 7) / वर्ग फुट)। सुरक्षा जमा की राशि एक सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाएगी जब पीएमआरसीएल परिसर को खाली कर पट्टेदार को कब्जा दे देगी।

10. डीएमआरसी को कार्यालय परिसर दिया गया:- 25 सितंबर 2019 को डीएमआरसी और पीएमआरसीएल के बीच हुए समझौते के अनुसार यह कहा गया था कि पीएमआरसीएल को डीएमआरसी को कार्यालय आवास उपलब्ध कराना है और जिसका किराया पीएमआरसीएल द्वारा वहन किया जाना है। इसे ध्यान में रखते हुए, पीएमआरसीएल ने श्रीमती संजना दयाल के साथ 27 अक्टूबर 2021 को 3 साल के लिए समझौता किया जिसमें 11 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2024 तक ₹38 प्रति वर्ग फीट मासिक किराये की दर से 3000 वर्ग फुट के कार्यालय स्थान को शामिल किया गया। (अर्थात ₹ 1,14,000/- प्रति माह) और यह स्थान समझौते के अनुसार डीएमआरसी को दिया गया है। इस तरह के किराए का उपचार इसे परियोजना लागत में पूंजीकृत करके किया जाता है क्योंकि यह सीधे चल रही परियोजना के लिए जिम्मेदार है जो निर्माणाधीन है।
11. कास्टिंग यार्ड:- पीएमआरसीएल और मेसर्स नूतन एंटरप्राइजेज के बीच 28 फरवरी, 2021 को हुए समझौते के अनुसार पीएमआरसीएल द्वारा 14 एकड़ की खाली जमीन लीज पर ली गई थी और डीएमआरसी को कास्टिंग यार्ड के निर्माण के लिए 5 साल की अवधि के लिए 28 मई, 2021 से शुरू होकर 27 मई, 2026 तक के लिए दी गई थी और सहमत लीज रेंट दर ₹1.97 प्रति वर्ग फीट + लागू कर है (अर्थात ₹ 85,813 प्रति एकड़ प्रति माह + लागू कर)। इस तरह के लीज रेंट का उपचार परियोजना लागत में पूंजीकरण करके किया जाता है क्योंकि यह सीधे चल रही परियोजना के लिए जिम्मेदार है जो निर्माणाधीन है।
12. लेखापरीक्षा शुल्क:- वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में लगाए गए लेखापरीक्षा शुल्क के अंतर्गत व्यय का विवरण इस प्रकार है:-
- वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क (वित्तीय वर्ष 2021-22) - 59,000/- रुपये
 - आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क (वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22) - 53,600/- रुपये
 - सचिवीय लेखापरीक्षा शुल्क (वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22) - 96,000/- रुपये
- कुल - 2,08,600/- रुपये
13. कार्य गारंटी: मेसर्स आर.आर. एंटरप्राइजेज द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए एफडी रसीद के रूप में श्रम शक्ति आपूर्ति के लिए कार्य गारंटी के लिए ₹250,000/- की बैंक गारंटी जमा की गई है।
14. प्रारंभिक व्यय:- प्रारंभिक व्यय एक कंपनी के निगमन से पहले किए गए व्यय होते हैं, ये आम तौर पर वे व्यय होते हैं जो कंपनी के संस्थापक/प्रवर्तक सरकार और कंपनी को शामिल करते समय सलाहकार को भुगतान किए गए पेशेवर शुल्क के खाते में खर्च करते हैं। इस प्रकार परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने और निगमन प्रक्रिया के जारी रहने के दौरान कंपनी के ब्रांड निर्माण की दिशा में हुए खर्च के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।
15. पूर्व अवधि:- पिछले वर्षों से संबंधित आय/व्यय जिन्हें खाते की पुस्तकों में नहीं लिया जा सका, उन्हें वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में निम्न प्रकार से डेबिट/क्रेडिट किया गया है।

व्यय की प्रकृति	राशि (₹)
1. वित्त वर्ष 2019-20	3,025,850/-
2. वित्त वर्ष 2020-21	6,051,700/-
3. वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित कर के लिए लघु प्रावधान।	6,687,841/-
4. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए परामर्श शुल्क	100,000/-

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन इंड एस (Ind AS) वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की तिथि को तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश आदि विवरण सम्मिलित है।

अभिमत

हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण आमतौर पर इंड एस में सम्मिलित भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, कंपनी अधिनियम द्वारा वांछित आवश्यक जानकारी और एक सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है-

- a) तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और
- b) लाभ और हानि के विवरण के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी को हानि और
- c) इक्विटी में परिवर्तन के विवरण के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन और
- d) नकद प्रवाह विवरण के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह।

अभिमत के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण और उन पर अपना अभिमत देने के संदर्भ में संबोधित किया गया है, और हम इन मामलों पर अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, प्रमुख लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में शामिल मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है, जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों (इंड एस) के अनुसार कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय स्थिति, स्टैंडअलोन वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के बारे में एक सत्य और उचित दृष्टि प्रदान करती है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन तथा रखरखाव का समावेश है, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत और इंड एस स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है और संभावित धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक रूप से गलत विवरण से मुक्त है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक त्रुटियों से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटिवश हुआ हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षण हमेशा भौतिक गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें भौतिक माना जाता है, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की संभावना हो।

एसए के अनुसार, एक लेखापरीक्षण की प्रक्रिया में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षण में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले भौतिक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों के मुताबिक उपयुक्त डिज़ाइन और प्रक्रियाओं के लिए तथा इसके लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपने अभिमत को व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग में लाई गई लेखापरीक्षण नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन और प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य के आधार पर चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन की उपयुक्तता को लेकर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता को एक लाभदायी प्रतिष्ठान के रूप में संचालन करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता का अस्तित्व है, तो हमें अपने लेखापरीक्षण की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में इस प्रकटीकरण के बारे में ध्यान आकृष्ट करना होगा या, यदि संबंधित खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपना अभिमत संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षण की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या शर्तें कंपनी के एक लाभकारी चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना बंद कर सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु तथा क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है, आदि का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, उनके बारे में शासन के प्रभार वाले लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं जिसके लिए हम स्वतंत्र हैं, और जहाँ आवश्यक हो, सुरक्षा के लिए संबंधित उपाय भी प्रदान करते हैं। शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अक्सर वर्तमान अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में, भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार तथा कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर जैसा कि हम उचित समझते हैं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुलग्नक 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
 - ख) हमारे अभिमत में, कंपनी के कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
 - ग) तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकद प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट से निपटाए गए खाते की किताबों के अनुरूप हैं।
 - घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों (इंड एस) का अनुपालन करता है।
 - ङ) अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 द्वारा सरकारी कंपनियों को धारा 164(2) की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

च) कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक-ख में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) कंपनी के पास लंबित मुकदमे हैं, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

क्रम संख्या	केस संख्या	विवरण	31.03.2022 तक	रिपोर्ट की तिथि तक
1	2022 का 862	बलराम कुमार बनाम बिहार राज्य (पटना मेट्रो रेल परियोजना के डिपो के लिए पटना के रानीपुर मौजा एवं पहाड़ी मौजा में भूमि अधिग्रहण के संबंध में)	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा डीएम, पटना के न्यायालय में सुनवाई हेतु निस्तारित	दिनांक 01/04/2022 के आदेश द्वारा जिलाधिकारी, पटना के न्यायालय द्वारा पीएमआरसीएल के पक्ष में प्रकरण का निस्तारण
2	2022 का 4562	ललिता देवी बनाम बिहार राज्य (पटना मेट्रो रेल परियोजना के डिपो के लिए पटना के रानीपुर मौजा एवं पहाड़ी मौजा में भूमि अधिग्रहण के संबंध में)	माननीय उच्च न्यायालय, पटना	माननीय उच्च न्यायालय, पटना
3	2022 का 7650	रजनीश कुमार बनाम बिहार राज्य (पटना मेट्रो रेल परियोजना के डिपो के लिए पटना के रानीपुर मौजा एवं पहाड़ी मौजा में भूमि अधिग्रहण के संबंध में)	लागू नहीं	माननीय उच्च न्यायालय, पटना
4	2022 का 7579	रंजीत कुमार बनाम बिहार राज्य (पटना मेट्रो रेल परियोजना के डिपो के लिए पटना के रानीपुर मौजा एवं पहाड़ी मौजा में भूमि अधिग्रहण के संबंध में)	लागू नहीं	माननीय उच्च न्यायालय, पटना
5	2022 का 7641	उषा देवी बनाम बिहार राज्य (पटना मेट्रो रेल परियोजना के डिपो के लिए पटना के रानीपुर मौजा एवं पहाड़ी मौजा में भूमि अधिग्रहण के संबंध में)	लागू नहीं	माननीय उच्च न्यायालय, पटना

6	2022 का 7726	मीना देवी बनाम बिहार राज्य (पटना मेट्रो रेल परियोजना के डिपो के लिए पटना के रानीपुर मौजा एवं पहाड़ी मौजा में भूमि अधिग्रहण के संबंध में)	लागू नहीं	माननीय उच्च न्यायालय, पटना
7	2022 का 8427	राजलक्ष्मी भूषण बनाम बिहार राज्य (पटना मेट्रो रेल परियोजना के डिपो के लिए पटना के रानीपुर मौजा एवं पहाड़ी मौजा में भूमि अधिग्रहण के संबंध में)	लागू नहीं	माननीय उच्च न्यायालय, पटना
8	2022 का 8577	सुनील कुमार अमर बनाम बिहार राज्य (पटना मेट्रो रेल परियोजना के डिपो के लिए पटना के रानीपुर मौजा एवं पहाड़ी मौजा में भूमि अधिग्रहण के संबंध में)	लागू नहीं	माननीय उच्च न्यायालय, पटना

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित ऐसा कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भौतिक अनुमानित हानि थी।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कोई राशि नहीं थी।

iv) क) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) में कोई धनराशि ना तो अग्रिम ली गई है, ना ऋण दिया गया है और ना ही निवेश किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या समान प्रदान करना;

ख) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (यों) से कोई फंड प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी, चाहे, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी

भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार दे या निवेश करे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसा कुछ प्रदान करे; और

ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिसे हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे यह विश्वास हो सके कि उप-धारा (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई भौतिक गलत विवरण है।

v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के उल्लंघन में वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

ज) अधिकतम स्वीकार्य प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए धारा 197 द्वारा निर्धारित सीमा कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) द्वारा सरकारी कंपनियों को धारा 197 की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

**कृते शिवानंद कुमार एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट**

ह/-

(शिवानंद कुमार)

पार्टनर

सदस्यता संख्या 054116

एफआरएन संख्या: 004610सी

स्थान : पटना

दिनांक: 23/08/2022

यूडीआईएन: 22054116APQSNH6437

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक- क

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ("कंपनी") के सदस्यों के लिए 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैरा 1 में संदर्भित अनुलग्नक । हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

1) इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में:

- क. कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों की स्थिति का पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- ख. जैसा कि हमें बताया गया है, इन संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों को प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, लेकिन सत्यापन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार नहीं, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और प्रकृति के संबंध में इसकी संपत्ति को देखते हुए उचित हो सकता है। भौतिक सत्यापन की बारंबारता उचित है क्योंकि संचालन का पहला वर्ष होने के नाते और इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं।
- ग. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के पास आज की तारीख में कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- ङ. बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

2) इसकी इन्वेंटरी के संबंध में:

- क. प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इन्वेंटरी को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, सत्यापन की आवृत्ति उचित है। -लागू नहीं
- ख. प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित और पर्याप्त है। - लागू नहीं
- ग. इन्वेंटरी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी इन्वेंटरी के उचित रिकॉर्ड का रखरखाव कर रही है। बही अभिलेखों की तुलना में मालसूची के भौतिक सत्यापन पर कोई वास्तविक विसंगति नहीं पाई गई। - लागू नहीं
- घ. वर्ष के किसी भी समय, कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से, कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। -लागू नहीं

3) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, अग्रिम या किसी प्रकार की गारंटी अथवा सुरक्षा जमा राशि नहीं दी है और इसलिए उक्त आदेश के अनुच्छेद 3(iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के

प्रावधान लागू होते हैं।

- 5) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से जमा स्वीकार नहीं किया है, जिसके लिए धारा 73 से धारा 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम, 2013 के कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 लागू होते हैं। कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी कोर्ट या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
- 6) हमें सूचित किया गया है कि केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।
- 7) क. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक देय राशि को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या उपकर और अन्य वैधानिक बकाया के संबंध में कोई अविवादित राशि 31-03-2022 तक लंबित नहीं है, जो देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि थी।
ख. कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर या बिक्री कर या जीएसटी या सीमा शुल्क या शुल्क उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर के कारण कोई विवादित देय राशि नहीं है जिसे जमा नहीं किया गया है।
- 8) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान खाता-बही में कोई भी गैर-रिकॉर्डेड लेन-देन वापस नहीं किया गया है या आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है।
- 9) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने वित्तीय संस्थानों और बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।
- 10) क. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान सावधि ऋण नहीं लिया है।
ख. कंपनी ने राइट इश्यू के तहत प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पूंजी जारी की है, जो ₹100.00 की राशि वाले 9900000 शेयर ₹ 9900 लाख के हैं। इसलिए, प्रदर्शन की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है और जुटाई गई धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जिनके लिए धन जुटाया गया।
- 11) क. की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी या उसके अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।
ख. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र ADT-

4 में लेखा परीक्षकों द्वारा दायर नहीं की गई है।

ग. की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, किसी व्हिसल-ब्लोअर शिकायत की पहचान नहीं की गई है।

- 12) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और निधि कंपनी नियम, 2014 कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उपरोक्त आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- 13) कंपनी ने कंपनी अधिनियम और लेखा मानकों के तहत जहां तक लागू हो, अपेक्षित नियमों के अनुसार संबंधित पार्टी लेन-देन के प्रकटीकरण के संबंध में सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
- 14) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है और आंतरिक लेखा परीक्षा विधिवत आयोजित की गई है। लेखा परीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार विश्वसनीय सीमा तक हमारे द्वारा विचार किया गया था।
- 15) कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किया है और इसलिए उपरोक्त आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- 16) हमारे अभिमत में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।
- 17) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष में ₹ 129.39 लाख की नकद हानि उठाई है, लेकिन यह ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में नहीं है।
- 18) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है और इसलिए पूर्वोक्त आदेश के खंड 3(xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- 19) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिसके कारण हमें यह विश्वास हो सके कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार ऐसी कोई भी अनिश्चितता मौजूद है जिससे कंपनी बैलेंस शीट की तारीख को और बैलेंस शीट देय होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम यह मानते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा जब वे देय होते हैं।
- 20) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए पूर्वोक्त आदेश के खंड 3(xx) के प्रावधान कंपनी

पर लागू नहीं होते हैं।

21) कंपनी समेकित वित्तीय विवरण की एक पार्टी नहीं है और इसलिए उपरोक्त आदेश के खंड 3(xxi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

**कृते शिवानंद कुमार एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट**

ह/-

(शिवानंद कुमार)

पार्टनर

सदस्यता संख्या 054116

एफआरएन संख्या: 004610सी

स्थान : पटना

दिनांक: 23/08/2022

यूडीआईएन: 22054116APQSNH6437

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ख

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैरा 2 (एफ) में संदर्भित अनुलग्नक।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट हमने 31 मार्च, 2022 तक पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा पहचान, सटीकता सहित व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन, लेखांकन रिकॉर्ड की पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर गाइडेंस नोट ('द गाइडेंस नोट') और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानक के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू है तथा दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षण करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ

प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में एक उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

1. रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेन-देन और प्रकृति को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;
2. उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा
3. कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या उनका समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों की अनुचित ढंग से अवहेलना करना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और कंपनी द्वारा भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक

वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर दिशा-निर्देश नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

**कृते शिवानंद कुमार एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट**

ह/-

(शिवानंद कुमार)

पार्टनर

सदस्यता संख्या 054116

एफआरएन संख्या: 004610सी

स्थान : पटना

दिनांक: 23/08/2022

यूडीआईएन: 22054116APQSNH6437

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियम (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक), 2014 के नियम संख्या 9 के अनुपालन में]

सेवा में,
सदस्यगण,
पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PMRCL)
शहरी विकास एवं आवास विभाग, विकास भवन,
नया सचिवालय, पटना - 800015

मैंने पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CIN: U93090BR2019SGC041042) द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा संपन्न की है। सचिवीय लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था, जिसने मुझे निगमित संचालनों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बहियों, रजिस्ट्रों, दस्तावेजों, कार्यवाही पुस्तकों (मिनट बुक्स), फाइल किए गए प्रपत्रों और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर, तथा साथ ही काम के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, मैं एतद द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन, उस सीमा तक तथा उचित तरीके से पर्याप्त बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं:

मैंने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CIN: U93090BR2019SGC041042) द्वारा रखी गई बहियों, रजिस्ट्रों, दस्तावेजों, कार्यवाही पुस्तकों (मिनट बुक्स), प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न व अन्य रिकॉर्ड की जांच इन प्रावधानों के तहत की है:

- i) संशोधनों/सुधारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और उसके तहत बनाए गए नियम;
- iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम;
- v) पर्यावरण (प्रदूषण नियंत्रण की रोकथाम) अधिनियम, 1986;
- vi) कंपनी का मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन;
- vii) आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन किया है:

- (A) कुछ मामलों में, सांविधिक और/या विनियामक प्राधिकरणों के पास फॉर्म/रिटर्न की फाइलिंग समय पर नहीं की गई थी और इसलिए ऐसे मामलों में फाइलिंग देर से हुई थी।
- (B) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः दिनांक 16/11/2021 और दिनांक 14/03/2022 को निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें बुलाई और आयोजित की हैं। दिनांक 13/07/2021 को प्रेषित नोटिस द्वारा दिनांक 16/07/2021 को आयोजित बैठक मुख्य रूप से दिनांक 19/07/2021 को प्रस्तावित थी। हालांकि, दिनांक 14/07/2021 को अल्प सूचना जारी करके बैठक को दिनांक 16/07/2021 को पुनर्निर्धारित किया गया था। अधिनियम की धारा 173(3) में कहा गया है कि "निदेशक मंडल की बैठक कम से कम सात (07) दिनों का नोटिस देकर बुलाई जाएगी" जो किसी भी पुनर्निर्धारित बैठक के मामले में भी लागू होती है। हालांकि, बोर्ड बैठक की संक्षिप्त सूचना के लिए किसी भी निदेशक द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
- (C) कंपनी द्वारा दी गई मौखिक सूचना के अनुसार, रिपोर्टिंग के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा कोई परिपत्र संकल्प पारित नहीं किया गया था।
- (D) कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान 22/10/2021 को एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक बुलाई और आयोजित की।
- (E) कंपनी ने, वित्तीय वर्ष के दौरान, एक (1) आम बैठक, यानी दूसरी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) दिनांक 08/11/2021 के नोटिस के आलोक में दिनांक 16 नवंबर, 2021 को आयोजित किया। आगे नोटिस के अनुसार, दूसरी ए.जी.एम. को दिनांक 15/11/2021 को आयोजित करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में इसे दिनांक 16/11/2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और दिनांक 15/11/2021 से दिनांक 16/11/2021 तक बैठक स्थगित करने की सूचना दिनांक 15/11/2021 को दी गई थी।
- (F) कंपनी ने दिनांक 14/03/2022 को रु.100/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 99 (निन्यानबे) करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं, (अर्थात क्रमशः 49.50 करोड़ रुपये (उनचास करोड़ पचास लाख रुपये) भारत के राष्ट्रपति को और 49.50 करोड़ रुपये (उनचास करोड़ पचास लाख रुपये) बिहार के राज्यपाल को। आवंटन का रिटर्न (PAS-3) दिनांक 07/04/2022 को दायर किया गया था।

अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचार, जहाँ आवश्यक हो, या अनुरोध किए जाने पर, कार्यवाही के एक भाग के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि, हमारी उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन, कंपनी को लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में आवश्यक या पर्याप्त निगरानी तंत्र या सिस्टम और प्रक्रियाओं को विकसित करना बाकी है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अंशों /अन्य प्रतिभूतियों या डिबेंचरों का कोई मोचन, पुनर्खरीद नहीं हुआ था और न ही कोई विलय/समामेलन हुआ था।

इस रिपोर्ट को 'अनुलग्नक-अ' के साथ निम्न UDIN:- F005204D002836967 के अधीन जारी किया जाता है

**कृते ए कुमार & एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज**

ह/.

कंपनी सचिव का नाम: अजय कुमार
प्रोप्राइटर

स्थान : पटना

तिथि : 30.12.2022

एफसीएस संख्या : 5204

सी.पी. संख्या : 3433

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो 'अनुलग्नक अ' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सेवा में,

सदस्यगण,

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PMRCL)

शहरी विकास एवं आवास विभाग, विकास भवन,

नया सचिवालय, पटना - 800015

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इसी तिथि के इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अभिमत व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन को परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन देती है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
7. दस्तावेजों के सत्यापन और कंपनी अधिनियम में संशोधन तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के आधार पर, हम कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत, **भविष्य के अनुपालन के लिए एतद द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें करते हैं: -**
 - (a) कंपनी तुरंत यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनी अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कंपनी के लिए लागू बोर्ड की सभी समितियां विधिवत गठित हैं।
 - (b) यद्यपि, सरकारी कंपनी में वैधानिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए एडीटी-1 दाखिल करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी, एमसीए द्वारा फॉर्म 22ए डालने के बाद निगम को हर वित्तीय वर्ष के लिए एडीटी-1 दाखिल करने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है क्योंकि इसके बिना कंपनी फॉर्म 22ए फाइल नहीं कर पाएगी।
 - (c) धारा 152 के अनुसार, एक व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है / निदेशक के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकता है, जब तक कि उसने एक वैध निदेशक पहचान

संख्या (डीआईएन) प्राप्त नहीं कर लिया हो। कंपनी को हर समय अधिनियम के इस प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।

- (d) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम की धारा 248 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एक वर्ष से अधिक के वित्तीय विवरणों को दाखिल नहीं करने को बैकलॉग में नहीं रखा जाएगा, अधिनियम की धारा 167(1)(ए) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।
- (e) जैसा कि एसएस-2 के खंड 1.2.7 के तहत आवश्यक है, बैठकों की अल्प सूचना के लिए सहमति में आवश्यक दस्तावेजों के वितरण के लिए कम अवधि की सहमति भी शामिल होगी।
- (f) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि, वैध होने के लिए, बोर्ड की बैठकों के लिए सात पूर्ण दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए और यदि बैठकें बहुत कम अवधि की सूचना पर आयोजित की जाती हैं, तो एक स्वतंत्र निदेशक बैठक में उपस्थित होगा। यदि बोर्ड की बैठक अल्प सूचना पर आयोजित की जाती है, जिसमें स्वतंत्र निदेशक उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त की स्वतंत्र निदेशक द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।
- (g) ऐसी समिति की बैठकों के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही निदेशक मंडल की समितियों की बैठक बुलाई जानी चाहिए।

रिपोर्ट के साथ इस अनुलग्नक को निम्न UDIN F005204D002836967 के तहत जारी किया गया है

कृते ए कुमार & एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज
ह/.

कंपनी सचिव का नाम: अजय कुमार
प्रोप्राइटर

स्थान : पटना

तिथि : 30.12.2022

एफसीएस संख्या : 5204

सी.पी. संख्या : 3433

Speed Post



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना-800 001

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

संख्या TSC/A.A/PARCL/2021-22/31
No.

Indian Audit & Accounts Department
Office of the Accountant General (Audit) Bihar
Birchand Patel Marg, Patna - 800 001

दिनांक/Date : 10/02/2023

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि०
नगर विकास एवं आवास विभाग,
विकास भवन, पटना - 800015.

विषय:- 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयों।

महोदय,

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड लिमिटेड के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयों संलग्न की जा रही है।

इसे कम्पनी के वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत करें एवं प्रस्तुतीकरण की तिथि एवं सभा की कार्यवाही की प्रति इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें। वार्षिक प्रतिवेदन की मुद्रित प्रति भी इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजे।

विश्वासभाजन,

(के०एस०एम०रफी)

उप महालेखाकार (TSC)

अनुलग्नक: यथोपरि।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षण के आधार पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। 23 अगस्त 2022 की उनकी लेखापरीक्षण रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक पूरक लेखापरीक्षण किया है। पूरक लेखापरीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है और इसके लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों की सहायता नहीं ली गई है तथा यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरे पूरक लेखापरीक्षण के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूँ जो मेरे सामने आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखापरीक्षण रिपोर्ट की बेहतर समझ को स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं।

क. 31 मार्च 2022 तक का तुलन पत्र

परिसंपत्ति

1. गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

ख) पूंजीगत कार्य प्रगति (नोट-3) - 1167.16 करोड़

उपरोक्त मद में ₹740.95 करोड़ को ऋण और अग्रिम शीर्षक के तहत दिखाए जाने के बजाय गलती से पूंजीगत कार्य प्रगति पर (CWIP) के रूप में शामिल किया गया है।

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PMRCL) को पटना मेट्रो रेल परियोजना (परियोजना) के कार्यान्वयन के लिए पटना में 18 फरवरी 2019 को एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में निगमित किया गया था। इस परियोजना में 31.39 किमी की कुल लंबाई के दो कॉरिडोर शामिल हैं (i) दानापुर से मीठापुर (16.94 किमी) और (ii) पटना रेलवे स्टेशन से न्यू आईएसबीटी (14.45

किमी), जिसकी कुल लागत 13,365.77 करोड़ है। परियोजना लागत में *₹3,390.51 करोड़ की भूमि लागत शामिल थी।

इस संबंध में, जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ), पटना ने पटना मेट्रो रेल के निर्माण के लिए 75.49 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 790.81 करोड़ की मांग की (नवंबर 2021)। पीएमआरसीएल ने जमीन के कब्जे के लिए डीएलएओ को 740.95 करोड़ (जनवरी 2021 में 308.09 करोड़ और मार्च 2022 में 432.86 करोड़) का भुगतान किया। डीएलएओ को भूमि अधिग्रहण का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (यूसी) देना था। हालांकि, डीएलएओ ने 31 मार्च 2022 के अंत तक न तो उसे हस्तांतरित की गई राशि के लिए यूसी प्रदान किया था और न ही उसने पीएमआरसीएल को भूमि का स्वामित्व प्रदान किया था। इस प्रकार, राशि को 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाना था। हालांकि, उक्त राशि को 'सीडब्ल्यूआईपी' शीर्षक के तहत दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी तथा ऋण और अग्रिम में प्रत्येक में 740.95 करोड़ की क्रमशः अधिकता और कमी उत्पन्न हो गई है।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से**

ह/-

रामावतार शर्मा

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार।

स्थान : पटना

तिथि: 10/02/2023